हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

31 मार्च, 1982

खण्ड 1, अंक 14

अधिकृत विवरण

विशय सूची

बुधवार, 31 मार्च, 1982

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(14)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उततर	(14)18
अतारांकित प्र न एवं उत्तर	(14)28
वाक आउट	(14)39
विभिन्न विशयों का उठाया जाना	(14)39
ध्यानाकर्शध सूचनाः–	
जिला महेन्द्रगढ़ तथा जिला रोहतक की कोसली तहसील के बहुत ज्यादा पिछडेपन तथा गरीबी की हालत होने सम्बन्धी	(14)43
वक्तव्यः–	
1. खाद्य तथा पूर्ति मंत्री द्वारा राज्य में सीमेंट, चीनी, मिट्टी का तेल व कुकिंग गैस का वितरण सामान्य न होने सम्बन्धी।	(14)44

2. आबकारी तथा कराधान मंत्री द्वारा राज्य में बन्धक मजदूरों सम्बन्धी।	(14)50
बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की तीसरी रिपोर्ट	(14)55
नियम 30 के अधीन प्रस्ताव	(14)65
बिल्जः—	
1. दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं. 3) बिल, 1982	(14)66
2. दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं. 2) बिल, 1982	(14)70
3. दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं. 1) बिल, 1982	(14)72
अनैक चर	(14)74

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 31 मार्च, 1982

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर 1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे।

Loans to the Small and Marginal Farmers under Drought Prone Area Programme

***2593. Sh. Inderjit Singh:** Will the Minister for Agriculture pleased to state:-

(a) the district wise number of application received for loan from the Small and Marginal Farmers of the State during the years 1979-80, 1980-81 and 1981-82 (to-date) under Drought Prone Area Programme in the State;

(b) the number of persons, out of those referred to in part(a) above, who have received loan;

(c) the district wise number of beneficiaries who received subsidy, if any, under the Drought Prone Area Programme during the years mentioned at (a) above; and

(d) whether the Government have received any complaint about the non-cooperation of the Nationalised Banks in the matter of advancing loans to the Small and Marginal Farmers?

Agriculture Minister (Sh. Shamsher Singh):

(a), (b) and (c); A statement is laid on the Table of the House.

(d) While there have been stray cases of delay in the sanction and disbursement of loans, the Nationalised Banks by and large have co-operated well with the Agencies in the matter of advancing loans to Small and Marginal Farmers.

Statement

Sr.	Name of DPAP Distt.	(a) The District wise No. of application received from small and marginal farmers of the State during years 1979-80, 1980-81 and 1981-82 (to date) under DPAP in the State			(b) The number of persons out of those referred to in part (a) who have received loam			(c) The District wise No. of beneficiaries who received subsidy, if any, under DPAP during the years mentioned in part(a)		
		1979-80	80-81	81-82	1979-80	80-81	81-82	1979-80	80-81	81-82
1	Rohtak	3080	2160	Nil	2767	1523	Nil	2767	1523	Nil

2	Bhiwani	2957	2371	138	2150	1731	9	2011	1731	9
3	Mohindergarh	33474	8915	Nil	2020	2461	Nil	1930	2388	Nil
	Total	9384	13446	138	6937	5715	9	6708	5642	9

श्री इन्द्रजीत सिंहः स्पीकर साहब, मंत्री जी ने बताया है कि वर्श 1981–82 के अन्दर रोहतक और महेन्द्रगढ़ जिलों में किसी भी फारमर को सबसिडी नहीं मिली। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इसका क्या कारण हैं ?

श्री भाम ोर सिंहः अध्यक्ष महोदय, डी.पी.ए. का प्रोग्राम 1974 में लागू हुआ और उसके बाद 2–10–1980 से हरियाणा के सभी ब्लाकस आई.आर.डी.पी. के नीचे कवर हो गए। इसके अनुसार इंडिविजुअल बैनिफि ायरी बेस्ड स्कीम तो आई.आर.डी.पी को चली गई और जो लैंड बेस्ड स्कीम थी वह डी.पी.ए.पी. को चली गई। अध्यक्ष महोदय, मैं इसको और क्लीयर कर देता हूं। पहले डी.पी.ए.पी. तमाम एरियाज में इंडिविजुअल लोन लेने की स्कीम तथा लैंड बैस्ड स्कीम्ज जैसे ऐफौरस्टे ान और दूसरी स्कीम्ज को कवर करता था लेकिन 2–10–1980 के बाद इंडिविजुअल बैनिफी ायरी स्कीम तो आई.आर.डी.पी. को चली गई और लैंड बैस्ड स्कीम्ज डी.पीए.पी. को चली गई। दोनों में काम को डिस्ट्रीब्यूट हो गया।

राव बंसी सिंहः स्पीकर साहब, जो स्टेटमैंट दिया गया है उसमें बताया गया है कि महेन्द्रगढ़ जिले में 1980–81 में 8915 ऐप्लीके ांज आई और लोन केवल 2461 ऐप्लीकेन्ट्स को दिया गया। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इसका क्या कारण है कि ज्यादा लोगों को लोन क्यों नहीं मिला ?

श्री भाम ोर सिंहः स्पीकर साहब, यह वह पीरियड है जब यह चेंज ओवर हुई है। हो सकता है कि कुछ ऐप्लीके ांज आई.आर.डी.पी. को चली गई हो और कुछ डी.पी.ए.पी. को चली गई हो। यही कारण हो सकता है।

श्री गुलजार सिंहः स्पीकर साहब, मंत्री जी ने बताया है कि आई.आर.डी.पी. के थ्रू लोन दिया जाता है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि झोटा बुग्गी खरीदने के लिए जो किसानों को लोन दिया जाता है वह कै ा में दिया जाता है या उनको झोटा बुग्गी खरीद कर दी जाती है ?

श्री भाम ोर सिंहः अध्यक्ष महोदय, आई.आर.डी.पी. स्कीम के तहत हर ब्लॉक में छः सौ परिवार पर ईयर कवर किए जाते हे। गरीब लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए बैंक लोन देते हैं और सरकार सबसिडी देती है। ऐग्रीकल्चर के लिए या दूसरी स्कीम्ज के लिए अथवा ि ाड्यूल्ड कास्टस या दूसरे आर्टिजंज को नकद पैसा देने की बजाय चीज खरीद कर देते हैं। क्योंकि अगर नकद दें तो मिसयूज होने का डर है।

सरकार स्माल फामर्ज को 25 परसैन्ट और आर्जनल फारमर्ज को 33 परसैन्ट सबसिडी हर लोन पर देती है।

सरदार सुखदेव सिंहः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कहीं लोन कम मिलने का कारण यह तो नहीं है कि बैंक नै ालेलाइज्ड हैं और हमारी स्टेट का उन पर सीधा कंट्रोल नहीं है। जैसे किसी ने झोटा बुग्गी खरीदनी है उसकी रसीद के बारे में वे लोगों को तंग करते हों और कहते हां कि पहले रसीद लाओ तब पैसा मिलेगा, इस तरह से उनको हैरास करते हों ? क्या सरकार इस बारे में कोई टाईम फिक्स करेगी कि एक, दो या तीन महीने के अन्दर अन्दर अव य ही लोन मिल जाना चाहिए ?

श्री भाम ोर सिंहः अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि बैंको पर हमारा सीधा कंट्रोल नहीं है। उनका अलग से बोर्ड बना हुआ है। जहां तक सरकार के इस प्रयत्न का ताल्लुक है कि निर्धारित समय में लोगों को लोन मिल जाना चाहिए, अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों हमने ने ानेलाइज्ड बैंक, जिनकी ब्रांचिज हरियाणा में हैं, के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर्ज की मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में मैं भी था। मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री ने उस मीटिंग को ऐड्रैस किया था। उस मिटिंग में लोन लेने के लिए जो किसानों की प्रोबलम्ज हैं उनको दूर करने के बारे में तथा रैड टेप को कट करने के बारे में थारो डिस्क ान हुआ था और पूरे सुझाव दिए गए थे। उन्होंने वचन दिया था कि इस तरह का प्रबन्ध करेंगे कि लोन लेने में ज्यादा टाईम न लगे और जो

लोन लेने का प्रोसीजर है उसमें ज्यादा मु कल न हो। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि आई.आर.डी.पी. का लोन लेने के लिए किसी भी व्यक्ति को बैंक में नहीं जाना पड़ता। प्रोग्राम यह है कि जिस एरिया में बैंक लोन डिस्ट्रीब्यूट करता है वहां मौक पर ए.पी.ओज. पहुंच जाते है और बेनीफि ायरीज से मौके पर दरखास्त लेकर उसको तसदीक करवा लेते हैं और मौके पर जलसा करके लोन के पेपर और चैक दे देते है। अगर लोग अन्धेरे में हों और वैसे ही चक्कर काटते रहें तो दूसरी बात है। सरकार पूरी कोि ा ा कर रही है कि किसानों को लोन लेने में कोई दिक्कत न हो।

चौधरी रिजक रामः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने पार्ट डी के जवाब में बताया है कि ने ानेलाइज्ड बैंकों की स्माल एण्ड मार्जिनल फारमर्ज को कर्जा देने के बारे में कुछ ि ाकायतें आई है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कितनी ऐप्लीके ांज स्माल एण्ड मार्जिनल फार्मर्ज की तरफ से ने ानेलाइज्ड बैंक्स को आई और उनमें से कितनी रिजैक्ट हुई। दूसरी बात यह है कि अब जो लोन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे है। उनमें स्माल एण्ड मार्जिनल फारमर्ज की कितनी परसन्टेज को कवर करना है ?

श्री भाम ोर सिंहः अध्यक्ष महोदय, चौधरी रिजक राम जी का पहल सवाल है कि कितनी दरखास्तें आई और कितनों को लोन दिया। मैं आनरेबल मैम्बर को बताना चाहता हूं कि यह

सवाल डी.पी.ए.पी. का था, इसलिए ये फिगर्ज मेरे पास नहीं है। जहां तक दूसरे सवल का संबंध है, कि आई.आर.डी.पी. के नीचे मार्जिनल और स्माल फार्मज कितने कवर किये हैं, इसके बारे में, मैंने पहले ही बताया है कि 2–10–1980 से यह प्रोग्राम चालू किया गया था। इस प्रोग्राम के तहत पहले साल 700 फैमिलीज, दूसरे साल 1012 फैमिलीज और तीसरे साल लगभग 1500 फैमिलीज को कवर करने का प्रोग्राम है।

श्री सुरेन्द्र सिंह ओजलाः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने सवाल के पार्ट डी के उत्तर में कहा है कि कर्जा की मन्जूरी व बांटने के कुछ मामलों में देरी हुई हैं, परन्तु कुल मिलाकर, राश्ट्रीयकृत बैंकों ने लघु एवं सीमान्त किसानों को कर्जे देने के मामले में एजेन्सियों को अच्छा सहयोग दिया है। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि आया उनके नोटिस में यह बात है कि सरकार की तरफ से जो सबसिडी लोनीज को मिलती है, उसमें से बैंक वाले 50 परसैन्ट या 25 परसैंट रि वत मांगते है ?

श्री भाम ोर सिंहः अध्यक्ष महोदय, यह बात बिल्कुल गलत है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं और न ही किसी को बलैंकड डिफेन्ड ही कर रहा हूं। मैं आनरेबल मैम्बर साहेबान को यह बताना चाहता हूं कि बैंक वाले सबसिडी नहीं देते हैं। बैंक तो केवल लोन ही एडवान्स करता है। फर्ज करो किसी ने भैंस खरीदने के लिए 3000 हजार रूपये का लोन लिया, बैंक तो कर्जा दे देता है और लोनी भैंस खरीद लेता है। उसके बाद आई.आर.

डी.पी. वाले फार्मर्ज की तरफ से एक हजार रूपया जमा करवा देते हैं और फार्मर्ज को केवल दो हजार रूपया ही वापिस देना पड़ता है। जिस पर चार परसैन्ट इंट्रैस्ट लगता है। यानी वन थर्ड सबसिडी के रूप में आ जाता है और टू थर्ड फार्मर को देना पड़ता है। इसलिए बैंक तो ऐसे किसी काम में पिक्चर में ही नहीं आता तो उसके खाने पीने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

चौधरी हरि चन्द हुड्डाः स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि रोहतक और महेन्द्रगढ में फार्मर्ज को जो सबसिडी दी जाती है, वह बिल्कुल जीरो परसैन्ट के बराबर ही है, ऐसा क्यों है ? करनी और कथनी में इतना फर्क क्यों है ? सरकार इस तरह की भेदभाव की नीति क्यों अपना रही है ?

श्री भाम ोर सिंहः अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब ने हिबना पढ़े और बिना सोचे ही यहां पर इस तरह का सवाल पूछ लिया। रोहतक में सबसिडी निल नहीं है। मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि डी.पी.ए.पी. से यह प्रोग्राम आई.आर.डी.पी. में चला गया है।

Per capita quantity of Sugar Distribution in Rural & Urban Areas

***2606. Ch. Sant Kanwar:** Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state:-

(a) the per capita quota of sugar being distributed at present per month in the rural and urban areas of Haryana, separately;

(b) the number of ration cards which stand issued in district Rohtak at present; and

(c) the total quantity of sugar allocated every month for district Rohtak during the year 1981-82 (todate) ?

Food and Supplies Minister (Sh. Lachhman Singh):

(a) Government have fixed the quantum per capita of levy sugar per month at 400 grams. However, the Deputy Commissioners make local adjustments in the scale of issue, where ever necessary, according to requirements due to lesser allocation of sugar by Govt. of India.

(b) 203046.

(c)

Month	Quantity of Sugar Allotted (in tonnes)
April, 81	510
May, 81	510
June, 81	510
July, 81	510

August, 81	510
September, 81	506
October, 81	526
November, 81	236
December, 81	506
January, 82	506
February, 82	506
March, 82	489
Total	**6125 Tonnes**

चौधरी संत कंवर: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अपने जबाव में बताया कि रोहतक जिला में 203046 रा ान कार्डज है। इसके हिसाब से चीनी का वितरण किया जाता है। हर व्यक्ति को हर महीने 300 ग्राम चीनी मिलनी चाहिए लेकिन वह पूरी नहीं मिलती है। क्या यह बात सच नहीं है कि सिवाय एक आध महीना छोड कर तीन सौ ग्राम की बजाये लोगों को 200 व 225 ग्राम चीनी दी जाती है। इसके क्या कारण है ? क्या सरकार ने कभी इस तरह की जांच करवाने का विचार किया है कि बीच की चीनी कौन खा जाता है ?

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, रोहतक का हमारे पास रिकार्ड है। देहात में 300 ग्राम और भाहरों में 400 ग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से चीनी दी जाती ह लेकिन जैसा कि आनरेबल मैम्बर श्री संत कंवर ने बताया कि लोगों को 200 या 25 ग्राम चीनी मिलती है, इस तरह की बात हमारे नोटिस में कोई नहीं आई। अगर माननीय सदस्य हमें ऐसा कोई वाक्या बताऐंगे तो हम अव य एक ान लेंगे।

डा. मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, डिपोज पर एक महीना चीनी लेट मिलती है और जब अगले महीने मिलती है तो 29 और 30 तारीख के लगभग मिलती है। क्या इस गलती को सरकार सुधारने का प्रयत्न करेगी ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए ?

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, इस तरह की ि ाकायतें मिली थी। इसके कई कारण है, सबसे पहले तो होल सेलर्ज हैं, उन से चीनी लेट मिलती है। दूसरा अब यह रा ा का सारा काम हैफड के सुपुर्द कर दिया गया हैं, वहां से उठाने में भी हो सकात है कि देरी हो जाती हो। अब हमने यह आर्डर कर दिया है कि हर महीने की 15 तारीख तक लोगों को चीनी का वितरण अव य हो जाना चाहिए। इस तरह की हिदायतें हमने केवल रोहतक के लिए ही नहीं की बल्कि ऐसी हिदायते जनरल तौर पर सारे हरियाणा के लिए ही कर दी गयी है। अब हर महीने लोगों को ठीक समय पर चीनी मिल जाया करेगी। वैसे स्पीकर साहब,

देरी के कुछ कारण तो मैंने बताए, एक दो कारण ओर भी हैं कि जैसे किसी का डिपो किसी कारण से कैंसिल हो गया तो उस हल्के के लोगों को इसी वजह से चीनी लेट मिलती है या किसी डीलर ने खुद ही माल लेट उठाया। कई बार हैफड वाले भी देरी कर देते हैं क्योंकि उनके पास रा ान की कई आइटमज हैं अकेली चीनी ही उनके पास नहीं होती है।

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पीकर साहब, मेरा पहला सप्लीमैंटरी यह है कि जितनी चीनी सैन्टर से स्टेट को कोर्ट के मुताबिक मिलनी चाहिए थी, वह मिली है कि नहीं ? दूसरी सप्लीमैंटरी मेरी यह है कि रोहतक जिला के गांवों के लोगों को होली के त्यौहार पर चीनी नहीं दी गई और लोगों ने होली का त्यौहार नहीं मनाया। इस बारे में मैंने डी.सी. साहब को, डी.एफ. सी. साहब को और साथ ही मिनिस्टर साहब को भी बताया था कि इस तरह का गांवों के लोगों के साथ व्यवहार हो रहा है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी। बी.डी.ओ. और डी.एफ.सी. साहब ने लोगों के रा ान कार्ड अपने कब्जे में कर लिये और यह कहा कि चूल्हा टैक्स दे जाओ, तब कार्ड मिलेगा। किसी गरीब आदमी को अभी तक रा ान कार्ड वापिस नहीं किए गये हैं। क्या यह बात सरकार के नोटिस में है, क्या ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्यवाही करने का सरकार विचार रखती है ?

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, कई बार अखबारों में भी यह आ चुका है कि हमें 700 टन चीनी सैन्टर से कम मिली

है। हम इस बारे में भारत सरकार से कोि ा ा में लगे हुऐ है और हमें आ ाा है कि इसका जल्द ही फैसला हो जाऐगा। इसीलिऐ अभी तक हमने 400 ग्राम चीनी के पैट्रन को नही बदला हैं । जहां तक चूल्हा टैक्स का ताल्लुक है, इस बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि जब मुझे दलाल साहब ने इस बारें बताया था तो उसी वक्त मैनें डी0सी0 और डी0एफ0सी0 साहब को कह दिया था और हिदायतें जारी कर दी थी कि चूल्हा टैक्स लेना हमारी डियूटी में नहीं आता। ऐसी ि ाकायत केवल रोहतक जिले में ही थी और स्टेट में कहीं नहीं थी। अब इस समय ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और न ही कोई चूल्हा टैक्स लिया जा रहा है।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि गांवों में 400 ग्राम चीनी पर व्यक्ति के हिसाब से नहीं मिल रही है। इस बारे में हमने भारत सरकार से बातचीत की है और इस बात का फैसला कर दिया है कि अप्रैल के महीने से चाहे देहात हो, चाहे भाहर हों, सभी जगहों पर 400 ग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से यकसां चीनी का वितरण किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: कल एक मंत्री महोदय ने यहां पर स्टेटमैंट दी थी कि जो किसान अपना गन्ना फैक्टिरियों मे देंगे, उनको चीनी का कोटा दिया जाएगा क्या वह कोटा भी इससे संबंधित है ?

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, वह तो गन्ने के इवज में है।

चौधरी हरस्वरूप बूराः स्पीकर साहब, क्या यह सरकार के नोटिस में है कि जब डिपो होल्डर चीनी लेने जाता है तो जो परमिट उसको काट कर दिया जात है, उस परमिट पर बोरी के हिसाब से पैसे बन्धे हुए हैं ? जैसाकि मेरे भाई चौधरी संत कंवर जी ने बताया कि देहातों में गरीब लोगों को 300 ग्राम चीनी की बजाये अढ़ाई सौ या सवा सौ दो सौ ग्राम चीनी दी जाती है ओर कार्डो पर 300 ग्राम चीनी ही चढाई जाती है। जो चीनी में कट लगाई जाती है, वह इस वजह से तो नहीं हैं क्योंकि डिपो होल्डर्ज से पर बोरी पैसे चार्ज ज्यादा दिये जाते है। जब डिपो होल्डर्ज से इस बारे में बात की जाती है तो वे कहते हैं कि हमारे से पर बोरी के हिसाब से पैस लिये जाते हैं तो हम ये पैसे कहां से भरें। क्या सरकार इस तरफ ध्यान देगी और इस बात की जांच भी करवायेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है ?

श्री लछमन सिंहः इस बारे में न कभी मुझे बूरा साहब ने बताया है और न संत कंवर जी ने बताया है। मेरे नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्षः मैं गवर्नमैंट से दर्खास्त करूंगा कि वह इस बारे में स्पै ाल रेडज और चैकस करवाएं।

श्री लछमन सिंहः वह तो हम पहले ही करवाते हैं।

चौधरी अजीत सिंहः मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि रोहतक जिले में जिन लोगों को पिछले महीने की चीनी नहीं मिली क्या उनको अगल महीने इकट्ठी दो महीने की चीनी दी जाऐगी ?

श्री लछमन सिंहः उनको चीनी जरूर मिल जाएगी। मैम्बर साहब मुझे गांवों के नाम बता दे, उनको पिछले महीने का कोटा भी अगले महीने में दे दिया जाएगा। मैं आज ही हिदायत जारी कर दूंगा।

श्री भले रामः अभी मुख्य मंत्री जी ने बताया कि अप्रैल के महीने से भाहर और गांव में हर व्यक्ति को 400 ग्राम चीनी दी जाएगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह 400 ग्राम चीनी जून तक ही मिलेगी या आगे भी मिलेगी ?

श्री अध्यक्षः मैं तो समझ रहा था कि आप मुख्य मंत्री जी को बधाई देंगे। (हंसी)

चौधरी जय नारायणः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ब्याह भाादियों के लिए गरीब, मजदूर और किसानों को एक दो बोरी चीनी कन्ट्रोल रेट पर देने का विचार करेंगे ?

श्री लछमन सिंहः ऐसा कोई प्रोवीजन नहीं है। चीनी तो बाजार में आम मिलती है। एक भारत ही ऐसा दे ा है जहां रा ान कार्ड पर 3.65 रू. प्रति किलो के हिसाब से चीनी दी जाती है वरना कहीं भी ऐसा सिस्टम नहीं है।

चौधरी गया लालः क्या मंत्री जी का जानकारी में यह बात है कि बहुत से डिपो होल्डर इन्सपैक्टर से मिल कर महीने के आखिरी टाइम यानी 29–30 तारीख को चीनी उठाते हैं और उसे दूसरे महीने में बांटते है। क्या मंत्री जी कोई हिदायत जारी करेंगे कि महीने की चीनी फलां तारीख तक डिपो पर पहुंच जानी चाहिए ?

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, हमने पहले ही डेट फिक्स की हुई है कि हर डिपो पर 15 तारीख तक चीनी पहुंच जानी चाहिए। लेकिन किसी वजह से अगर थोड़ी लेट हो जाए तो उसके कई कारण होते हैं जो मैं पहले बता चुका हूं। यह कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर किसी को एक महीने की चीनी नहीं मिलेगी तो वह दूसरे महीने जरूर मिलेगी।

श्री अध्यक्षः जब गया लाल जी बोल रहे थे तो दोनों साइड के मैम्बर साहेबान और कुछ मंत्रीगण भी इस बारे में एजीटेटिड फिल कर रहे थे। मैं गवर्नमैंट से रिकवैस्ट करूंगा कि इस पर वह स्ट्रिक्टली चैकस एंड बेलैंस रखे।

श्री लछमन सिंहः वह हम कर रहे है जी।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस को बताना चाहता हूं कि जिस गांव में किसी महीने की चीनी नहीं जाती है जैसे फर्ज करो मार्च के महीने की चीनी किसी डिपो होल्डर ने नहीं उठाई तो अप्रैल के महीने में दोनों की चीनी दी

जाएगी ताकि पिछले और चालू महीने यानी दोनों महीनों की चीनी लोगों को दी जाए। इस मामले में किसी गांव के साथ भी भेदभाव नहीं बरता जाएगा।

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, हमारा डिस्ट्रीब्यू ान का सिस्टम बहुत फूल प्रूफ है। वहां पर सरपंच के दस्तखत होते हैं, हरिजन पंच, हैड मास्टर और पटवारी के भी दस्तखत होते है। तो चार आदमियों का सर्टिफिकेट होता है। उसके बावजूद भी अगर किसी को कोई ि ाकायत है तो हम एम.एल.ए. के भी दस्तखत करवाने को तैयार है।

श्री देवी दासः अभी मंत्री जी ने बताया कि जब सैंटर से चीनी का कोटा कम आता है तो डी.सी. साहेबान उसको एडजस्ट करके कोटा कम दे सकते हैं। क्या साल में कोई ऐसा महीना भी आया है जब 100 या 200 ग्राम प्रति व्यक्ति चीनी किसी जिले में दी गई हो ?

श्री लछमन सिंहः ऐसा कोई केस नहीं हुआ है।

श्री बलदेव तायलः क्या मंत्री महोदय हिन्दुस्तान में इकोनोमिक डिसपैरिटी को देखते हुए कोई ऐसी पालिसी बनाएंगे कि इतनी इंकम से ऊपर के जो लोग हैं उनको रा ान की चीनी नहीं मिलेगी और जो गरीब लोग हैं केवल उन्हीं को मिलेगी ?

श्री लछमन सिंहः ऐसा कोई विचार नहीं है।

स्वामी अग्निवे ा: अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के अन्दर पांच लाख से भी अधिक मजदूर काम करने के लिए बाहर के प्रान्तों से आते है और वे 8–9 महीने प्रान्त में काम करते हैं। उनका कोई रा ान कार्ड नहीं होता, वे सबसे ज्यादा एक्सप्लायटड होते हैं क्या सरकार ऐसी स्कीम बनाएगी कि जितने दिन वे हरियाणा में सेवा करते हैं उतने दिन के लिए उनके रा ान कार्ड बना दिये जाएं ?

श्री अध्यक्ष: प्वायंट यह है कि माइग्रेटिड लेबर को रा ान कार्ड बनाने का अधिकार है या नहीं ?

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, हम माइग्रेटिड लेबर के लिए तीन महीने के लिए रा ान कार्ड बनाते हैं। उसके बाद अगर वह यहां सैटल हो जाता है तो अपना रा ान कार्ड रिनयू करवा सकता है। इस बारे में जैन साहब ने भी मुझे चिट्ठी लिखी थी तो मैंने उनको जवाब दिया था अगर कोई ऐसे केसिज हैं तो उनको मेरे पास भेजिये, हम बनवा देंगें

चौधरी पीर चन्द: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसे पहले भाादियों के लिए कन्ट्रोल रेट पर चीनी दी जाती थी क्या अब भी सरकार देने पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष: इस सवाल का जवाब पहले ही जा चुका है।

चौधरी संत कंवर: मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसे इन्होंने मेरे और बूरा साहब के सवाल के जवाब में बताया कि गांवों में 300 ग्राम चीनी प्रति व्यक्ति के हिसाब से दी गई है। मंत्री जी चार आदमियों की एक कमेटी बनाएं और मेरे साथ रोहतक जिले में भेजें तो मैं साबित कर दूंगा कि मेरी कांस्टीच्यूएंसी के अन्दर हर गांव में दो सौ ग्राम से ऊपर चीनी नहीं मिलती है।

श्री अध्यक्ष: हर बात के लिए कमेटी नहीं बन सकती। आप मंत्री महोदय की इस बारे एन् योर करने के बारे में कह सकते है। अभी मुख्य मंत्री जी ने ऐलान किया है कि अप्रैल के महीने से सब जगह 400 ग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से चीनी मिलेगी।

Pension benefits to Provincialised Doctors

***2630.@Sh. Fateh Chand Vij, Sh. Baldev Tayal:** Will the Minister for Health be pleased to state:-

(a) whether the pensionary benefits have been allowed to the doctors of the provincilaised Hospitals/dispensaries which were taken over by the Government;

(b) if so, the total number of doctors, as referred to in part (a) above, who became entitled to such pensionary benefits;

(c) the total number of doctors, out of those referred to in part (b) above, who applied for pension and the number out of those whose pensions have been sanctioned and are being disbursed to them;

(d) whether there are any doctors, out of those referred to in part (b) above, who have not been sanctioned pensions because their service books are not available and are missing as such have not been sanctioned so far;

(e) whether the Government proposes to grant pension to such doctors after obtaining their affidavits and production of indemnity bonds to avoid harassment to them; and

(f) in the alternative whether there is any proposal under consideration of the Government to disburse 75% of their pension to the doctors, referred to in part (d) above, pending disbursement of full pension subsequently?

स्वास्थ्य तथा पर्यटन मन्त्री (चौधरी गजराज बहादुर):

(ए) हां

(बी) ठीक संख्या उपलब्ध हैं ।

(सी) (1) 18 तथा) भून्य।

(डी) हां, 9

(इ) हां।

(एफ) नहीं।

श्री फतेह चन्द विज : मन्त्री महोदय ने सवाल के पार्ट (ए) वा जवाब दिया है कि 'हां' लेकिन इन्होंने टाइम नहीं बताया। 25 साल हो गए हैं क्या अभी तक इनके पास ठीक संख्या उपलब्ध नहीं हुई है कि कौन कौन से डाक्टर पैन् ान के हकदार हैं। आगे इन्होंने बताया है कि डाक्टरों ने पैन् ान के एप्लाई किया है और उनमें से 9 डाक्टरों की सर्विस बुकस नहीं मिलीं हैं जिस वजह से उनको पैन् ान नहीं दी गई। बाकी 9 डाक्टरों के बारे में भी पता नहीं कि उनको पैन् ान दी है या नहीं। जिन डाक्टरों की सर्विस बुक गुम हैं उनसे ये एफीडैविट लेकर फैसले के मुताबिक 75 प्रति ात पैन् ान दे देंगे। मैं अपनी सप्लींमैंटरी एक भोर के जरिए पूछना चाहता हूं –

मुसाफिर जब कोई जंगल में भटक कर मर गया

फिर कोई सदा देते हुए कारवां आया तो क्या।

श्री अध्यक्ष : अगर आप इस भोर का भीं नोटिस दे देते तो आपको भोर में ही जवाब मिल जाता हैं।

10.00 बजे

चौधरी गजराज बहादुर नागर : स्पीकर साहब, मैं फाजिल मैंम्बर साहब के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि जो जिला परिशद् और लोकल बाडींज के होस्पीटल हैं या दूसरीं बाडींज के हौस्पीटल हैं उनके डाक्टरों की सर्विस पैन् ानरी बैंनींफिट देने के लिए प्रोविन्सियलाइज्ड की गई थीं। इनको पहले

पैन्‍ ानरीं बैनींफिट देने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया था। इस समय जो निर्णय लिया गया है उसमें उनको दो बैनींफिट होगें। एक पैन्‍ ान का बैनींफिट होगा दूसरा पी0एफ0 का बैनींफिट होगा। पहलें किसी भीं सरकार ने यह निर्णय नहीं लिया कि प्रोविन्सिलाइज्ड डाक्टर्ज को पैन्‍ ान का बैनींफिट दे दिया जाए। लेकिन यह चौंधरी भजन लाल जीं की सरकार है जिसने 14–1–82 को यह निर्णय लिया है कि प्राविन्सियलाइज्ड डाक्टर्ज को पैन्‍ ान का बैनींफिट दे दिया जाए। 14–1–82 के निर्णय के बाद ऐसे 18 केसिज पैन्‍ ान के ए0जीं0 आफिस में भेजे जा चुके हैं। इसके अलावा हमने यह पब्लिसिटी भी करा दी है कि यदि किसी डाक्टर की सर्विस प्रोविन्सिलाइज्ड की गई है और वह पैन्‍ ान का हकदार हैं तो वह एप्लाई करे। यदि किसीं की सर्विस बुक नहीं मिल रही है तो वह एफींडैविट देकर हमारे पास एप्लाई कर सकता हैं।

डा0 बृज मोहन गुप्ता : स्पीकर साहब, जिन डाक्टरों की सर्विस प्रोविन्सिलाइज्ड की गई थीं, यदि डेथ हो चुकी है और उनके बच्चे या बींवी पैन्‍ ान के लिए एप्लाई करते हैं और कहते कि हम पैन्‍ ान के हकदार हैं तथा हमारी इतनीं पैन्‍ ान डय हैं। वह पैन्‍ ान के लिए एफिडैविट भी दे दे तो मैं मंत्री जीं से यह चाहता हूं कि क्या सरकार उनको पैन्‍ ान देने के लिए तैयार हैं ?

चौधरी गजराज बहादुर नागर : स्पीकर साहब, पैन्‍ ान का बैनींफिट देने के लिए जिस पैट्रन पर एजूके ान ने सिस्टम

एडाप्ट किया हैं उसी प्रकार से हैल्थ डिवार्टमैंट एडाज्ट करेगा। यदि रूल्ज में ऐसा प्रोविजन होगा तो अव य कंसीडर करेंगे।

श्री बलदेव तायल : स्पींकर साहब, मंत्री जी ने सवाल के पार्ट 'ख' का जवाब दिया हैं कि ठीक संख्या उपलब्ध नहीं हैं। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इनको फिगर बताने में क्या कठिनाई हैं ? ये सहीं फिगर क्यों नहीं बता पाते ?

चौधरी गजराज बहादुर नागर : स्पींकर साहब, मैं यह पहले हीं अर्ज कर चुका हूं कि इस बारे में 14—1—82 को निर्णय लिया गया है और हम इस इंतजार में हैं कि जो कलेंमैटस हमारे पास आएंगे वे अपना एफींडैविट देंगे कि हम पैन ान के हकदार हैं उनको पैन ान देने के लिए कंसिडर किया जाएगा। हमने ऐसे 18 केसिज ए0 जी0 आफिस में भेज दिए हैं। यदि आज मैं यह कह दूं कि उनकी संख्या 20 हैं और कल को उनकी संख्या 30 हो जाती है तो गलत स्टेटमैंट हो जाऐगी।

Duplicate Roads

***2635. Ch. Ude Singh Datal :** Will the Minister for Public works (B & R) pleasaed to state whether there is any proposal under consideration of the Government to metal those duplicate roads, if any, in the State on which earth work has already been done : and if so, the time by which metalling work is likely to be completed ?

लोक निर्माण मन्त्री (कंवर राम पाल सिंह) : जिन दोहरीं सड़कों पर लोक निर्माण विभाग द्वारा मिट्टीं का काम किया जा चुका है, वे सभी पक्कीं कर दी जायेंगी। परन्तु इस समय यह बताना संभव नहीं कि ऐसा कब तक तय कर दिया जाएगा।

चौधरी उदय सिंह दलाल : स्पींकर साहब, आज से दो साल पहले मुख्य मंत्री जी ने हाउस में यह अनाउंसमैंट कीं थीं कि जिला परिशद्, मार्किट कमेंटी और ब्लाक समति की जितनीं रोडज है, उनको पी0डब्ल्यू0 डी0 ने प्रोविन्सिलाइज्ड कर दिया हैं और उनकी मुरम्मत करवा दीं जाएगी। मैं मंत्रीं जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रीं जीं के नोटिस में मुख्य मंत्री जीं की वह बात हैं ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि रोहतक में जिला परिशद्, मार्किट कमेंटी और ब्लाक समिति कीं जितनी रोडज हैं वे सारी टूटी हुई हैं मु ख्य मंत्री की अनाउंसमैंट के बाद भी उनकी मुरम्मत आज तक नहीं हुई हैं, उन रोडज की मुरम्मत कब तक करवा दीं जाएगीं ?

कंवर राम पाल सिंह : स्पींकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने हाउस में जो अनाउंसमैंट की थीं उसके मुताबिक जिला परिशद्, मार्किट कमेटीं और ब्लाक समितियों की रोडज पी0 डब्ल्यू0 डीं0 ने प्रोविन्सिवलाइज्ड कर दीं हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि ज्यों–ज्यों हमारे पास फण्डज आते जा रहे हैं, हम रोडज की मुरम्मत करते जा रहे हैं। रोडज की मुरम्मत करना फण्डज की अवेलेबिल्टी पर डिपैंड करता हैं चाहे कोई सड़क ब्लाक समिति की

हो, चाहे मार्किट कमेटीं की हो। इस समय हमारे पास फण्डज अवेलेबल नहीं हैं।

श्री जय नारायण वर्मा : स्पीकर साहब, मेरे हल्के में कुछ रोडज पर मिट्टी भी डल चुकी थी और ईटे भी आ चुकी थीं लेकिन वहां से ईटें उठा ली गई हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिन रोडज पर मिट्टी डल चुकी हैं और ईटें भीं डल चुकीं हैं क्या उन रोडज की मुकम्मल करवाएंगे ?

कंवर राम पाल सिंह : स्पीकर साहब, मैंने सवाल के जवाब में यह स्पश्ट कर दिया है कि जिन सड़कों पर लोक निर्माण विभाग ने मिट्टी डाल दी हैं उनको अव य ही पक्का कर दिया जाएगा। लेकिन समय के बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता हैं कि कितने समय के अन्दर रोडज को पक्का कर दिया जाएगा। यह फण्डज की अवेलेबिल्टी पर डिपैंड करता हैं।

कामरेड भांकर लाल : स्पीकर साहब, मेन रोड से जो लिंक रोडज बने हैं वे कई जगहों पर मुकम्मल नहीं बनें हैं। इसके अलावा कई ऐसे गांव हैं जहां डबल रोडज की आव यकता हैं। मैं आपको सिरसा जिलें के कुछ गांवों के नाम बताना चाहता हूं जिनमें डबल लिंक रोडज की आव यकता हैं । सिरसा जिलें में एक लिंक रोड फुलका से कंवरपुरा तक बनाने की आव यकता हैं क्योंकि जो पहले रोड बना हुआ हैं, उस रोड से इन गांवों के आदमियों की 10 किलोमीटर का फासला तय करके आना जाना

पड़ता है जबकि इन गांवों का फासला सिर्फ दो किलोमीटर का हैं। इसी तरह से भरोंका से सुवाना और दड़बी से जोदां लिंक रोड बनाने की आव यकता हैं क्योंकि इन गांवों के आदमियों को भी काफी फासला तय करके एक दूसरे गांव में आना जाना पड़ता हैं। इसके अलावा नेजा डेला से क्राडा लिंक रोड बनना चाहिए और केलीराना से अहमदपुर तक का लिंक रोड बनना चाहिए ताकि लोगों को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। इस समय इन गांवों के लोगों को बहुत ज्यादा फैसला तय करके एक दूसरे गांव में आना पड़ता हैं। किसी गांव का फसला 10 किलोमीटर का हैं और किसी का 8 किलोमीटर का हैं। ये सारे गांव मेरे हल्के में हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इन गांवों के छोटे–छोटे , दो–दो किलोमीटर के लिंक रोडज बनाए जाएंगे ?

कंवर राम पाल सिंह : सरकार पहले से हीं इन सब बातों का ध्यान रख कर अपना काम कर रही है कि यदि किसी गांव में छोटी सी सड़क बनाने से फासला कम हो सकता है तो उसकी पहले बनाया जाये।

चौधरीं ई वर सिंह : स्पींकर साहब, मैं आपकी इजाजत से पूछना चाहता हूं कि दोहरे लिंक रोड बनाने का क्या क्राईटेरिया हैं ? दूसरा यह हैं कि यदि किसीं गांव के लोग सड़क पर मिट्टी डाल दें तो क्या उन सड़कों को बनाने में सरकार प्रासरिटी देगी ?

कंवर राम पाल सिंह : मैंने हाउस से पहले भी बताया हैं कि सरकार ने पहले ही काफी सिंगल रोडज बना दिए हैं सिवाए 173 सड़कों कें। अब बजट प्लान के मुताबिक सड़कों का जो काम किया जाना हैं वह दोहरे लिंक रोडज का करना हैं। मैंने पहले भी बताया हैं कि यदि किसी सड़क के जोड़ने से हैड क्वार्टर, तहसील या ब्लाक नजदीक पड़ेगा तो उसको पहले बनाया जाऐगा। (ाोर) जहां तक क्राईरियों की बात हैं उसमें यह देखा जाता हैं कि डबल लिंक बनाने से कितना फासला कम हो सकता हैं बजट में कितना पैसा हैं और सड़क की कितनी लम्बाई हैं इन सब बातों को ध्यान में रखकर दोहरे लिंक रोडज बनाते हैं। जहां तक इनका दूसरा सवाल हैं कि यदि गांव के लोग मिट्टी डाले दें तो क्या वहां पर सरकार सड़क बना देगी। इस संबंध में ही अपने दोस्त को बताना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हैं और न ही यह मामला विचाराधींन हैं। यह बात जरूर हैं कि ऐसी सड़कें जहां पर मिट्टी डाल दी गई हो उन्हें पहलें बनाया जाएगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो सड़के सरकार की तरफ से बनने के लिए 2–3 साल पहले पास हो गई थीं, क्या उनको बनाये जाने के लिए प्राथमिकता देगें। क्योंकि भिवानी जिले में कोई काम नहीं हुआ हैं इस लिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी सड़कों को बनाने की कोि ा ा करेंगे ?

कंवर राम पाल सिंह : स्पीकर साहब, अब हमारा सबसे पहला काम यह है कि जिन गांवों की आबादी 150 और 250 के बीच में हैं और वहां पर सड़कें नहीं हैं, वहां पहले बनाने की परपोजल हैं। (ाोर)

डा0 मंगल सैन : स्पीकर साहब, अभी मंत्री जी ने बताया हैं कि विभाग ने जिन सड़कों को बनाये जाने के लिए मिट्टी डाल दी हैं, उनका काम पूरा कर देगे। लेकिन इन्होंने यह नहीं बताया कि 6 महीनें में पूरा कर दें गे, एक साल में पूरा कर देगे या इस प्लान में पूरा कर देगे या दूसरे प्लान में पूरा कर दें गे। इन्हें कोई समय तो बताना चाहिए कि इतने समय के अन्दर–अन्दर सड़क बना दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष : मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जहां पर विभाग ने मिट्टी डाल दी हैं वहां पर सड़क पहले बनाई जायें क्योंकि मिट्टी डालने के बाद जब बारि ा हो जाती हैं तो वह सारी मिट्टी बह जाती हैं ।

कंवर राम पाल सिंह : स्पीकर साहब, मैंने पहले भी कहा हैं कि जिन सड़कों पर विभाग की तरफ से मिट्टी डाल दी गई हैं, उनको पहले बनाया जाऐगा। विभाग को भी इस बात का पता हैं कि यदि उनको नहीं बनाया जाऐगा तो उनका नुकसान हो जाऐगा। मैं फिर भी कहता हूं कि ऐसी सड़कों को बनाने के लिए हम प्रायरिटी दें गे। इस समय विभाग ने लगभग एक हजार

किलोमीटर लम्बाई की सड़कों पर काम भुरू किया हु आ हैं । इस काम को पूरा करने के लिए आज की कीमतौं को ध्यान में रखते हुए 23 करोड़ की आव यकता हैं। यदि हमारे पास 23 करोड़ रूपया उपलब्ध हो जाये तो हम सारा काम एक साल में ही पूरा कर देंगे।

श्री बलदेव तायल : स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इन्हौंने मेरे हल्के के साथ कोई भेदभाव नहीं किया क्योंकि आज तक कोई दोहरी सड़क नहीं बनाई गई हैं। लोगों की तरफ से मेरे पास कोई ि ाकायत नही आई कि फलां हल्के के अन्दर दोहरी सड़क बन गई हैं, फलां में नहीं बन रही। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये मेरे हल्के के अन्दर 100 मीटर, 10 गज या एक किलोमीटर दोहरी सड़क बनवा देंगे। यदि ये 5 गज या 10 गज भी दोहरी सड़क बनवा दें तो इनकी बड़ी मेहरबानी होगी । (ाोर)

कंवर राम पाल सिंह : स्पीकर साहब, इस समय मेरे पास सूचना नहीं हैं कि इनके हल्के में कितना काम हुआ हैं और कितना नहीं हुआ हैं । यदि ये पूछना चाहते है तो मैं इन्हें बाद मैं बता दूंगा।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) : स्पीकर साहब, अभी कुछ दिन पहले मैं हांसी तहसील में उमरा गांव में गया था। वहां

पर मैं 5 किलोमीटर दोहरी सड़क मंजूर करके आया था। उस पर दो महीने के अन्दर अन्दर काम भुरू हो जाऐगा।

Shri Baldev Tayal : He is misleading the House. He has sanctioned not a single meter of double road. (Interruptions) Let him name the road. (Interruptions) Sir, he is misleading the House. He should withdraw his statement or name the village where duplicate road is being constructed.

चौधरी भजन लाल : अभी एक हफ्ता पहलें मैं वहां होकर आया हूं ।

श्री बलदेव तायल : आप यहां उस रोड का नाम बता दे आपने रोड को वाईडन करने की बात की है। आप जब कभी पहले दौरे पर गए थे तब आपने इस काम को करवाने का वायदा किया था। चूंकि वह काम हुआ नहीं था इसीलिए अब आपने दुबारा वायदा किया हैं ।

परिवहन मंत्री (**श्री जगन नाथ**) : स्पीकर साहब, वहां डुप्लीकेट लिंक बन रहा हैं। (ाोर)

Shri Baldev Tayal : There is no duplicate road. I object to his replying to my question. Shri Jagan Nath is not the Minister concerned. He has no business to reply (Interruptions). He is speaking without your permission, Sir.

श्री मूल चन्द जैन : स्पीकर साहब, हमें आपकी प्रोटैक ान चाहिए। उनको इस तरह से बीच में बोलने से आप रोकें। यह कोई तरीका नहीं हैं।

Mr. Speaker : According to the rules any Minster can reply. If anything is within his knowledge and he wishes to reply on behalf of the Pubic Works Minister, I have no objection.

श्री मूल चन्द जैन : अफसोस की बात तो यह कि वे आपकी इजाजत के बगैर खड़े होते हैं।

श्री अध्यक्ष : इजाजत के बगैर तो कई मेरे दोस्त आपकी तरफ से भी खड़ें होते हैं और इधर से भी खड़ें हो जाते हैं।

श्री मूल चन्द जैन : आप कृपया किसी मैम्बर का मिनिस्टर से तो मुकाबला न करें ।

श्री बलदेव तायल : स्पीकर साहब, सोचने की बात तो यह है कि क्या एक ही सवाल का जवाब, मुख्य मंत्री जी भी देंगे, पी0डब्ल्यू0डी0 मिनिस्टर भी देंगे और श्री जगन नाथ जी भी देंगे ? (विघ्न)

श्री जगन नाथ : स्पीकर साहब, श्री बलदेव तायल की कांस्टीच्यूएंसी हांसी हैं । हांसी में एक गांव हैं उमरा। उमरा से 8–9 किलोमीटर की दूरी पर सुल्तानपुर गांव हैं। सुल्तानपुर से

वहां को एक सड़क जाती हैं । फिर एक गांव है क्वारी। वह मेरे हल्के में है। उमरा से उस साईट को भी एक सड़क जाती है। (विघ्न) अगर इनको भाक हैं तो अभी एस0 डी0 ओ0 और एक्सीयन ने इन्फर्मे ान मंगवाई जा सकती हैं । यह इस बात को नहीं कह सकते कि वहां डुप्लीकेट लिंक नहीं हैं ।

श्री बलदेव तायल : स्पीकर साहब, मैंने डुप्लीकेट रोड की बात की हैं, डुप्लीकेट लिंक की बात नहीं की है। ये इसको कंफ्यूज कर रहे हैं।

राव राम नारायण : स्पीकर साहब, मेरे हल्के में दस सड़कें ऐसी हैं वे अगर बन जाएं तो लोगों को तहसील हैडक्वार्टर और ब्लाक हैडक्वार्टर तक जाने के लिए 5 से 10 किलोमीटर तक का सफर कम हो जाता हैं । इन सड़कों के बारे में मैं तीन दफा मिनिस्टर साहब को कह चुका हूं कि मुख्य मुत्री जी ने इन्हें बनवाने के लिए अ यौरेंस दी हुई हैं । इस बार जब मंत्री जी से इस बारे में मैंने सवाल किया तो जवाब यह आया कि अभी इनको बनाने का कोई प्रोग्राम नहीं हैं। क्या मैं इनसे पूछ सकता हूं कि इन्हें ये कब तक बनाएंगे ?

कंवर राम पाल सिंह : अगर मुख्य मंत्री जी ने इस सड़कों को बनवाने का एलान किया होगा तो अव य इन्हें मंजूर करके बनवाया जाएगा।

श्रीमती डा0 कमला वर्मा : स्पीकर साहब, कुछ इन्टरडिस्ट्रिक्टस रोडज हैं जिन्हें जिलों के एक्सीयन्ज बनाने में कुछ कठिनाई महसूस कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अम्बाला जिला में एक गांव जयपुर हैं और कु रूक्षेत्र जिलें में एक गांव अल्हर हैं । इन दोनों को एक सड़क से जोड़ा जाना हैं लेकिन यह सड़क पिछले चार साल से नहीं बन रहीं हैं । क्या मंत्री जी ऐसी सड़कों को बनवाने के लिए भी कोई कदम उठाएंगे?

कंवर राम पाल सिंह : स्पीकर साहब, इन्होंने खुद ही कहा है कि उन सड़कों को बनाने में कुछ कठिनाइयां आ रहीं है। उन कठिनाईयां को दूर करके ही महकमा ऐसी सड़कों को बना सकता हैं ।

कंवर विजय पाल सिंह : स्पीकर साहब, माननीय गृह मंत्री जी ने 1968–69 में सोहना से बल्लभगढ़ वाया सिरथला एक सड़क बनवाई थी। वहां सिराला ड्रेन के ऊपर सिरथला गांव के पास एक पुल बनना था। उसके लिए गृह मंत्री जी ने भी कई बार प्रयत्न किए और मैं भी पांच साल से आग्रह करता आ रहा हूं। ड्रेन के एक ओर हाई स्कूल हैं और दूसरी तरफ तीन चार गांव हैं। बरसात के दिनों में 50–100 बच्चे हाई स्कूल नहीं जा सकते। क्या मंत्री जी उस पुल को भीघ्र बनवाने की कृप्या करेगें ?

कंवर राम पाल सिंह : स्पीकर साहब, इसका मैं औफ हैन्ड कोई जवाब नहीं दे सकता ।

श्री अध्यक्ष : इस बारे में मैं कहूंगा कि डिप्टी स्पीकर साहब ने जो पुल की बात कही है, लगता हैं कि वह बड़ा जरूरी ब्रिज हैं । इसीलिए बेहतर होगा अगर सरकार उसके ऊपर भीघ्रता से काम करवाए।

चौधरी भजनलाल : स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब ने बिल्कुल ठीक प्वायंट रेज किया हैं और पुल बनना बहुत जरूरी लगता हैं । मैं इन्हें आपके द्वारा वि वास दिलाता हूं कि तीन महीने के अन्दर उसका काम भुरू करवा दिया जाएगा।

चौधरी रिजक राम : स्पीकर साहब, चौधरी मेंहर सिंह जी जब पब्लिक वर्कस मिनिस्टर थे तो चार साल पहले एक सड़क पर, जो संजय गांधी रोड के नाम से म ाहूर हैं, लौगों ने मिट्टी डाली थी। संजय गांधी भी वहां त ारीफ लाए थे और उन्होंने भी मिट्टी डालने का काम देखा था। इन्होंने उस वक्त यह अ योरेंस दी थीं कि उस सड़क को जल्दी पक्का बनवा दिया जाएगा लेकिन वह अभी तक पक्की नहीं बनीं। क्या मंत्री जी फरमायेंगे कि उसे कब तक पक्की बनवा दिया जाएगा ?

कंवर राम पाल सिंह : स्पींकर साहब, यह क्वै चन एक जनरल क्वै चन था। अगर माननीय सदस्य किसी पर्टिकुलर रोड में इंट्रैस्टिड है तो ये उसके लिए नोटिस दें मैं जवाब दे दूंगा।

मास्टर जोगी राम : स्पीकर साहब, जो सड़क आज मंजूर होती हैं उस पर भी मिट्टी पड़ती हैं और जो सड़क 6

महीने बाद मंजूर होती हैं उस पर भी मिट्टी पड़ती हैं लेकिन जिस सड़क पर 6 महीने बाद मिट्टी पड़ती है वह तो पहले बन जाती हैं और पहले वाली रह जाती हैं । क्या मंत्री जी बताएंगे कि उसके लिए पैसा कहां से आ जाता हैं ?

कंवर राम पाल सिंह : स्पीकर साहब, मेरे नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं है। अगर माननीय सदस्य इस तरह की कोई बात मेरे नोटिस में लाएंगे तो उसको कंसिडर कर लिया जाएग।

चौधरी बीरेन्द सिंह : स्पीकर साहब, एक सवाल तो मुझे आपसे निवेदन करना हैं ।

श्री अध्यक्ष : पूछिए ।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, इन बैंचिज पर पीछे तक मंत्री लोग बैठे हैं। जब हम खड़े होते हैं तो आप भाायद समझते होगें कि कोई मंत्री ही होगा। हमारी तरफ आपका ध्यान नहीं जाता। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप जब भी खड़े होते हैं मैं सबसे पहले आपकी टाईम देता हैं । (विघ्न)

चौधरी बीरेन्दे सिंह : स्पीकर साहब, जिन सड़कों की गवर्नमैंट से ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऐप्रूबल हो चुकी हैं, महकमें से ऐस्टीमेटस सैंक ान हो चुके हैं, उनके बारे में इंजीनियर–इन–चीफ से एस0 ईज0 को एक सर्कुलर गया हैं और

एस0ईज0 ने उसे आगे ऐक्सीयन्ज को भेजा हैं उसमें लिखा हैं कि ऐसी सड़कों पर काम भ्रारू न किया जाए वर्ल्ड बैक का पैसा जब अप्रैल या किसी ओर महीने में मिलेगा तब इन पर काम भ्रारू किया जाएगा। (विघ्न) कल मंत्री जी ने एक सवाल के जवाब में यह कहा था कि अभी उस पैसे के आने की उम्मीद नहीं हैं लेकिन ये जल्दी ही उनसे पैसा लेने की कोि ा ा करेगें। मैं जी से पूछना चाहूंगा कि वर्ल्ड बैंक से पैसा आने के प्रिटैक्सट पर जो रोडज बंद की हुई हैं और जिन की ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऐप्रूवल हो चुकी हैं उन पर काम कब भ्रारू करेंगे ?

कंवर राम पाल सिंह : स्पीकर साहब, वर्ल्ड बैंक अथोरिटी से हमारी कई मीटिंगें हो चुकी हैं । यह हमारे बस की बात नहीं हैं कि हम वर्ल्ड बैंक को किसी प्लान को मंजूर कराने के लिए मजबूर कर सकें। हमारी ओर से प्रयत्न जारी हैं । जब भी वर्ल्ड बैंक से प्लान मंजूर हो जायेगाी हम काम भ्रारू कर दैंगे। अब हमारे पास फण्डज नहीं हैं । वर्ल्ड बैंक से पैसा लेने के प्रयत्न किये जा रहे हैं । ज्यों ही फण्डज मिल जायेगें, कार्य आरम्भ कर दिया जाऐगा

श्री अध्यक्ष : मैम्बर साहेवान, अब सवालों का समय समाप्त होता हैं ।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकिम प्र नों के लिखित उतर

Sugar Mill at Palwal

***2759. Shri Mool Chand Mangla :** Will the Minister for Cooperation be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Goverment to set up a Sugar Mill at Palwal ; and

(b) if so, the location thereof ?

सहकारिता तथा योजना मंत्री (ठाकुर बीर सिंह) :

(क) जी हां।

(ख) इस समय तक कोई स्थान नहीं चुना गया हैं।

Registration of Ayurvedic and Unani Practitioners

***2831. Shri Mool Chand Jain :** Will the Minister for Health be pleased to state-

(a) the number of applications received for registration as Ayurvedic and Unani Practitioners during the prescribed period in the State and the number disposed of so far; and

(b) whether any new applications are being received for the purpose, referred to in part (a) above; if so, the total number received during the year ending 28-2-1982 ?

स्वास्थ्य तथा पर्यटन मंत्री (चौधरी गजराज बहादुर नागर) :

(क) 24165, सब का निपटान किया जा चुका हैं ।

(ख) जी हां, दिनांक 1–7–1972 से 28–2–1982 तक 2900 आवेदन पत्र प्राप्त हो चुके हैं ।

Deaths in the custody of Police

***2794. Chaudhri Karam Singh :** Will the Minister for Home be pleased to state the number f deaths, if any, occurred in the State in the custody of police during the last one year ?

गृह मंत्री (श्री कन्हैया लाल पोसवाल) : गत एक वर्श में पुलिस हिरासत मैं कथित मृत्यु के दो मकुदमें दर्ज किये गय थे । एक मुकदमा में एफ0आई0आर0 नं 0 147, तिथि 11–6–81 धारा 364/302/201 भा0द0स0 थाना बरवाला दर्ज हुई थी, जो न्यायालय में विचाराधीन हैं । दूसरा मुकदमा जो नारनौल थाने का हैं, आत्म हत्या का पाया गया था।

Patients dmitted in Civil Hospital, Sonepat

***2821. Shri Devi Dass :** Will the Minister for Health be pleased to state-

(a) the number of patients admitted in Civil Hospital, Sonepat, during the period from January, 1981 to February, 1982; and

(b) the number of patients, if any, out of those referred to in part (a) above, who died together with the names

and addresses of such patients, alongwith the dates on which deaths occurred, separately ?

Health and Tourism Minister (Ch. Gajraj Bahadur Nagar) :

(a) 6614.

(b) 191. The information regarding the names and addresses on such patients alongwith the dates on which the deaths occurred is placed on the Table of the House as Annexure.

Annexure

January 1981 to December 1981

Sr.	Name of patient died	Address	Date of Death
1	2	3	4
1.	Baby Krishna	V.P.O. Dulana Sonepat	2-1-81
2	Omi Devi W/o Kali Ram	V& P.O. Tihar Sonepat	4-1-81
3	Tek Chand S/o Bundi Ram	V & P.O. Baga Sonepat	5-1-81
4	Ash Kumar S/o Ram Nad	Double Manjil Railway line	5-1-81

5	Baby S/o Ram Phal	V & P.O. Raipur Sonepat	9-1-81
6	Sat Narain S/o Dharam Veer	Rajlugari Sonepat	9-1-81
7	Kala Wati S/o Raghubir Singh	H. NO. 929 Ganore	11-1-81
8	Madan Lal S/o Thakur Dass	2/12 Ashok Nagar Sonepat	22-1-81
9	Nayamat Ram S/o Dalja Ram	Jamal Pura Near Sadar	24-1-81
10	Baby S/o Sukhbir Singh	Arya Nagar Sonepat	30-1-81
11	Harphool Singh S/o Ramji Lal	V & P.O. Pritam Pura Sonepat	16-2-81
12	Pappu S/o Jai Pal	V & P.O. Shyamabar Sonepat	9-2-81
13	Khajani S/o Ram Singh	Near Sadar Thana Sonepat	9-2-81
14	Ashoka S/o Jai Pal	V & P.O. Tharu Sonepat	20-2-81
15	Rekha D/o Tulsi Dass	Roop Nagar Sonepat	21-2-81
16	Vasdev S/o Dubuder	Mashed Muhalla	21-2-81

		Sonepat	
17	Ajmat D/o Som Deen	V & P.O. Devru Sonepat	26-2-81
18	Anita D/o Kehar Singh	H. NO. 783, Krishna Pur Ganore	2-3-81
19	Amar Mati D/o Atam Ram	V & P.O. Kherkhoda Near Thana Sonepat	12-3-81
20	Dr. Ram Gopal S/o Krishan chand	V & P.O. Ganore Sonepat	22-3-81
21	Kitabi W/o Surap Singh	Harsana Kalan Sonepat	26-3-81
22	Deepak S/o Ram Niwas	V & P.O. Gohana Sonepat	27-3-81
23	Poonam D/o Ram Kumar	V & P.O. Godwala Sonepat	28-3-81
24	Mukesh S/o Jai Bhagwan	Muhalla Kou Mandi Sonepat	28-3-81
25	Kaka Wati W/o Tola Ram	Jiwan Jagar Sonepat	29-3-81
26	Karan Singh S/o Dario Singh	V & P.O. Nadi Pur Sonepat	31-3-81
27	Un Known /Dario Singh S/o Nanak	----------	11-4-81

	Chand		
28	Dharam Singh	V & P.O. Fajil Pur Sonepat	22-4-81
29	Murti Devi W/o Anoop Singh	Garhi Bhawan Wali Sonepat	23-4-81
30	Radhe Sham S/o Shalu	V & P.O. Garsoli Sonepat	29-4-81
31	Baby D/o Dharam Bir	Near Police Line Sonepat	1-5-81
32	Kisan Chand S/o Chanden Ram	H.NO. 576, Krishan Pura Sonepat	1-5-81
33	Savitari W/o Shriniwas	V & P.O. Mehlana Sonepat	2-5-81
34	Jai Bhagwan S/o Pala Ram	Rathdhana	28-4-81
35	Ram Kumar S/o Zile	V & P.O. Kakroi	2-5-81
36	Takh Singh S/o Jaso Ram	Button Factory Sonepat	2-5-81
37	Kavita D/o Ram Kishan	Jharot	4-5-81
38	Daleep S/o Lahri Singh	Khijan Pur Majra Sonepat	4-5-81

39	T. Majumdar S/o Narain	Muha Kalan Sonepat	5-5-81
40	Bajinder S/o Prithi	V & P.O. Kasoli Sonepat	14-5-81
41	Bhola Singh S/o Vijay Singh	V & P.O. Batganu Sonepat	18-5-81
42	Krishana W/o Girdhan Lal	V & P.O. Jatwara Sonepat	20-5-81
43	Vinod S/o Hukam Chand	V & P.O. Murthal Sonepat	22-5-81
44	Parween S/o Rambir Singh	H.NO. 3/3 Krishan Nagar Sonepat	24-5-81
45	Mukesh S/o Dharam Pal	V & P.O. Near Majra Sonepat	26-5-81
46	kela Devi W/o Ram Krishan	V & P.O. Dandhwa Sonepat	27-5-81
47	Ram Kishan S/o Hari Singh	Do	27-5-81
48	Ram Devi W/o Jesa Ram	Muh Gari Sonepat	28-5-81
49	Dharma W/o Abhey Ram	V & P.O. Jagsi	29-5-81
50	Net Ram S/o Motu	Rajinder Nagar	30-5-81

	Ram	Sonepat	
51	Lalita D/o Rajinder	Rathdhana Sonepat	31-5-81
52	Rambir S/o Manohar Lal	Jat Joboi Sonepat	4-6-81
53	Aruna S/o Dev Anand	H.NO. 5/20 Ashoka Nagar Sonepat	4-6-81
54	Jaswanti Rai S/o Ameer chand	H.NO. 25 Mashed Muhalla Sonepat	4-6-81
55	Surinder Kumar S/o Dharamveer	Shahura Sonepat	5-6-81
56	Dharam Veer S/o Chander Lal	V & P.O. Tajpur Sonepat	6-6-81
57	Diwan Singh S/o Rajuta Singh	Kher Majra Sonepat	8-6-81
58	Bhola Nath S/o Ganesh Dass	Double storey H.NO. 110 Sonepat	9-6-81
59	Rattan S/o Unknown	unknown	10-6-81
60	Khajani w/o Bhartu	Kheri Gujar Sonepat	12-6-81
61	Sant Kumar S/o Kali Deen	Braham Colony Sonepat	12-6-81
62	Tanju S/o Mani Ram	H.NO. 3/148 Prabhu Nagar Sonepat	16-6-81

63	Chand Kaur W/o Chet Ram	Muhala Mashed Sonepat	17-6-81
64	Shish Kaur W/o Bhoop Singh	Kharkhoda Sonepat	20-6-81
65	Menki D/o Subhas	Housing Colony Sonepat	23-6-81
66	Sunil S/o Jaghbir Singh	Railway Stn. Indira Park Bahadurgarh	23-6-81
67	Naresh S/o Hari Chand	Four Marla Sonepat	23-6-81
68	Vajeer S/o Mange Ram	Badhana	26-6-81
69	Rajinder S/o Kalen	V & P.O. Kulana	26-6-81
70	Gian Devi W/o Gurdial	Bara Mandir Kholi Wali Gali Sonepat	27-6-81
71	Seela D/o Shey Ram	Shehjadpur Sonepat	29-6-81
72	Bharpati W/o Daran Singh	Shehjadpur Sonepat	29-6-81
73	Nartum S/o Laxmi Chand	Darwa P.S. Rai	30-6-81
74	Kavita D/o Shiv Chand	D.T. Khana colony Sonepat	4-7-81

75	Shanti W/o Chander	Uleti	8-7-81
76	Seema D/o Seva Ram	Gur Mandi Sonepat	11-7-81
77	Ram Dass S/o Abhey Ram	Kakroi Sonepat	12-7-81
78	Suman D/o Ram Mehar	Bizlana	17-7-81
79	Rajesh S/o Jille Singh	V & P.O. Gariwala Sonepat	15-7-81
80	Baby Shabo D/o Ram Mehar	Ganore Sonepat	15-7-81
81	Shinda D/o Jai Bhagwan	Bhatguna	17-5-81
82	Bhushan S/o Daya Nand	Gari Ghaseta Sonepat	21-7-81
83	Un known S/o Unknown	Unknown	24-7-81
84	Baby D/o Huskam Chand	Jatwara	23-7-81
85	Jundei Singh S/o dharama	Majra Pharmaner sonepat	25-7-81
86	Sonu S/o Preetam	Hem Nagar Sonepat	25-7-81
87	Baby D/o Ved Singh	kunda Gadi	27-7-81

88	Raj Pal S/o Ram Kishan	Bhatganu Sonepat	31-7-81
89	Pomby S/o Tilak Ram	Near Sarang Cinema Sonepat	30-7-81
90	Baby D/o Ramesh	Ram Nagar Sonepat	31-7-81
91	Baby Ran Devi D/o Han Chand	Garhi Ghanta Sonepat	1-8-81
92	Chetni W/o Dholu Ram	H.No. 11 Ashok Nagar Sonepat	3-8-81
93	Baby D/o Roshan	Near Railway Phatak Sonepat	4-8-81
94	Papoo S/o Suraj Bhan	V & P.O. Jhari Sonepat	4-8-31
95	Bindu D/o Anut Kumar	H.NO. 74 Model Town Sonepat	5-8-81
96	Veer Bhan S/o Shiv Dayal	V & P.O. Ganer	12-8-81
97.	Baby S/o Birbal	Mohalla Bhaton Kalan	13-8-81
98	Vikas S/o Meh Singh	Pundour Nagar Sonepat	14-8-81
99	Baku Kewri W/o Rattan Singh	Baeyan Pal Sonepat	14-8-81
100	Mehar Dass S/o Kedar Singh	Mishan Road Sonepat	14-8-81

101	Pinki D/o Krishan Chand	V & P.O. Jhari	17-8-81
102	Baldev S/o Kaslu Ram	Ram Nagar Sonepat	17-8-81
103	Janki W/o Chander	V & P.O. Bhidran Sonepat	20-8-81
104	Aruna D/o Om Parkash	Jeewan Nagar Sonepat	21-8-31
105	Sombir S/o Bhaga Singh	V & P.O. Guna Sonepat	21-8-81
106	Puja S/o Gopi Ram	Jamalpur sonepat	23-8-81
107	Bhar Pal w/o Suraj Bhan	H.NO. 707 Ram Nagar Sonepat	25-8-81
108	Om Dutt	Kakpur	29-8-81
109	Baby S/o Sunder	V & P.O. Tihar	28-8-81
110	Nirmal W/o Napha Singh	V & P.O. Mahra	30-8-81
111	Kalla w/o Partap Singh	V & P.O. Kheri	31-8-81
112	Bhole Ram S/o Mukhtiar Singh	Rest House P.W.D.	30-8-81
113	Narang Singh S/o Hoshiar Singh	V & P.O. Hatgon	31-8-81

114	Rattan Lal So Maha Singh	V & P.O. Jatheri	6-8-81
115	Baby D/o Sewa Lal	Industrial Area Sonepat	1-9-81
116	Reeta W/o Maha Singh	Karuaspur Sonepat	2-9-81
117	Kamlesh W/o Gajraj	V & P.O. Tikloa Sonepat	4-9-81
118	Rampat W/o Mahabir Parsad	Old D.C. office Sonepat	6-9-81
119	Bhupinder S/o Raghubir Singh	H.No. 13 Fajli Pur	6-9-81
120	Ajay Kumar S/o Krishan Kumar	Delhi Camp Sonepat	7-9-81
121	Amit S/o Umed Singh	Garhi Ghasita Sonepat	7-9-81
122	Vazeer Singh S/o Dario	V & P.O.Kheri Sonepat	8-9-81
123	Baby S/o Rattan Singh	V & P.O. Garge Sonepat	8-9-81
124	Om Pal S/o Kukhtiar Singh	V & P.O. Khevra, Sonepat	10-9-81
125	Baby Phoolwati D/o Ram Chander	V & P.O. Shamli, Sonepat	10-9-81

126	Sunita D/o Ram Kumar		12-9-81
127	Ganga Devi W/o Raghubir	Garhi Ghasitan, Sonepat	15-9-81
128	Mohan Tondon W/o Manjeey Singh	H.NO. 236 Model Town Sonepat	15-9-81
129	Vajinwer S/o Vishnu	V.P.O Badhna, Sonepat	15-9-81
130	Pushpa Rani W/o Ved Parkash	Mashed Mohalla, 302, Sonepat	17-9-81
131	Tej Singh S/o Prabhu Ram	V.P.O. Mahipur, Sonepat	18-9-81
132	Baby S/o Ramphal	Ganore	21-9-81
133	Risal Singh S/o Mool Chand	Abir Majra, Sonepat	21-9-81
134	Pappu S/o Chand Ram	West Ram Nagar, Sonepat	23-9-81
135	Geeta D/o Om Parkash	Dev Nagar Sonepat	26-9-81
136	Jogi Ram S/o Moji Ram	Police Post Murthal	27-9-81
137	Sawarn Kaur D/o Jai Singh	V & P.O. Bhagwan Sonepat	29-9-81

138	Sharmila D/o Mozi Ram	V & P.O. Maherudabad, Sonepat	29-9-81
139	Ram Chander S/o Dharam Pal	V & P.O. Hasanpur, Sonepat	30-9-81
140	Poonam D/o Karan Singh	Old D.C. Office, Sonepat	2-10-81
141	P. Malik S/o B.N. Malik	Hindustan Reading Wiring Bahalgarh	9-10-81
142	Ram Kawal S/o Ram Ratti	Omi Textile Mill, Sonepat	10-10-81
143	Renu D/o Ram Lal	House NO. 82, MOhalla Mashed Sonepat	12-10-81
144	Birmati D/o Laxmi	V & P.O. Jhari Sonepat	14-10-81
145	Hoshiar Singh S/o Khem Ram	Bahalgarh, Sonepat	17-10-81
146	Ranjeet Singh s/o Gugan	V.P.O. Bharvansni Sonepat	17-10-81
147	Santosh W/o Puran Chand	Sarang Road, Sonepat	20-10-81
148	Kesho Ram S/o Badlu Ram	Pharmana, Sonepat	25-10-81
149	Parwati W/o Gupteshwar	Kulupur Chungi, Dharam Nagar Sonepat	25-10-81

150	Baby NInda D/o Ram Phel	Ashoka Nagar, Sonepat	26-10-81
151	Kalap Nath S/o Ram Karan	Roop Nagar, Sonepat	30-10-81
152	Shish Ram S/o Abhey Ram	Gur Mandi Sonepat	1-11-81
153	Munna S/o Prem Singh	Niwas Pur, Sonepat	2-11-81
154	Harbans S/o Teja Ram	MOhalla kalan Sonepat	3-11-81
155	Bihari Lal S/o Abu Ram	Mohall Kalan Sonepat	4-11-81
156	JOgi Ram S/o Punna	Shekhupura	5-11-81
157	Krishna W/o Om Parkash	Bhutana	6-11-81
158	Baby Phoolwati D/o Balwan Singh	Hasanpur	8-11-81
159	Kali Ram S/o Tale Ram	Rajlugarhi	10-11-81
160	Risalo W/o Naphe Singh	Junva	10-11-81
161	Shri. Gopal S/o	Bara Bajar, Sonepat	9-11-81

	Harbans		
162	Chandgi Ram S/o Nathu Ram	Saleem Sar Majra	17-11-81
163	Shri. Ram S/o Harphool Singh	Mahlana	23-11-81
164	Chhaju Ram S/o Nathu	Shiv Nagar, Sonepat	23-11-81
165	Unknown	Unknown	27-11-81
166	Sandeep S/o Hawa Singh	Bhatganv, Sonepat	28-11-81
167	Tulsi Bai S/o Parma Nand	Hem Nagar, Sonepat	29-11-81
168	Randhir S/o Kishan	Bal Ranghdala, Sonepat	30-11-81
169	Darshan S/o Jawahar singh	Ashok Nagar, Sonepat	1-12-81
170	Kartar S/o Dhoop Singh	Bilaspur	3-12-81
171	Pale Ram S/o Pyare Lal	Model Town, Sonepat	4-12-81
172	Lajwanti w/o Hans Raj	Housing Colony, Sonepat	5-12-81
173	Baby S/o Bhag Raj	Raja Colony, Sonepat	5-12-81

174	Baby S/o Bhag Raj	Raja Colony Sonepat	5-12-81
175	Sham Devi W/o Dhanu Ram	Ashok Nagar, Sonepat	7-12-81
176	Kuldip S/o Pyare Ram	Ram Nagar, Sonepat	19-12-81
177	Roop Chand S/o Nathu Ram	V & P.O. Jhahi	25-12-81
178	Nihali W/o Chet Ram	kakroi	28-12-81
179	Sushila W/o Ram Dass	Sikka Colony, Sonepat	28-12-81
180	Ashok S/o Tuli	Devru	31-12-81
January 1982 & Februrary 1982			
1	Nana S/o Amar Singh	Rarsoli	3-1-82
2	Tej Bir S/o Karam Singh	Chitawalia, Sonepat	16-1-82
3	Goverdhan S/o Daya	Rattangarh	19-1-82
4	Baljeet Singh S/o Hawa Singh	New Mahavir Colony, Sonepat	19-1-82
5	Hargobind S/o B.D. Diwan	Model Town, Sonepat	1-2-82
6	Hem Raj S/o Deval Ram	Model Town, Sonepat	29-1-82

7	Laxman S/o Ratti Ram	Mandi	24-1-82
8	Ashok Kumar S/o Ram Lal	Panipat	3-2-82
9	Soma Devi S/o Ganpat	Bhagan, Sonepat	8-2-82
10	Om Parkash S/o Rattan Singh	Arya Nagar, Sonepat	10-2-82
11	Parmeshwari W/o K.R. Sharma	Sudama Nagar, Sonepat	27-2-82

Compensation for the construction of Canals

***2480. Shri. Surrender Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether any compensation is yet to be paid in respect of the land acquired for the construction of Jui Canal, Siwani Canal, Loharu Canal and their minors and sub-minors if so, total amountr thereof; and

(b) the names of the persons who are still to be paid the compensation, as referred to above ?

Irrigation & Power Minister (**Sardar Tara Singh**) :

(a) Yes. Rs. 14.65Lacs.

The names of the persons who are still to be paid compensation shall be available as and when the awards are announced.

30 Bed Hospital at Dabwali

***2855. Shri Mani Ram :** Will the Minister for Health be pleased to state:-

(a) Whether there is any proposal under consideration of the government to construct 30 Bed Hospital at Dabwali; and

(b) if so, the time by which the construction work is likely to be started?

स्वास्थ्य तथा पर्यटन मंत्री (चौधरी गजराज बहादुर नागर) :

(क) जी नहीं। किन्तु यहां पर 50 बिस्तर के अस्पताल का भवन बनाने का प्रस्ताव हैं।

(ख) निर्माण कार्य धन उपलब्ध होने पर आरम्भ किया जाएगा। अवधि बारे इस समय बताना संभव नहीं हैं।

Recruitment make in Land Development Bank etc.

***2815. Ch. Gaya Lal:** Will the Minister for Cooperation be pleased to state:-

(a) Whether the policy of making reservation for the persons belonging to Scheduled Castes is being complied with while making recruitment/promotions on various posts in the Land Development Bank and other Cooperative Institutions in the Sate;and

(b) The total number of officials/officers of different categories, in the Haryana State Land Development Bank together with the number amongst them belonging to the Scheduled Castes at present?

Cooperation and Planning Minister (Thankur Bir Singh):

(a) Govt. instructions regarding reservations have been made applicable in cooperative institutions in the State. However, there is some shortfall which these institutions have been advised to make up.

(b) A statement is placed on the Table of the House.

STATEMENT

Position of Staff as on 4-3-82 of Haryana State Co-operative land Development Bank Ltd.

Sr. No.	Name of the Post	Total strength	S.C.
1.	Managing Director	1 (on deputation)	--
2.	Additional Secretary	1	--
3.	Secretary	1	--
4.	Additional Secretary	1	--
5.	Faculty Incharge	1	--

6.	Deputy Secretary	1	--
7.	Agricultural Economist	1 (on deputation)	--
8.	Assistant Secretary	2+1(on deputation)	--
9.	Chief Inspecting Officer	1 (on deputation)	--
10.	Additional C.I.O.	1	--
11.	Project Officer (Dairy Development)	1 (on deputation)	--
12.	Horticulture Development Officer	1 (on deputation)	
13.	Statistical Officer	1	--
14.	Inspecting Officer	6	--
15.	Law Officer	4	--
16.	Managers/Accountants	50	1
17.	Junior Acctt./Assistant	61	11
18.	Senior Scale Stenographer	3	--

19.	Junior Scale Stenographer	4	--
20.	Field Officers	25	2
21.	Land Valuation Officer	291	6
22.	Clerks	339	21
23.	Dairy Development Asstt.	6 (on deputation)	-
24.	Drivers	29	2
25.	Daftri	7	1
26.	Peons/Chowkidar/Sweeper	45	9
27.	Technical Asstt.	3	9
Total		887	53

Installation and damaging of Electric Poles in Village Sankhera under Sadhaura Sub-division

***2828. Ch. Bhag Mal**: Will the Minister for Irrigatin and Power be pleased to state:-

(a) Whether any poles installed in the first week of Feb, 1982 in Sankhera village by the H.S.E.B. staff of Bilaspur (under Sadhaura sub-division) to give connection to the tubewell of harjian of that village;

(b) Whether any poles, out of those referred to in part (a) above, were unauthorisedly uprooted and damaged; and

(c) If the reply to part (b) above be in the affirmative, whether any F.I.R. has been lodged at Bilaspur police station against the persons, referred to in part (b) above; if so, the details thereof ?

Irrigation & Power Minister (Sardar Tara Singh):

(a) Yes, 11 NOs. poles were erected for releasing the tubewell connection to one Shri Lachna Ram, a harijan applicant of village Sankhera.

(b) 4 Nos. poles were found unauthorisedly up-rooted and damaged.

(c) Yes, An F.I.R. has been lodged with Bilaspur Police Station to the effect that some one had up-rooted and broken 4 poles resulting in a loss of about Rs. 1520/- to the Board.

अतारांकित प्र न एवं उतर

Educated unemployed youth in the State

659. Ch. Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Exce and Taxation be pleased to state:-

(a) The districtwise total number of educated unemployed youth registered with the Employment Exchanges in the State at present; and

(b) The districtwise number of unemployed youth out of those referred to in part (a) above, provided employment during the period from 1-8-81 to date, separately?

आबकारी तथा कराधान मंत्री (चौधरी मेहर सिंह राठी) :

(क) दिनांक 28–2–1982 को रोजगार कार्यालय में दर्ज ि ाक्षित प्रार्थियों की जिलावार संख्या निम्न हैं:–

क्रम संख्या	जिला	प्रार्थियों की संख्या
1.	अम्बाला	29785
2.	भिवानी	13214
3.	फरीदाबाद	10978
4.	गुड़गांव	12502
5.	हिसार	16439
6.	जीन्द	11331
7.	करनाल	29575
8.	कुरूक्षेत्र	13064
9.	महेन्द्रगढ़	13088
10.	रोहतक	23345

11.	सिरसा	8149
12.	सोनीपत	11322
टोटल		192792

नोटः– ''ि ाक्षित प्रार्थी'' उन्हें माना जाता हैं जो कम से कम दसवीं पास हों ।

(ख) दिनांक 1–8–81 से 28–2–82 तक नौकरी पर लगे ि ाक्षित प्रार्थियों की जिलावार संख्या निम्न हैं:–

क्रम संख्या	जिला	नौकरी पर लगे प्रार्थियों की संख्या
1.	अम्बाला	1138
2.	भिवानी	773
3.	फरीदाबाद	642
4.	गुड़गांव	340
5.	हिसार	1030
6.	जीन्द	635
7.	करनाल	754

8.	कुरूक्षेत्र	688
9.	महेन्द्रगढ़	881
10.	रोहतक	1057
11.	सिरसा	438
12.	सोनीपत	648
टोटल		9564

Stadia in the State

660. Ch. Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Transfort be pleased to state:-

(a) The names of the sport stadia existing in the State at present together with the latest position of such stadia which are under construction and the total expenditure incurred on the completed and under construction stadia todate, separately; and

(b) The date/dates by which the stadia under construction are likely to be completed separately?

Transport Minister (Shri Jagan Nath):

(a)(i)	Existing Sports Stadia in the State	Expenditure incurred thereon
1.	Motilal Nehru Stadium, Karnal	Rs. 8,47,917.58 P

2.	Nehru Stadium, Jind	Rs. 5,48,865.46 P
3.	Nehru Stadium Hissar	Rs. 9,28,600.00 P
4.	Nehru Stadium, Gurgaon	The possession of this stadium was transferred to the Distt. Stadium Committee, Gurgaon by the Zila Parishad in 1970.

(ii)	Stadia under Construction	Latest position of the Stadia	Expenditure
1.	Bhiwani	completed upto first phase	Rs. 16,60,552.29 P
2.	Sonepat	A part levelling of the site has been made.	Rs. 56,939.45 P
3.	Sirsa	Boundary wall has been	Rs. 7,93,800.00P

		completed. Steps, earth work, retaining wall in progress.	
4.	Panipat(Karnal)	The boundary wall, earth filling and gates provided on the site.	Rs. 1,55,299.18P
5.	Rewari (Narnaul)	The front wall upto plinth level has been completed.	Rs. 50,000.00P
6.	Issarwal (Bhiwani)	Playground levelled and boundary wall completed.	Rs. 20,000.00P
7.	Chautala (Sirsa)	Boundary wall and platform constructed, earth work	Rs. 3,03186.64P

		done.	
8.	Ambala	A tubewell has been sunk for providing water to the swimming pool alongwith hydrants in the playground. Basketball ground completed.	Rs. 2,33,302.00P
9.	Yamuna Nagar (Ambala)	Work of seating arrangement and levelling of ground has been completed.	Rs. 6,05,000.00P
10.	Faridabad	Work for the development of play grounds has started.	Rs. 32,000.00P

(b)	Name of Stadia under construction	Dates on which these are likely to be completed
1.	Bhiwani	First phase already completed. II phase is expected to be completed in the next three years.
2.	Sonepat	Since this work is held up because of encroachment on a part of the land hence it is not possible to give any date by which the work would be completed.
3.	Sirsa	This work is expected to be completed in the next two years.
4.	Panipat (Karnal)	This work is expected to be completed in the next two years.
5.	Rewari (Narnaul)	This work is expected to be completed in the next two years.
6.	Issarwal (Bhiwani)	This work is expected to be completed in the next two

		years.
7.	Chautala (Sirsa)	This work is expected to be completed in the next three years.
8.	Ambala	This work is expected to be completed in the next three years.
9.	Yamuna Nagar (Ambala)	This work is expected to be completed in the next three years.
10.	Faridabad	This work is expected to be completed in the next three years.

Projects under the World Bank Schemes

661. Ch. Ram Lal Wadjwa: Will the Minister for Cooperation be pleased to state:--

(a) The names of schemes/projects sanctioned under World Bank Schemes in the State during the last three years (to-date) togetherwith the amount sanctioned for each project, separately; and

(b) The scheme-wise/project-wise amount received from World Bank and the amount spent thereon, as referred to in part (a) above, to-date, separately?

Interim Reply

Subject:- Unstarred Vidhan Sabha Question No. 661 by Ch. Ram Lal Wadhwa M.L.A. regarding projects under the World Bank Schemes.

The Unstarred Assembly Question No. 661 appearing in the list of Unstarred Questions for the 31st March, 1982 in the name of Minister for Cooperation is not ready.

2. The reply will be submitted as soon as the relevant information has been collected.

Sd/-

Planning and Cooperation

Minister, Haryana.

To

The Secretary ,

Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh.

U.O. NO. 40/15/81-plg, dated Chandigarh, the 30th March, 1982.

Tour of Chief Minister

662. Ch. Ram Lal Wadhwa: Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) The monthwise number of days the State Chief Minister remained on tour outside Chandigarh, togetherwith the number of days of his say at Delhi/New Delhi, during the period from 1-4-81 todate, seaparately; and

(b) The amount of T.A. drawn by the Chief Minister for the tours, as referred to in part(a) above, separately?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): एक विवरणी (अनुबन्ध ''ए'') जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई हैं, सदन के पटल पर रखी जाती हैं ।

'अनुबन्ध ए'

भाग	(क)	4 / 81	5 / 81	6 / 81	7 / 81	8 / 81	9 / 81	10 / 81	11 / 81	12 / 81	1 / 82	2 / 82
(i)	राज्य के मुख्य मंत्री के 1–4–81 से आज तक (28–2–82) की अवधि में चण्डीगढ़ से बाहर दौरे पर रहने वाले दिनों की मास वार	22	18	26	16	23	18	18	21	17		अभी तक 1 / 82 तथा 2 / 82 का यात्रा भता प्राप्त नहीं किया।

	संख्या											
(ii)	राज्य के मुख्य मंत्री के 1–4–81 से आज तक (28–2–82) की अवधि में दिल्ली / नई दिल्ली में ठहरने वाले दिनों की मासवार संख्या	19	5	8	13	7	11	8	15	14		–यथोपरि–

भाग (ख)												
	ऊपर के भाग ''क'' में यथा निर्दिश्ट दौरों के लिए मुख्य मंत्री द्वारा यात्रा भता के रूप में प्राप्त की गई रा ि ा	1702 7/81 में भुगतान हुआ	1765. 75 8/81 मे भुगतान हुआं	––	918 9/81 में भुगतान हुआ	*36862	1899. 75 12/81 में भुगतान हुआ।	1535 1/82 में भुगतान हुआ।	1287. 75 1/82 में भुगतान हुआ।	1275 2/82 में भुगतान हुआ।		–यथोपरि–

*36862 रूपये 2–8–81 से 16–8–81 तक विदे ा के दौरे से संबंधित हैं ।

Non-Directory Villages in the State

705. Shri. Mool Chand Jain: Will the Minister for Revenue be pleased to state:-

(a) Whether there are may non-directory villages having separate abadis, which are not being considered as revenue estates independently, in the State; if so, tehsil-wise names therefo; and

(b) Whether the Government has received any representation that non-directory villages, as referred to in part (a) above, existing in Panipat tehsil, be converted into directory villages; if so, a copy thereof be laid on the Table of the House togetherwith the action, if any, taken thereon ?

***Interim Reply**

D.O.No. 2617-R-IV-82/11460

Sher Singh,

REVENUE MINISTER

Dated the 30th March, 1982.

Subject:- Unstarred Assembly Question No. 705 regarding non-directory villages in the State.

My dear Rao Sahibji,

The Unstarred Assembly Question No. 405, asked by Shri Mool Chand Jain, M.L.A. has been fixed for reply on 31-3-1982. Notice for the question was received in Revenue Department on 25-3-1982 at 4.50 P.M. The

reply to the question is not ready as the required information is still awaited from the Deputy Commissioners, Karnal, Faridabad, Rohtak and Sirsa.

2. I shall be grateful if you kindly extend the time for answering the question under rule 46(ii) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly. The question may be included in the list of questions for any date after ten days.

with regards,

Yours sincerely,

Sd/-

(Sher Singh)

Shri Ram Singh,

Speaker, Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh.

Inclusion of village Saori In Tehsil Assandh

706. Shri. Mool Chand Jain: Will the Minister for Revenue be pleased to state whether the Government has received any representation against the inclusion of village Saori in Assandh Tehsil; if so, a copy thereof be laid on the

Table of the House, togetherwith the action, if any, taken thereon?

राजस्व मंत्री (चौधरी भोर सिंह): हां प्रतिवेदन की एक प्रति अनैक ाचर ''ए'' पर हैं। मामला निरीक्षणधीन हैं।

ANNEXURE 'A'

सेंवा में

श्री मान राजस्व वितायुक्त महोदय, हरियाणा

चण्डीगढ़।

विशयः— दरखास्त बाबत निकाले जाने ग्राम सयोडी असन्ध तहसील व भाामिल किये जाने करनाल तहसील में।

श्री मान जी,

सेंवा में निवेदन हैंः—

1. यह कि सयोडी गांव नई तहसील असन्ध में भाामिल कर लिया गया हैं। जब कि उस के पड़ोसी गांव गोन्दर को करनाल तहसील में रखा हैं। ग्राम सयोडी बेचरागन मोजा हैं और इस की कसर भूमि के मालिकान गोन्दर के निवासी हैं और गोन्दर की आबादी में ही उनके मकानात रिहाई ाी हैं।

2. यह कि यातायात के साधन भी असन्ध जाने के लिए कोई नही हैं। जब कि नीसिंग सब तहसील में जाने के लिये पक्की सड़क हैं नीसिंग सयोडी से 2 मील पर स्थित हैं और जब कि असन्ध सयोडी से 14–15 मील पर स्थित हैं ।

इसलिये प्रार्थना हैं कि ग्राम सयोडी को असन्ध तहसील से निकाल कर करनाल तहसील और सब तहसील नीसिंग में मिलाया जावे आपकी अति कृपा होगी।

निवेदक

इत्यादि

गेन्दाराम पुत्र वजीर गांव सयोडी

करनाल तिथि 16–11–81 तहसील, जिला करनाल

हस्ताः गेन्दा राम

हस्ताः बलकार सिंह पुत्र श्री

आत्मा सिंह निवासी गोन्दर

नि ाान अंगूठा

श्री जय नारायण वर्मा: अध्यक्ष महोदय, इरीगे ान डिपार्टमैट के एक अधिकारी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। वह अधिकारी अपने नीचे काम कर रहे अधिकारियों और वि ोशकर

महिला कर्मचारियों को परे ाान करता रहा हैं। उसकी विजिलैन्स से इन्क्वायरी हुई। उस पर चार्ज साबित हुए। जब उसे चार्ज ाीट किया जा रहा था तो एक मिनिस्टर बीच में पड़ गया हैं कि चार्ज ाीट सर्व करने से पहले मुझे दिखा देना। वह अभी तक चार्ज ाीट नहीं हुआ। मैं इस ओ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब इन्क्वायरी में चार्ज साबित हो चुका हो..... .. (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जहां तक इंडीविजुयल के कंडक्ट का सवाल हैं जो आदमी हाउस में मौजूद नहीं हैं और अपने आप को डिफैक्ट नहीं कर सकता उसके बारे में हाउस में कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री जय नारायण वर्मा : यह गवर्नमैट की वर्किंग का सवाल हैं। अगर कोई इंडीविजुयल अफसर कसूरवार हैं तो उसे चार्ज ाीट कर दें।

श्री अध्यक्ष: आप कोई सबस्टांटिव मो ान दें। अगर वह एडमिट हो सकती होगी तो मैं कर दूंगा।

श्री मूल चन्द मंगला: स्पीकर साहब, मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल–अटैन्ा ान मो ान दी थी। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने जो काल–अटैन्ा ान मो ान दी हैं अगर वह एडमिट हो सकेगी तो जरूर करूंगा। (ाोर एवं व्यवधान)

डा0 मंगल सैन : स्पीकर साहब, रीजनल इंजीनियरिंग कालेज कुरूक्षेत्र में पिछले साल नवम्बर से हरिजन विद्यार्थियों पर हमले हो रहे हैं। वहां से पुलिस कप्तान के लड़के ने गोली चला दी। बीस तारीख को एक नौजवान लड़की पर कातलाना हमला हुआ।

श्री अध्यक्षः आप इस बारे में सबस्टांटिव मो ान भेजिए।

डा0 मंगल सैन : स्पीकर साहब बड़ा अफसोस हैं। मेरा आदमी सुबह 8 बजकर 20 मिनट पर मो ान लेकर आया लेकिन उस पर 8 बजकर 30 मिनट का टाईम डाल दिया गया। यह बड़ा सीरियस मैटर हैं। इस बारे में मुझे एतराज हैं। जब मैं नोटिस सोच–समझ कर भेजता हूं और इन एडवांस कापी भेजता हूं फिर भी कार्यवाही नहीं होती। हरिजन लड़कों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा हैं। एस0 पी0 श्री नकई के लड़के का उसमें हाथ हैं। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उसे मैं एग्जामिन करूंगा।

चौधरी अजीत सिंह : स्पीकर साहब, हजारों गरीब हरिजनों को सरप्लस भूमि नहीं दी जा रही है। मेंरे पास ऐसे उदाहरण है। कि लोगौं ने चालान भर दिऐ हैं, जमीन के पैसे दे दिये हैं लेकिन उनकी बेदखली कर रहें हैं एक तरफ यह सरकार

कहती कि हम हरिजनों को सरप्लस लैन्ड दे रहें हैं और दूसरी और उनको बेदखल कर रहें हैं । (ाोर एवं व्यवधान)

श्री भागी राम : स्पीकर साहब, यह सरकार हरिजन विरोधी हैं। इसलिये मैं सदन से वाक आउट करता हैं।

(इस समय श्री भागी राम सदन से वाक–आउट कर गये।)

चौधरी जय नारायणः स्पीकर साहब, यह सरकार हरिजनों के साथ अन्याय कर रहीं हैं। हरिजनों की कोई सुनवाई नहीं हो रहीं। इसलिये मैं भी सदन से वाक–आउट करता हैं ।

(इस समय चौधरी जयनारायण तथा विरोधी पक्ष के अन्य हरिजन सदस्य सदन से वाक–आउट कर गये।)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने वाक–आउट की भी बड़ी भारी इनसल्ट कर रखी हैं । ये वाक–आउट करने का स्तर भी बहुत नीचे ले आये हैं ।

श्री मूल चन्द जैन: जितनी नीचे यह सरकार चली गई उतना ही नीचे वाक–आउट चला गया।

विभिन विशयों का उठाया जाना

चौधरी भागमल: स्पीकर साहब, किसी हरिजन को एक टयूबवैल का कनैक ान मिलना था लेकिन उस गांव के जमीदारों

ने उसे कनैक ान नहीं लेने दिया। तीन चार खम्भों को उखाड़ कर फैक दिया गया। यह बिलासपुर हल्के का केस हैं। (ाोर)

श्री अध्यक्ष : अगर किसी इंडीविजुयल का केस हैं, उसे पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। अगर कोई मर्डर हो गया, रेप हो गया तो बात करने का स्कोप बन सकता हैं लेकिन किसी ने खम्भे उखाड़ कर फेंक दिये, इस तरह के केस हाउस में नहीं आने चाहिऐ।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (सरदार तारा सिंह): स्पीकर साहब, जिसने खम्भे उखाडे थे हमने उसके खिलाफ केस दर्ज किया हैं और उसे गिरफ्तार किया है।

चौधरी रिजक राम : स्पीकर साहब, मैं मैम्बर्ज के बारे में अर्ज करना चाहता हूं । कामरेड भांकर लाल, कैप्टन मांगे राम, राव राम नारायण आदि को एक ही लाईन में बैठाया हैं । (हंसी) दूसरी बात यह हैं कि विधान सभा में दो मैम्बर हैन्डीकैप्ड हैं। एक तो लाठी के सहारे से चल सकते हैं लेकिन दूसरे पूरी तरह हैन्डीकैप्ड हैं। मेरी आपसे गुजारि ा है कि चौधरी गंगा राम को हाउस से निकाले हुए काफी दिन हो गए हैं इसलिये मुख्य मंत्री जी को चाहिए कि उन्हें वापिस बुला लें। काफी दिन हो गए हैं इसलिये मुख्य मंत्री जी को चाहिए कि उन्हें वापिस बुला लें।

श्री अध्यक्ष: वैसे वे डिस–एबल्ड हैं। उन्होंने मेरे को दरखास्त दे दी हैं उनके लिए हमने बम्बई से कार का अरैन्जमैंट

कराया हैं। बम्बई में उनके ठहरने का भी पूरा इन्तजाम कर दिया गया हैं । वे डेढ़ लाख की कार ले कर आयेगें।

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, मैने दो काल अटैन् ान मो ान आपको भेजी थी। ऐ भूागर–केन की कीमत के बारे में थी और दूसरी चने सरसों और सब्जियों का जो नुकसान हुआ हैं, उसके मुआवजे में बारे में थी।

श्री अध्यक्ष: भूागर–केन की कीमत के बारे में आपने जो काल–अटैन् ान मो ान दी थी, वह एडमिट हो गई हैं।

श्री मूल चन्द जैन: चने और सरसों की फसल को जहां नुकसान हुआ हैं या सीवेज से जहां नुकसान हुआ हैं क्या उसका मुआवजा सरकार देगी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष: मुख्य मंत्री ये अनाउन्स कर चुके है कि स्पै ाल गिरदावरी की जा रही हैं। जिस प्रकार से गेहूं की गिरदावरी की जा रहीं हैं, उसी प्रकार से चने और सरसों की गिरदावरी में मैन् ान किया हैं । 3

श्री मूल चन्द जैन: उन्होने सिर्फ ओले से जो नुकसान हुआ हैं उसके बारे में अनाउन्स किया हैं लेकिन जो भीत लहर या ज्यादा वर्शा से नुकसान हुआ है वह भी मैंने अपनी मो ान में मैन् ान किया है।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): मैंने कल ही स्टेट के डिप्टी कमी ानर्ज की मीटिंग बुलायी थी। हमने स्पै ाली उनके जिम्में यह काम लगाया हैं कि ओले, भीत लहर या सीपेज से सरसों, तोरिया, तारामीरा, चने या गेंहू यानी चाहे किसी भी फसल को नुकसान हुआ हैं, उसकी गिरदावरी करे। जिसका जितना और जिस रे ाों से मुआवजा बनता हैं, उसको मुआवजा दिया जाये। हमने आज ही इसके लिये 5 करोड़ रूपया रिलीज करने का फैसला किया हैं । उसके बाद अगर मुआवजा देने के लिये और रूपये की जरूरत पड़ी तो और भी देगे।

चौधरी हरिचन्द हुड्डा: .....

चौधरी भजनलाल: स्पीकर साहब, ऐसे लोग मैम्बर बनकर आ गयें हैं, यह इस हाउस की बदकिस्मती हैं। यह तो जनता बतायेगी कि कौन जाता हैं और कौन नहीं जाता हैं। अगर इनकी जमानत भी बच जाये तो मुझे कहना (व्यवधान)

Mr. Speaker: Whatever has been said by Chaudhri Hari Chand Huda may be expunged.

चौधरी हरिचन्द हुड्डा: .....

.....

Mr. Speaker: Nothing will be recorded.

श्री उप मंत्री (चौधरी लाल सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत एक दरखास्त करना चाहता हूं । इज्जत से बड़ी

इस दुनिया में कोई दूसरी चीज नहीं हैं। इनको सभी की इज्जत का ख्याल करना चाहिऐ।

स्वामी अग्निवे ा: अध्यक्ष महोदय, जिन दिनों आप ि ाक्षा मंत्री थे, उस समय आपने ऐ बहुत अच्छी तजबीज दी थी कि छोटे–छोटे बच्चे जो स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, उन पर किताबों का बोझ काफी बढ़ता जा रहा हैं, इसलिये कत किया जाय। आपकी तजबीज यह थी कि इन किताबों को कम किया जाये और बच्चों को खेलकूद या काम के जरिये ज्यादा पढ़ाई कराई जाय। (व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्ष: उस वक्त आप एजुके ान बोर्ड के चयरमैंन थे। मैने यह काम आपके जिम्मे लगाया था। (व्यवधान व भाोर)

स्वामी अग्निवे ा: मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। उस समय जनता पार्टी की ि ाक्षा के बारे में जो नीति थी, उसके तहत हमने ि ाक्षा बोर्ड के अन्दर भी इस चीज को स्वीकार किया था और कुछ सिलेबस को कम करना भी स्वीकार किया था। आप के बाद जब श्री हीरा चन्द आर्य जी ि ाक्षा मंत्री बने उन्होंने उसको फालो किया और मैने भी उसको फालो किया। लेकिन जब से चौधरी देस राज जी ि ाक्षा मंत्री बन हैं, उस पर अमल नही हो रहा है। मैं इस बारे में किसी के ऊपर भी आरोप नहीं लगाता हूं । मैं तो ि ाक्षा मंत्री जी से केवल यह जानना चाहूंगा कि क्या उन बच्चों के किताबों के बोझ को कम कर रहैं हैं या नहीं? मैं

यह कहता हूं कि राजनीतिक विरोध की बात को छोड़ दें। यह स्पीकर साहब के ि ाक्षा मन्त्रिव काल या किसी ओर के समय का सवाल नहीं हैं। मैं तो उनसे सीधा सा एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या बच्चों के किताबों के बोझ को कम करने के बारे में ध्यान दिया हैं या नहीं ताकि माता–पिता का खर्च भी कम हो और बच्चों को भी आसानी हो सके। (वयवधान व भाोर)

ि ाक्षा मंत्री (चौधरी देसराज): स्वामी जी ने तो केवल फालो ही किया था लेकिन हमने एक कमेटी बनाकर 25 प्रति ात कोर्स पहली जमात से लेकर चौथीं तक का कम कर दिया हैं । (व्यवधान व भाोर)

चौधरी उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि आज तो सब कुछ अच्छे माहौल में हो रहा हैं। एक दो दिन की बात और बाकी रहती हैं। हर आदमी अच्छे माहौल की बात कर रहा है। हमारे एक मैम्बर ने आपकरे लिखकर ि ाकायत की हैं कि मुझे एक कमेटी से इन्साफ की उम्मीद नहीं हैं। 35 साल की हिस्टरी में ऐसी ि ाकायत आज तक किसी ने नहीं की होगी। उन्होंने हमारी कमेटी इल्जाम लगाया हैं कि एक ही कौम के ज्यादा मैम्बर उसमें हैं इसलिये उनको इन्साफ मिलने की कम उम्मीद हैं। उस आनरेबल मैम्बर की दरख्सात रिकार्ड में हैं। मेरा कहना यह कि उस मैम्बर को हाउस से निकाल दिया जाये क्योकि कमेटी की बेईज्जती की हैं और उसको इस हाउस में बैठने का कोई अधिकार नहीं हैं। (व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्ष: मैंने वह डाकुमैट कमेटी को रैफर कर दिया हैं। उस कमेटी के मैम्बर्ज उस बारे में जो भी निर्णय लेना चाहें, ले लें। (व्यवधान व भाोर)

मैम्बर साहेबान, पब्लिक अन्डरटेकिग्ज कमेटी का इनैक ान होना था जिसमें 10 कान्टैस्टट्स थे। जिनमें से चौधरी सुरेन्द्र सिंह, एम0 एल0 ए0 विदड्रा करने की इजाजत दे दी जाये।

आवाजें: ठीक हैं जी।

श्री अध्यक्ष: चौधरी सुरेन्द्र सिंह, एम0 एल0 ए0 के बिदड्रा करने के बाद 9 कान्टैस्टैट्स रह जाते हैं । उसके बाद इलैक ान की जरूरत नहीं है। यह 9 के 9 इलैक्टिड समझें जायेंगे। (व्यवधान व भाोर)

चौधरी संत कवंर: स्पीकर साहब, चौधरी सुरेन्द्र से इसीलिये बिदड्रा करवाया गया हैं क्योकि पिछले दिनों 3 तारीख को जो मीटिग हुई थी उसमें कमेटी ने एक सदस्य जो कार्पोरे ान के चेयरमैन हैं, के खिलाफ रिपोर्ट एडाप्ट की थी। (व्यवधान व भाोर) क्या इसलिये उनसे बिदड्रा करवा गया हैं?

ध्यानाकर्शण सूचना–

जिला महेन्द्रगढ़ तथा जिला रोहतक की कोसली तहसील के बहुत ज्यादा पिछेड़पन तथा गरीबी की हालत होने सम्बधी

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर्ज मुझे राव राम नारायण एम0 एल0 ए0 की ओ से डिसिट्रिक्ट महेन्द्रगढ़ और रोहतक की कोसली तहसील के पिछड़ेपन और गरीबी को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने चाहिये। इसके बारे में एक काल अटैन ान मो ान प्राप्त हुआ हैं। मैं इसको मन्जूर करता हूं। राव राम नारायण, एम0 एल0 ए0 अपना नोटिस पढ़ दें। मंत्री महोदय अपनी स्टेटमैंट दे दें। (व्यवधान व भाोर)

Rao Ram Narin: Sir, I want to draw the attention of this august House towards a matter of public importance that the present Mohindergarh District, Kosli. Tehsil of District Rohtak are extremely backward and poor. There is historical background to all this. People of this area took active part in first war of Independence of 1857 against the Britishers. It was mostly thepart of Jhajjar State of that time. Nawab of Jhajjar was hanged in Chandhi Chowk for his conspicuous part played by him in war of Independence of 1857. The Britishers partitioned this area in different Blocks and gave each Block to princely States of Patiala, Nabha and JInd. These areas were far away from their Headquarters and so on development was made. Even after Independence in 1947, the area remained neglected.

In order to remove its backwardness and poverty the Government may take the following steps:-

(i) South Haryana Development Board may be constituted as has been done in the case of Mewat area.

(ii) Engineering college and Law College may be opened at Rewari.

(iii) Polytechnical college at Ateli should be opened.

(iv) Regional centre for Post Graduate Studies and Research at Rewari may be started at once. U.G.C. aid may be had for this.

(v) Sainik school may be opened in this area-preferably at Kosli.

(vi) Army recruitment office may be started at Rewari as it was before.

(vii) Agriculture college under H.A.U. Hissar may be opened at Narnual.

(viii) Big facotries may be installed in the area and 80% labour should be of this area.

(ix) Some important offices of the State and Centre may be opened in this area.

This is a matter of great public importance. Government is requested to make a statement as to what steps the Government proposeto take in order to remove the poverty and backwardness of this area.

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, इसका जवाब हम दो तारीख को देगे।

वक्तव्य–

(i) **खाद्य तथा पूर्ति मंत्री द्वारा राज्य में सीमेंट, चीनी, मिट्टी का तेल व कुर्किग गैस का वितरण सामान्य न होने सम्बधी।**

श्री अध्यक्ष: फूड एण्ड सप्लाईज मिनिस्टिर ने सर्वश्री अजीत सिंह, फतेह चन्द विज, जय नारायण खुंडिया और देवी दास के काल अटैन ान मो ान 23 और 46 का आज जवाब देना था। वे अब अपना स्टेटमैट दे सकते हैं ।

स्वामी अग्निवे ा: अध्यक्ष महोदय, ऐ प्रिविलेज मो ान मैनें भी दिया था .....

श्री अध्यक्ष: स्वामी जी यह जीरो आवर नही हैं। जीरो आवर में मैनें आपको टाईम दिया था अगर हर समय ही यह बात करने लगे तो इससे हाउस की कार्यावाही रूक जाती है।

स्वामी अग्निवे ा: उसका जवाब तो आना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, मैने एक भाार्ट नोटिस क्वै चन भी दिया हुआ हैं... .....।

श्री अध्यक्ष: स्वामी जी आप मेरे चैम्बर में आ जाएं। वहां मैं बता दूंगा। अब मंत्री महोदय अपना स्टेटमैंट पढ़ें।

खाद्य तथा पूर्ति मंत्री (श्री लछमन सिंह): मैं यह बात भाुरू में ही स्पश्ट करना चाहूंगा कि राज्य में सींमेट, चीनी, मिट ्टी के तेल तथा जलाने वाली गैस की उपलब्धि इतनी नहीं

है कि यह उपभोक्ताओं की सारी मांग को पूरा करने के लिए प्रयाप्त हो। परन्तु यह कहना भी ठीक नहीं होगा कि इन वस्तुओं की राज्य द्वारा अनुचित बांट की जाती है या इस कथित अनुचित बांट के कारण आम जनता में असंतोश है। सींमेंट की वितरण प्रणाली में अभी अभी भारत सरकार ने परिवर्तन किया है और इसके उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु इसका आंतिक डीकण्ट्रोल कर दिया गया हैं। चीनी की बांट दोहरी कीमत की नीति के अधीन की जा रही हैं और जन वितरण प्रणाली के माध्यम से चीनी की उचित मात्रा प्रत्येक व्यक्ति को नियंत्रित दरों पर बांटी जा रही हैं। मिट्टी का तेल आमतौर पर उचित दरों की दुकानों पर उपलब्ध रहता हैं यद्यपि कभी कभार किसी स्थान पर थोडे समय के लिए इसकी प्राप्ति भाायद न रही हो और खाना पकाने वाली गैस की बिक्री का प्रबन्ध भिन्न भिन्न तेल की कम्पनियों द्वारा भाहरों की मांग को देखकर किया जाता हैं। यह कहना कि इन वस्तुयों की उपलब्धि एक स्वप्न बन गया हैं, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना होगा, क्योंकि जिन लोगों को इनकी आव यकता हैं उन्हें यह बाजार में मिल रही हैं। प्रत्येक वस्तु की स्थिति निम्न प्रकार हैं:–

सींमेट:–

राज्य की सींमेट की त्रैमासिक आव यकता जिसका अनुमान अभी एक वि ोश कमेटी ने राज्य में चल रही वि व बैक की सहायता से योजनाओं तथा प्रगति ाील कार्यों को मध्यनजर रखते हुए किया है, लगभग 2.90 लाख टन हैं। इसके विरूद्व

27—2—1982 तक भारत सरकार हमें 1,41,400 टन सीमेंट प्रति तिमाही अलाट करती रहीं हैं। इसमें से लगभग 50 प्रति ात सीमेट भारत सरकार द्वारा प्रत्येक तिमाही में सिंचाई व बिजली योजनाओं के लिए सुरक्षित कर दिया रहा हैं तथा 10 प्रति ात उद्योगों के लिए। बाकी बचे 40 प्रति ात सीमेट में से 47,000 टन सीमेंट प्रत्येक तिमाही से पब्लिक सेल कैटगरी के अन्तगर्त सुरक्षित रखी जाती थी और इसका वितरण जिला अधिकारियों द्वारा आम जनता में जिला स्तर पर किया जाता था। इसके प चात् जो भी सीमेट बचेता था उसे सरकारी विभागों, सरकारी संस्थओं, बोर्डज, उद्योगों, नगरपालिकाऔं/नगर सुधार मण्डलों तथा संस्थानों में बांट दिया जाता था।

जैसा कि ऊपर बताया गया हैं, 27—2—1982 तक आम जनता की मांग को पूरा करने के लिए 47,000 टन सीमेंट की मात्रा प्रति तिमाही आरक्षित की जाती थी। इसकी जिलावार बांट प्रत्येक जिला की अबादी व निर्माण कार्यों को देखते हुए की जाती थी । ताहम सीमेंट की वास्तवि प्राप्ति एलोके ान के मुकाबले मैं लगभग 75 प्रति ात रही जिसके मुख्य कारण बिजली की कटौती, फैक्ट्रीज का बन्द रहना मजूदरों में हड़ताल तथा यातायात की कठिनाई आदि हैं। इसलिए यह स्वाभाविक ही हैं कि जनता व सरकारी विभागों की सीमेंट की मांग केवल आंि ाक रूप में ही पूरी हो सकी। राज्य सरकार का भरसक प्रयत्न रहा हैं कि वह सीमेट ऐलौके ान को भारत सरकार से बढ़वाया जाए तथा

ऐलोके ान के विरूद्व अधिक से अधिक मात्रा में सीमेंट की प्राप्ति हो तथा जो भी मात्रा प्राप्त हो उसका वितरण नियंत्रित माध्यमों से किया जाए। इन सभी कठिनाईयों के होते हुए भी हमारी उपलब्धि अन्य राज्यों के मुकाबले में अधिक अच्छी रही है।

जहां तक सीमेंट की बिक्री में चोर बाजारी कर संबंध है इस बारे में बताना चाहूंगा कि स्थानीय अमले द्वारा सीमेंट डीलर्ज के डिपूओं की लगातार चैकिग की जाती रही हैं और इसके परिणाम स्वरूप 1–1–81 से 28–2–1982 तक 67 मुकदमें पुलिस मैं दर्ज करवाए गए और 1,03,417 रूपए की कीमत का सीमेंट पकड़ा गया।

28–2–1982 से भारत सरकार ने सीमेंट का आंि ाक डी–कंट्रोल कर दिया है जिसके अनुसार सभी सीमेंट फैक्ट्रियों को कहा गया है कि वे अपनी इन्सटानड क्षमता का 66.6 प्रति ात सीमेंट सरकार को लैवी सीमेंट के तौर पर बेचेगैं। राज्य सरकार को पहले की भांति लैवी सीमेंट की एलोके ान निम्नलिखित वर्गों के उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए मिलती रहेगीः–

1. सरकारी विभागों, गैर सरकारी विभागों, निगमों तथा स्थानीय भाासन कार्य

2. लघु औद्योगिक ईकाईयों को केवल उन के कारखानों की ईमारतों के निर्माण हेतु

3. सामाजिक सुधार योजनाओं, जैसाकि ग्रामीण आवास, झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए आवास स्थान, हरिजनों, आदिवासियों तथा अन्य गरीब वर्गों के लोगों, ग्रामीण जल योजनाओं तथा दूसरे मदों को जो नए 20–सूत्रीय कार्यक्रम से संबंधित हैं।

4. ऐसे रिहाय ी मकानों के लिए जिन की बुनियाद का क्षेत्र 80 वर्ग मीटर तक हो

5. रिहाय ी मकानों की मरम्मत के थोड़ी मात्रा।

राज्य की सिंचाई व बिजली योजनाओं के लिए सीमेट की एलोके ान सीधी भारत सरकार द्वारा की जाएगी।

राज्य सरकार द्वारा लैवी सीमेट सिनेमा, होटलों, ढ़ाबों, बैंकों कई मंजिल की इमारतों, व्यापारिक संस्थानों ईमारतों तथा ऐसे रिहाय ी मकानों जिनका बुनियादी क्षेत्र 80 वर्ग मीटर से अधिक होगा, के लिए नहीं दिया जाएगा। तथा ऐसे औद्योगिक प्लाटंस को जो सीमेट का प्रयोग कच्चे माल के तौर पर करतक है उन्हें भी नहीं दिया जाएगा। ऐसे उपभोक्ताओं को अपनी आव यकता खुले बाजार में बिक रहे नान लैवी सीमेट से पूरी करनी होगी।

जैसे कि अच्छी तरह ज्ञात हैं सीमेंट की ऐलोके ान त्रैमासिक होती हैं। चूंकि सीमेट की नई पालिसी 28–2–82 से लागू हुई हैं यानि कि तिमाही के मध्य से (जनवरी से मार्च) इसलिए भारत सरकार ने सीमेट फैक्ट्रीज को निर्दे ा दिए हैं कि

इस तिमाही के बाकी के समय में पब्लिक सेल कटैागरी के अन्तर्गत अलाटकी गई सींमेट की कुल मात्रा का केवल 1/10 भाग संबंधित राज्य को सप्लाई किया जाए। संक्षिप्त में हमारी कुल 47,000 टन की ऐलोके ान के विरूद्व सींमेट फैक्ट्रीज के लिए यह बाध्य है कि मार्च, 1982 में वे 4,700 टन सींमेट की मात्रा राज्य को सप्लाई करें। पब्लिक सेल कैटागरी में इतनी भारी कटौती करने का कारण सींमेट कंट्रोलर द्वारा भेजे गए संदर्भों में अंकित नहीं हैं। इस कटौती से राज्य के पब्लिक सेल कोटा की उपलब्धि स्थिति काफी कठिन हो जाएगी। फिर भी जैसे ऊपर बताया गया हैं बहुत सारे खपतकार जैसाकि होटल, सिनेमा, महाजनी ईमारतें इत्यादि जोकि आमतौर पर पब्लिक सेल कैटेगरी में आती थी अब उन्हें इससे वंचित कर दिया गया हैं तथा पब्लिक सेल कैटगेरी का लैवी सीमेट अब केवल गरीब तबको तथा ऐसे रिहाय ाी मकान वालों को ही मिलेगा जिनकी बुनियाद का क्षेत्र 80 वर्ग मीटर तक होगा।

मुझे यह मानने में संकोच नहीं हैं कि इस समय नान लैवी सीमेंट की बिक्री 65 रूपए प्रति थैले के हिसाब से हो रही हैं। ताहम सीमेट के आंि ाक डी–कंट्रोल की नीति से सीमेंट फैक्ट्रीज को अपना उत्पादन बढ़ाने में बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, चाहे उन्हें कुछ अधिक खर्चा भी करना पड़े। वे अपनी इन्सटान्ड क्षमता के 66.6 प्रति ात सींमेट से जो मात्रा अधिक उत्पादन होगी। उसे काफी अच्छे भावे पर बाजार में बेच सकेंगे। अनुमान लगाया जाता हैं कि इस से सीमेंट के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी जिसकी राश्ट्र

को निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए बहुत आव यकता हैं। बढ़ा हुआ उत्पादन न केवल राश्ट्र के हित में होगा बल्कि इससे नान लेवी सीमेट की कीमतों में स्थिरता आएगी और यह जनता को आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। यह सराहने योग्य हैं कि सींमेट के आंि ाक डी–कंट्रोल की नीति पहली बार दे ा में लागू की जा रही हैं। इसलिए दोनों प्रकार यानि कि लैवी तथा नान लैवी सींमेट के खुले तौर पर तथा समूचे तरीके से बिकने के लिए कुछ समय तो अव य लगेगा।

मै सदन को वि वास दिलाना चाहूंगा कि राज्य सरकार स्थिति से पूर्णतय परिचित हैं। हम आम आदमियों तथा गरीब वर्गों के लोगों के हितों की रक्षा करने के बहुत इच्छुक हैं। सींमेट उत्पादकों के साथ व्यक्तिगत तौर पर बैठके करके उन्हें इस बात पर बाध्य किया जा रहा हैं कि वे लैवी व नान लैवी सींमेट की अधिक मात्रा हरियाणा राज्य को अग्रता के आधार पर भेजे। एक मींटिग पहले ही सींमेट नियंत्रक भारत सरकार से की जा चुकी हैं। जब भी आव यकता होगी हमें भारत सरकार से मामला उठाने में कोई संकोच नहीं होगा।

चीनी

भारत सरकार द्वारा नियंत्रित माध्यम से रूपए 3.65 प्रति किलो की दर से घरेलू उपभोक्ताओं में वितरण हेतु हरियाणा राज्य को लैवी चीनी का 4,918 टन का मासिक कोटा अलाट किया

जाता हैं। प्रति व्यक्ति प्रति मास 400 ग्राम चीनी के हिसाब से हमारे वास्तविक मांग 5600 टन बनती हैं। हम भारत सरकार से अपने मासिक चीनी के कोटा में 700 की वृद्धि के लिए अनुरोध करते रहे हैं ताकि हम प्रत्येक व्यक्ति को 400 ग्राम चीनी प्रति मास दे सकें। मगर भारत सरकार ने हमारे इस अनुरोध को अभी तक स्वीकार नहीं किया हैं। राज्य सरकार ने इस आ ाा में कि हमारी लैवी की चीनी की एलोके ान भीघ्र ही उन द्वारा बढ़ा दी जाएगी और कि प्रति व्यक्ति चीनी की मासिक मात्रा घटाने से भारत सरकार के साथ राज्य की चीनी की अतिरिक्त ऐलोके ान का मामला कमजोर होगा प्रति व्यक्ति प्रति मास 400 ग्राम का चीनी का कोटा नहीं घटाया। राज्य सरकार ने फिर से राज्य की चीनी की एलोके ान बढ़ाने हेतु उच्चतम स्तर पर मामला भारत सरकार से उठाया है और इसके अच्छे परिणाम निकालने की हमें आ ाा हैं। भारत सरकार से लैवी चीनी की जो मात्रा प्राप्त होती हैं वह सभी जिलौं में उनकी आबादी के आधार पर बांट दी जाती हैं। जिला प्र ाासन जहां कहीं आव यकता हो चीनी के प्रति व्यक्ति कोटा में मकामी तौर पर परिवर्तन कर लेते है। हमारी सामान्य वितरण प्रणाली सारे राज्य में ठीक ढंग से चल रही हैं और इस बात का कोई प्र न ही उत्पन्न नहीं होता कि बहुत सारे गांवों को चीनी वितरण के लिए कई–2 महीनों के लिए छोड़ दिया जाता हैं। फिर भी जब कोई डिपू कैन्सल हो जाता हैं तो नया डिपू का प्रबन्ध करने के कुछ समय लग जाता हैं जिस के कारण छोटी मोटी कठिनाई अव य ही हो जाती हैं। यदि किसी मास में

चीनी के न आने के कारण या देर से आने के कारण इसका वितरण किसी स्थान पर नहीं हा पाता तो उपभोक्ताओं को आग्रामी मास में यह चीनी दे दी जाएगी।

लैवी चीनी का उपभोक्ताओं में वितरण 5320 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम (1280 भाहरी क्षेत्र में तथा 4040 ग्रमीण क्षेत्र में) से किया जा रहा हैं। उचित मूल्य की दुकानों के कार्य पर कड़ी निगरानी रखी जाती हैं ताकि चोरबाजारी करने वालों के विरूद्ध कार्यावाही की जाए। भाूगर कंट्रोल आर्डर की उल्लंघना करने के अपराध में जनवरी, 1981 से फरवरी, 1982 के समय के दौरान 30 मामले में पुलिस में दर्ज करवाए गए और 21 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया हैं। इन मामलों में रूपए 74,150 के भण्डार जब्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इसी समय के दौरान 103 उचित मूल्य की दुकानों के लाईसैस रद्द किए गए तथा 574 डिपू होल्डरों की रूपए 1,67,401 की प्रतिभूति की रा ि। जब्त की गई।

मिट्टी का तेल

भारत सरकार द्वारा मिट्टी का तेल तदर्थ आधार पर अलाट किया जाता हैं। अक्तूबर 1980 से हरियाणा को प्रतिमास 8995 किलो लिटर मिट्टी का तेल अलाट किया जा रहा है जबकि इस से पहले यह लगभग 7000 किलो लिटर था।

इस समय मिट्टी के तेल की उपलब्धि स्थिति काफी संतोशजनक हैं यद्यपि इसे सुगम नहीं कहा जा सकता । फरवरी, 1982 के पहले पखवाड़े में बन्दरगाहों/तेल साफ करने वाले कारखानों से हिसार तथा अम्बाला में स्थित तेल कम्पनियों के डिपूओं पर मिट्टी के तेल में आने में रूकावट के कारण राज्य में इसकी कुछ कमी महसूस की गई थी मगर राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार तथा आयल कम्पनीज के साथ तुरन्त मामला उठाए जाने के कारण इस की स्थिति में भीघ्र ही सुधार हो गया।

मिट्टी के तेल का वितरण राशन कार्डों पर 5 लिटर प्रति कार्ड प्रति सप्ताह या 20 लिटर प्रति कार्ड मास की दर से किया जा रहा है। राज्य में मिट्टी के तेल की कमी नहीं है। जिला अधिकारी इसके ठीक वितरण के बारे पूरी निगरानी रख रहे है। 1–1–81 से 28–2–82 के समय के दौरान मिट्टी के तेल के विक्रेताओं के विरूद्ध 34 मामले पुलिस में दर्ज करवाए गए तथा 58 उन दोशियों जिन्होंने मिट्टी के तेल की बेच में हेराफेरी की के विरूद्ध विभागीय कार्यावाही की गई।

जलाने वाली गैसः–

जलाने वाली गैस के वितरण पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं हैं। गैस की सप्लाई भारत सरकार की हिदायतों के अनुसार आयल कम्पनीज द्वारा स्वयं ही की जाती हैं।

यह ध्यान में रखने योग्य बात हैं कि राज्य सरकार वस्तुओं का उचित वितरण कराने हेतु कोई कसर नहीं छोड़ी और जहां तक संभव हो सका हैं इन वस्तुओं की सप्लाई को नियंत्रित करने के लिए उचित समय पर हर संभव पग उठाए है। इसके अतिरिक्त इनके वितरण मै जो भी व्यक्ति अनियमितताएं करते पाए गए हैं उनके विरूद्ध कड़ी कार्यावाही भी की गई हैं।

श्री अध्यक्षः जिन्होंने काल अटैन ान मो ान दिया था वे एक–एक सवाल पूछ सकते हैं।

चौधरी अजीत सिंहः स्पीकर साहब, चीनी के बारे में तो सुबह ही चर्चा काफी हैं मैं अब केवल सीमेट के बारे में पूछना चाहता हूं। स्पीकर साहब, ग्रामीण इलाको मेंं सीमेंट की बहुत ज्यादा किल्लत है। किसानों को अपने ट्यूबवैल्ज का कुछ काम कराने के लिए सीमेट की जरूरत होती हैं और जब भी उनको छोटी मोटी मरम्मत करनी होती हैं तो कई महीनें तक उनको सीमेंट नहीं मिलता और ब्लैक में चाहे कितना ही सीमेट ले लो।

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, मैने अपने स्टेटमैट मेंं भी बताया हैं कि ब्लैक में तो सीमेंट मिलने का सवाल ही नहीं है। अब सीमेट का पारि ायल डि–कन्ड्रोल हो गया हैं और 65 रूपए प्रति कट्टे के लगभग प्राईस फिक्स होने जा रही हैं । इस बारे में चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मीटिग करके दो–तीन दिन के अन्दर पौलिसी बनाने जा रहे हैं। जो गरीब लोग हैं जिनके मकान

का एरिया अस्सी गज है उनकी कन्ड्रोल रेट पर सीमेट दिया जाएगा और जो आदिवासी हैं या हरिजन हैं उनको भी मरम्मत के लिए सींमेट दिया जाएगा।

श्री फतेह चन्द विज: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि जब से सींमेट की नई पोलिसी लागू ह ुई हैं स्टेट के अन्दर कितना सीमेट खुली मार्किट के लिए आया और कितना सीमेंट लैवी का आया। अगर लैवी का सीमेट नहीं आया तो क्या स्टेट गवर्नमैट, गवर्नमैंटआफ इंडिया का लिखेगी कि लैवी का सींमेट मिलना चाहिए।

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, सीमेट के बारे में पिछले महीने की 28 तारीख को फैसला हुआ हैं बहुत ज्यादा सींमेट लैवी का नहीं आया हैं। बहुत कम तादाद में आया हैं। जितना भी हमारा लैवी का सींमेट बनता होगा फैक्टरी वाले उसको पूरा करैंगे। स्पीकर साहब, हमारे पास जो सीमेंट आया हैं वह फ्री सेल का ज्यादा आया हैं ।

चौधरी जया नारायण: स्पीकर साहब, भारत सरकार ने पोलिसी तय की हैं कि जा आदमी अस्सी गज में मकान बनाएगा उसको लैवी सींमेट दिया जाएगा। देहात के अन्दर तो इतने एरिया में मकान बनाया ही नहीं जा सकता। उन लोगों की तो मजूबरी होती हैं । उनको अनाज के लिए भी जगह चाहिए, प ाुओं के लिए भी जगह चाहिए। क्या मंत्री महोदय, भारत सरकार के साथ

मीटिंग करके अस्सी गज के एरिया को दो सौ या अढाई सौ गज करवाने की कोि ा ा करेगें। दूसरी बात यह हैं कि 65 रूपए के हिसाब से चाहे जितना सींमेट लै लो लेकिन कन्ट्रोल में दो चार कट्टे ही मिलते हैं। क्या सरकार ज्यादा से ज्यादा लैवी का सीमेट लाने का प्रयत्न करेगी जिससे कि लोगों को अधिक सींमेट कन्ट्रोल का मिल सके ? अध्यक्ष महोदय विधायकों को साठ हजार रूपया मकान बनाने के लिए लोन मंजूर हुआ हैं। बहुत से मकान अधूरे पड़ें हैं क्योंकि सींमेट नहीं मिलता क्या विधायकों को कन्ट्रोल रेट पर सीमेट दिलवाया जाएगा?

श्री लछमन सिंहः जहां तक एरिया का संबंध हैं वह हमने तो किया नहीं हैं वह भारत सरकार ने किया हैं। एम0 एल0 एज0 को भी सींमेट फ्री मार्किट से लेना पड़ता है।

(ii) **आबकारी तथा कराधान मंत्री द्वारा राज्य में बंधक मजूदरों सम्बधी।**

श्री अध्यक्षः अब एक मंत्री महोदय, काल अटैन् ान मो ान नम्बर 44 के बारे में स्टेटमैट देगे। अगर सदस्य सहमत हो तो स्टेटमैंट को पढ़ा हुआ समझा जाए।

कुछ आवाजेंः नहीं जी। मंत्री महोदय को इसको पढ़ना चाहिए।

11.00 बजे

आबकारी तथा कराधान मंत्री (चौधरी मेहर सिंह राठी): स्पीकर साहब, राज्य के खादानों, ईंट के भट्टों, सड़क निर्माण व नहरों आदि पर कोई बन्धक मजूदर प्रथा नहीं हैं। इस संबंध में माननीय सदस्य ने सर्वोच्च न्यायालय का हवाला दिया हैं। यहां यह बताना उचित होगा कि बन्धुवा मुक्ति मोर्चा ने हरियाणा राज्य तथा अन्य के विरूद्ध वर्श 1982 की जो रिट संख्या 1628 दाखिल की के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित आदे ा दिनांक 5–3–1982 को दिये हैं:

''हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि राज्य सरकार ने चौकसी कमेटियों का गठन किया हैं जिससे कि न्यायालय को वांछित परिणाम प्राप्त हुऐ.....।''

2. सही तथ्य इस प्रकार हैं कि बन्धुवा मुक्ति मोर्चा ने वर्श 1982 की दो रिट क्रमांक संख्या 1628 व 2135 हरियाणा राज्य तथा अन्य के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की कि लाडवा जिला कुरूक्षेत्र स्थित लाला जगत राम वेद प्रका ा तथा करनाल स्थित श्री ज्ञान चन्द दृचावला के इंटों के भट्ठे व फरीदाबाद में मैसर्ज एस0 एल0 भार्मा एण्ड कम्पनी तथा अन्य की पत्थर की खादानों में बन्धक मजूदर कार्य करते है। वर्श 1982 की रिट संख्या 1628 में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार आदे ा दिये है:–

''न्यायालय में दाखिल की गई 23 व्यक्तियों की सूचि में से जिन 17 व्यक्तियों से न्यायालय द्वारा नियुक्त आयोग ने भेंट की, ने कहा कि वे अपने अपने घरों जिला मेरठ मैं जाना चाहते है। हरियाणा राज्य की ओर से पे ा वाले विद्वान वकील श्री के0जी0 भगत ने कहा हैं कि उन व्यक्तियों को घर वापिस जाने बारे उन्हें कोई आपति नहीं है। अतः यह आदे ा दिया जाता हैं कि इन व्यक्तियों को उनके प्रबन्धकों द्वारा न रोका जाए और उन्हें अपने अपने गांव को जाने दिया जाए। हम यह भी अनुरोध करते हैं कि जिलाधी ा मेरठ यथा संभंव जहां वह मजूदर चाहें पुनर्वासित करे। ''

3. वर्श 1982 की रिट संख्या 2135 के संबंध मेें सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित आदे ा दिये हैं:–

''जिन मजूदरों के नाम रिट में दिये गये हैं और जिनकी रिपोर्ट आयुक्तों ने दी है तथा जिसका ब्यौरा अलग सूचि द्वारा न्यायालय में दाखिल किया गया हैं उन्हें अपनीइच्छा अनुसार जहां वे चाहें जा सकेंगे और उन्हें ऐसा करने से कोई नहीं रोकेगा। यदि वे अपने गांव मैं जाते हैं तब वहां के जिलाधी ा अपने अधिकार क्षेत्र के गांव में यथा संभव इनके पुनर्वास की व्यवस्था करेगे।''

4. पहली रिट 2–4–82 तक स्थगित कर दी गई है और दसूरी रिट 19–4–1982 तक स्थगित कर दी गई हैं। जब कुछ

अन्य सूचना न्यायालय के आदें ाानुसार प्रस्तुत की जानी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि श्रमिक बंधुवा हैं।

5.

राज्य में कु ाल मजूदरों की कमी के कारण ईंट के भट्ठे आदि पर कार्य करने के लिये पड़ोसी राज्यों जैसे यू0 पी0, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदे ा और उड़ीसा से प्रवा ाी मजूदरों लाये जाते है। साधारणतः इन मजूदरों को भट्ठों और खादानों पर काम करने के लिये एडवांस रा ि ा देकर लाया जाता है और यह रा ि ा उनके वहां रहते रहते उनके वेतन में से काटी जाती हैं। राज्य सरकार ने इंटर–स्टेट माईग्रेट वर्कमैन (रैगूले ान आफ इम्पलायमैट एण्ड कन्डी ान आफ सर्विस) एक्ट, 1979 के अन्तर्गत रूल्ज बनाकर प्रवासी मजूदरों की नौकरी की भार्तों को नियंत्रित करने के लिये 17–7–81 को उन्हें लागू किया जाए ताकि ठेकेदार तथा अन्य एजेंसियों उनका भाोशण न कर सके। राज्य सरकार ने इस अधिनियम की परिपालना के लिए विभिन्न अथाकरिटीज की नियुक्ति की है। 199 ईंटों के भट्ठों के प्रबधकों ने पजीकरण के लिये तथा 75 ठेकेदारों ने लाईसैंस के लिये आवेदन पत्र दिये है। इनमैं 108 पंजीकरण प्रमाण–पंत्र प्रबधकों को जारी कर दिये गये है और भोश पंजीयकरण प्रमाण पत्र तथा लाईसैंस के लिये प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाही की जा रही है। डिसपनेसमैट भता, आने जाने के किराया रहने के लिये घर, चिक्तिसा सुविधाएं, पेय जल की सुविधाएं, बचाव के लिये कपड़ा और वेतन की अदायगी का

अधिनियम तथा रूल्ज में प्रावधान हैं। जहां तक रा ान कार्ड का संबंध हैं प्रत्येक व्यक्ति अपना रा ान कार्ड संबंधित खाद्य तथा आधिकारी से बनवा सकता है यदि वह उनके दफतर में प्रार्थना पत्र देता हैं।

6. बोडिन्ड लेबर सिस्टम (एबूले ान) एक्ट, 1976 की परिपालना के लिये निम्न पग उठाये गये है:—

1. राज्य सरकार ने बोडिन्ड लेबर सिस्टम एक्ट, 1976 के अन्तर्गत जिलाधी ाों को उनके अधिकार क्षेत्र में प्रयोग में आने वाली भाक्तियां प्रदान की गई हैं।

2. राज्य सरकार ने कार्यकारी न्यायाधी ाों को राज्य में बोडिन्ड लेबर सिस्टम (एबूले ान) एक्ट, 1976 की धारा 21 के अन्तर्गत अपराधों की खोज के लिये जुडि ायल मैजिस्ट्रेटस की भाक्तियां प्रदान की हैं।

3. प्रत्येक जिला तथा सब डिवीजनल के लिये चौकसी कमेटियों का गठन किया गया हैं ।

जिलाधी ा तथा सब डिवीजन न्यायाधी ा जो इन कमेटियों के अध्यक्ष हैं को कहा गया हैं कि वे इन कमेटियों में बैठके नियमित रूप से बुलाये और की गई कार्यवाही की रिपोर्ट सरकार को भेजे। ऐसी बैठके कई स्थानों पर पहले ही हो चुकी है।

7. राज्य में न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948, कोन्ट्रैक्ट लेबर (एबूले ान) एक्ट, 1976 ईक्वल रैमेन्यूरे ान एक्ट, 1976 एम्पलायमैंट आफ चिलड्रैन एक्ट तथा वर्कमैन कम्पनसे ान एक्ट,1923 की पूर्ण परिपालना के संबंध में संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:–

(1) **न्यूनतम वेंतन अधिनियम**, 1948

सरकार ने 36 अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम वेतन निर्धारित/सं ाोधन किए हैं। वर्तमान में न्यूनतम वेतन 240 रूपयै से लेकर 322 रूपये प्रतिमास तक है और इन्हें 1.50 पैसे प्रति बिन्दु की दर से मूल्य सूचकांक से जोड़ा हुआ हैं सिवाये 6 अनुसूचित रोजगारों को। यहां यह बता देना उचित होगा कि कानून के अनुसार न्यूनतम वेतन 5 वर्श की अवधि में सं ाोधित किये जाने होते है। परन्तु हमारे राज्य की नीति अनुसार प्रत्येक दो वर्श के प चात् आमतौर पर इनमैं सं ाोधन किया जाता है। इस नीति को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार सभी 36 अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम वेतनों को सं ाशित करने के लिये भीघ्र कार्यवाही कर रही है। जिसके लिये 25.3.1982 को स्टेट मिनीमम वेजिज ऐडवाइजरी बोर्ड की बैठक बुलाई है।

इस अधिनियम की परिपालना के लिये क्षेत्रीय निरीक्षण स्टाफ को अधिसूचित कर दिया है और श्रम विभाग के श्रम तथा

समझौता अधिकारियों को कम वेतनों संबधी क्लेंमेां को सुनने तथा फैसला देने का अधिकार दिया गया है।

खेती बाड़ी में कार्यरत मजूदरों के हितों की रक्षा के लिये तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को भाक्तियां प्रदान की हुई है।

(2) कोन्ट्रैक्स लेबर (एबुंले ान) एक्ट, 1976

इस अधिनियम की परिपालना के लिये रजिस्ट्रे ान/लाईसैंस अधिकारी नियुक्त किये हुये है। 108 प्रबन्धकों को पंजीकरण पत्र तथा 65 ठेकेदारों को लाईसैंस पहले ही जारी किये जा चुके है। क्षेत्रीय निरीक्षण अमले को इस अधिनियम की धारायों को लागू करने के लिये अधिसूचित किया हआ है। राज्य स्तर पर इस अधिनियम को परिपालना के लिये स्टेट ऐडवाईजरी कोन्ट्रैक्स बोर्ड का गठन किया गया है। हरियाणा सरकार की अधिसूचना दिनांक 9–7–1981 द्वारा टैस्सटाईल उद्योग व ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर दी गई है। कुछ अन्य उद्योगों जैसे रबड़, कैमीकल व डिस्टीलरी, ग्लास, पेपर कार्ड–बोर्ड में ठेकेदारी प्रथा समाप्त करना सरकार के विचारधीन हैं।

(3) इक्क्वल रैमेन्यूरे ान एक्ट, 1976

इस अधिनियम की धारायों की परिपालना के लिये दिनांक 18–1–1980 को क्षेत्रीय निरीक्षण अमले को अधिसूचित किया गया है। श्रम तथा समझौता अधिकारियों को इस अधिनियम

के अन्तर्गत उल्लंघनाओं तथा ि ाकायतों को सुनने के लिऐ तथा एक ही प्रकार के कार्य लिये पुरूशों तथा स्त्री मजूदरों को समान वेतन न देने बारे क्लेमों को निपटाने हेत ु अथोरटीज के रूप में नियुक्त किया हुआ है।

स्त्री मजूदरों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार ने इस अधिनियम के अन्तर्गत ऐडवाईजरी कमेटी का गठन किया हुआ है।

(4) **इम्पलायमैंट आफ चिल्ड्रन एक्ट**, 1938

कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत सामान्यतः पंजीकृत कारखानों में बच्चों को रोजगार नहीं दिया जाता अलबता कुछ अपने माता पिता के साथ जो भट्ठों तथा काटन जिनिंग कारखानों मे काम करने आते हैं उनके साथ आ जाते है। कुछ ढाबों तथा छोटे होटलों में बच्चों के काम करने के उदाहारण है। क्षेत्रीय निरीक्षण स्टाफ को पहले ही कहा हुआ है कि वह दृढ़ता से कसूरवार प्रबधको के विरूद्ध अधिनियम के अनुसार कार्यवाही करें।

(5) **वर्कमैन कम्पनसे ान एक्ट**, 1923

राज्य सरकार ने पहले ही श्रम विभाग के श्रम तथा समझौता अधिकारियों को अधिनियम के अन्तर्गत कमि नर नियुक्त किया हुआ है। ताकि वह मजूदरों को काम करते समय लगी चोट से संबधित क्लेम का फैसला कर सकें। वर्श 1981 में ऐसे 350 क्लेम दाखिल किये गये जिन मैं से 180 क्लेमों का फैसला हुआ

और मजूदरों या उनके आश्रितों को मुआवजे के रूप में रूपये 6,01,230.25 दिलाये गये।

8. थामसन प्रैस एल्सन काटन मिल्ज फरीदाबाद के किसी मजूदर ने गैर कानूनी छंटनी बारे कोई औद्योगिक विवाद नहीं उठाया। अतः सरकार द्वारा उनके बहाल करवाने बारे कोई कार्यवाही नहीं की जानी है।

स्वामी अग्निवे ा: अध्यक्ष महोदय, सुप्रीट कोर्ट ने 5 मार्च को मेरठ के 17 बुधआ मजूदरों को छुड़वाया और आदे ा दिया कि इनको रिहैबलीटेट किया जाए तो ये किस तरह से कहते हैं कि राज्य में कोई बधुआ मजूदर नहीं हैं। (ाोर)

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको बन्धुआ मजूदर करार नहीं दिया है।

स्वामी अग्निवे ा: अगर बन्धुआ मजदूर करार नहीं दिया है तो यह कैसे कह दिया है कि उनको रिलीज किया जाए और रिहैबलीटेट किया जाए। ऐसा तो बन्धुआ मजदूरों के लिए ही आर्डर होता हैं। (ाोर)

मुख्य मंत्री: (**चौधरी भजनलाल**): अध्यक्ष महोदय, मै दो मिनट का समय चाहूंगा ताकि स्वामी जी को और हाउस को पता लग जाए कि बन्धुआ लेबर के मायने क्या होते हैं। स्वामी जी के पास एक ही काम रह गया हैं कि किसी तरह से स्टेट का वातावरण खराब किया जाए, इनको और कोई काम नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, अगर खेत में कोई किसान भी सीरी रखता है। तो उसको भी पहले पैसा देकर रखता है.....

श्री बलदेव तायल: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। अभी मुख्य मंत्री जी ने फर्माया कि स्वामी जी को सिवाए स्टेट का वातावरण खराब करने के और कोई काम नहीं है। (ाोर) इनको कोई अधिकार नहीं है यह बात कहने का कि स्वामी जी स्टेट का वातावरण खराब करते है। मेरी गुजारि ा यह है कि इस पूंजीपति सोसायटी के अन्दर जब जब बन्धुआ मजदूर का सवाल उठा है तब तब पूंजीपति लोगों ने यही नारा दिया है। (ाोर) जब कोई मजदूर हड़ताल की बात करता है तो यें कहते है कि यह स्टेट का वातावरण खराब करता है। (ाोर)

चौधरी भजनलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा था हरियाणा प्रान्त में बन्धुआ लेबर बिल्कुल नही है और न ही सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा फैसला दिया है। अगर किसी कि वह बन्धुआ मजदूर को कोई हाई कोर्ट का जज भट्ठे वाले की कस्टठी से छुड़वाता तब तो मान लेते कि वह बन्धुआ मजदूर था। अध्यक्ष महोदय, किसान भी जब खेती में सीरी रखता है तो उस को पहले पैसा देना पड़ता हैं। इसी तरह से भट्ठे पर भी जब मजदूरों को लाया जाता है तो उनको पैसा देना पड़ता है। ताकि उस गरीब को यह तसल्ली हो जाए कि उसका पैसा नहीं मरेगा। इसमें मजदूर की सेफटी है। मजदूर भट्ठे वाले के पैसे भी मार कर भाग सकता है। मै इस बारे में बहुत सी मिसालें भी दे सकता हूं कि

इसमें मजदूर की सेफटी है। आज तक कही से ि ाकायत नही आई कि फलां जगह बन्धुआ मजदूर है। स्वामी जी का तो यह काम है कि पांच आदमी कहीं से पकड़ लिये और लाकर खड़े कर दिये। वे कहते है कि भट्ठे वाले के हमारी तरफ पैसे है और वह हमें जाने नहीं देता। मैं बताना चाहता हूं कि स्टेट में अगर भट्ठा इंडस्टी फेल हो गई तो सारी डिवैल्पमैट के काम रूक जाएंगे। मैं स्वामी जी से प्रार्थना कंरूगा कि वे ऐसी बातें न करें। अगर किसी का कोई पैसा मार लेता है तो कल को कौन खेंतों मै काम करेगा कौन भट्ठों पर काम करेगा और कौन खानों में काम करेगा? हरियाणा सरकार की गरीब मजदूरों के साथ पूरी हमदर्दी है। हम हरियाणा में गरीबों के साथ ज्यादती नही होने देगे।

चौधरी अजीत सिंह: स्पीकर साहब, मेरे हल्के बेरी के अन्दर एक गत्रा क्र ार से 24 बन्धुआ मजदूरों को रिहा करवाया गया है। वह क्र ार एक कांग्रेस के नेता का है और उसने बेरी हल्के से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था। उस कांग्रेस के नेता पर गांव की पंचायत ने दो हजार रूपए जुर्माना भी किया है। मै। मंत्री जी से यह जानता चाहता हूं कि क्या उन मजदूरों में से किसी आदमी को जेल में रखा गया और क्या यह बात सही है। कि उस नेता पर गांव की पंचायत ने दो हजार रूपए का जुर्माना किया ? क्या ये सारी बातें मंत्री जी के नोटिस में हैं।

चौधरी मेहर सिंह राठी: स्पीकर साहब, ऐसी कोई बात मेरे नोटिस में नहीं है। (ाोर)

बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की तीसरी रिपोर्ट

श्री अध्यक्षः अब मैं विभिन्न कार्यों के बारे में बिजनैस एडवाइजरी कमेटी द्वारा नियत किया गया टाईम टेबल रिपोर्ट करता हूं।

"The Committee met at 11.30 A.M. on Tuesday, the 30th March, 1982 in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

The Committee after some discussion recommended that the business on the 31st March, 1st April and 2nd April, 1982 be transacted by the Sabha as follows:--

Wednesday, the 31st March, 1982 (9.30A.M.)

1. Question Hour.

2. Presentation and adoption of the Third Report of the Business Advisory Committee.

3. Motion under Rule 30.

4. Appropriation Bill in respect of Budget.

5. Appropriation Bill is respect of Excess Demands for Grants over Appropriateion.

Thursday, the 1st April, 1982 (9.30 A.M.)

1. Question Hour.

Legislative Business

(1) The Haryana General Sales Tax (Amendment and Validation) Bill 1982 (alongwith notice of disapproval of the ordinance given notice of by Shri. Ram Lal Wadhwa, M.L.A.)

(2) The Faridabad Complex (Regulation and Development) Amendment Bill 1982 (alongwith notice of disapproval of the ordinance given notice of by Shri. Ram Lal Wadhwa, M.L.A.)

(3) The Punjab Cinemas (Regulation) Haryana Amendment Bill, 1982.

(4) The Haryana Public Wakfs (Extension of Limitation) Bill, 1982.

(5) The Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill, 1982.

3. Discussion on the report of Shri. Baldev Tayal Committee (Notices given by Chaudhri Khurshid Ahmed, Minister and Sarvshri Ajit Singh, Ram Singh Mann, Jagdish Kumar Baniwal).

Friday, the 2nd April, 1982 (9.30 A.M.)

1. Question Hour.

2. Motion under Rule 15.

3. Motion under Rule 16.

4. **Legislative Business**

(1) The East Punjab Molasses (Control) Haryana Amendment Bill, 1982.

(2) The Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment) Bill, 1982.

(3) The Haryana Affiliated Colleges (Security of Service) Amendment Bill, 1982.

(4) The Haryana Private Colleges (Taking over of Management) Amendment Bill, 1982.

(5) The Punjab Land Revenue (Haryana Amendment) BIll, 1982.

5. Official Resolution regarding Estate Duty in respect of agricultural land in the Haryana State.

6. Discussion on motion under Rule 84.

(1) That the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) First Amendment Regulation, 1981, be taken into consideration and discussed.

(2) That the 6th Annual Report and Accounts for the year 1979-80 of the Haryana Seeds and Development Corporation Limited be taken into consideration and discussed.

(3) That the Annual Audit Report of the Haryana Agricultural University, Hissar for the year 1979-80 be taken into consideration and discussed.

(4) That the Annual Financial Statement for the year 1981-82 and recevied Estimates (Budget Estimates) for the year 1980-8-1 of the Haryana Electricity Board be taken into consideration and discussed.

(5) That the Annual Statement of Accounts for the year 1977-78 of the Haryana State Electricity Board be taken into consideration and discussed.

(6) That the Administration Report of the Haryana State Electricity Board for the year 1978-79 be taken into consideration and discussed.

(7) That the Statement showing the loan raised by the Haryana State Electricity Board upto 31-1-1982 for which the State Government have stood guarantee for repayment thereof be taken into consideration and discussed.

Shri. Mool Chand Jain and Dr. Mangal Sein stressed that the House should meet on 5th April, 1982 to complete the pending business but this was not agreed to by the majority of the Members of the Committee."

वित मंत्री (चौधरी खुर ीद अहमद): स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव पे ा करता हूं–

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की तृतीय रिपोर्ट में दी गई सिफारि ाों स्वीकार करता है।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की तृतीय रिपोर्ट में दी गई सिफारि ाों स्वीकार करता है।

श्री मूल चन्द जैन (सम्भालका): स्पीकर साहब, जो मो ान हाउस में पे ा हुआ है मै इसका विरोध करने के लिए

खड़ा हुआ हूं। स्पीकर साहब, यह बहुत ही एक्सट्रा आडिनरी सिचुएन है। बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मींटिग में आम तौर पर रूलिंग पार्टी के सदस्य और मुखतलिफ विरोधी पार्टियों के लीडर इकट्ठे होते हैं। बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में डिस्क ान के बाद सर्वसम्पति में हुए फैसले की रिपोर्ट आती है। लेकिन यह पहली मर्तबा है कि रूलिंग पार्टी अपनी ब्रूट मैजोरिटी की वजह से ऐसा कर रही है। क्योकि बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में भी रूलिग पार्टी की मैजोरिटी है, इसलिए उस रिपोर्ट की हाउस से ये एप्रूवल लेना चाहते है। स्पीकर साहब, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की दूसरी मींटिग 23 मार्च को हुई थी और उस मीटिंग की रिपोर्ट हाउस ने 23 मार्च को एप्रूव कर दी थी । उस रिपोर्ट के अनुसार हाउस का एजेन्डा 2 अप्रैल तक के लिए फिक्स हो चुका था। लेकिन 22 मार्च की मींटिग के बाद कुछ और मो ान आई है। जैसे मुझे पता लगा है कि एस्टेट ड्यूटी का रैजोल्यू ान हाउस के एजेन्डे पर लाना चाहते है क्योकि 22 मार्च की बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में हमारे सामने इस बारे में कोई जिक्र नहीं आया था। इसके अलावा श्री बलदेव तायल द्वारा दी गई वन मैन इनक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का भी 22 तारीख की मींटिग में जिक्र नहीं था। इसके अलावा 7 मो ान और आई है। स्पीकर साहब, मै यह कहना चाहता हूं कि दो दिन के सै ान में इतना बिजनैस कैसे समाप्त हो सकता है? हमनें बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मींटिग में चीफ मिनिस्टर और पार्लियामैंटरी अफेवर्ज मिनिस्टर से कहा कि

आप हाउस को बढ़ा दें। हमने यह भी कहा कि यदि आप 5 अप्रैल को सै ान नहीं करना चाहते तो 6,7,8 या 9 तारीख को सै ान कर लें। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि 8 अप्रैल को प्रधान मंत्री जी आ रही हैं। इसलिए 8 अप्रैल को सै ान नहीं हो सकता। उस समय मैनें कहा कि यदि आप 8 अप्रैल को नहीं कर सकते तो उससे अगले दिन कर लें। स्पीकर साहब, लोक सभा और राज्य सभा का जब सै ान होता है तो वे भी कई बार चलते हुए सै ान के दौरान अपनी सीटिंग कई कई दिन के लिए एडजर्ट कर देते है। इसके बाद हमने यह भी कहा कि बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मींटिग में यह भी कहा कि 2 अप्रैल को राम जी का त्यौहार है इसलिए उस दिन सै ान नहीं होना चाहिए लेकिन उस समय यह प्रैसीडेड दिखया गया कि पहले कि जिस दिन रामनोमी थी उस दिन भी सै ान हुआ है। स्पीकर साहब, पेपर्ज में इस बात की खबर आई है कि लोकसभा में भी रामनौमी को सै ान होने के बारे में चर्चा हुई है। उस बारे में लौकसभा के पालियामैंटरी अफेंयर्ज मिनिस्टर ने यह कि यदि अपोजी ान के सदस्य यह कहतें है कि रामनौमी को लोकसभा का सै ान नहीं होना चाहिए तो सै ान नहीं होगा। स्पीकर साहब, लोकसभा में भी कांग्रेस की रूलिंग पार्टी है और हरियाणा में भी कागेंस की रूलिंग पार्टी हैं लेकिन यह नकली काग्रेंस पार्टी है। (ाोर)

स्पीकर साहब, कुछ बिजनैस उस समय हमारे सामने नहीं था जिस समय दूसरी मीटिंग हुई थी। प्रिवीलिज कमेटी की

रिपोर्ट आ गई थी और वह उसके चेयरमैन ने वापस ले ली। उस पर आपने कहा था कि किसी भी चेयरमैन को अपनी रिपोर्ट रोकने का अधिकार नहीं है। यदि चेयरमैन के दिल में ऐसी कोई बात होती तो रिपोर्ट को रोकने से पहले चेयरमैन को अपनी कमेटी की मींटिग बुलानी चाहिए थी और सारे मैम्बरों से सलाह करके ही कोई आगामी कार्यवाही करनी चाहिए थीं । इन हालात में जबकि रूलिंग पार्टी मैजोरिटी में हैं और हम लोग माईनोरिटी में हैं इसलिऐ आपको सही बात माननी चाहिए। इस 90 सदस्यों के हाउस में हम 40 अपोजी ान के सदस्य है। यदि हम अपनी कोई रीजनेबल बात भी न मनवा सके तो फिर इससे ज्यादा और क्या दु:ख की बात होगी। इन लोगों ने अपनी ब्रूट मैजोरिटी का फायदा उठाया हुआ है।

श्री अध्यक्ष: जैन साहब ब्रूट मैजोरिटी का मतलब क्या होता है?

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, ब्रूट मैजोरिटी का यही मतलब हैं कि माइनोरिटी की कोई बात मैजोरिटी ग्रुप न माने। (ाोर) और वह अपनी मनमानी करके काम चलाये। (ाोर) स्पीकर साहब, इनकी ब्रूट मैजोरिटी है और ये मनमानी से काम करना चाहतें है इसलिये हमारे पास सिवाए गांधी जी के रास्ते पर चलने के और कोई रास्ता नही है। (ाोर) यदि ये इस तरह की बातों को भी नहीं मानेंगे तो यह हाउस कभी नहीं चलेगा। With all the sincerity and with all the emphasis at my command. I

warn the Government कि इन हालात में हमारे लिए गांधी जी के बताए हुए रास्ते के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। (ाोर)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजनलाल): अध्यक्ष महोदय, अभी बाबू मूलचन्द जैन जी ने मैजोरिटी की बात की हैं और एक बात गांधीवाद की कहीं है। (ाोर)

चौधरी भजनलाल: स्पीकर साहब, 2 तारीख तक का फैसला बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में हो चुका था। सारी बातें उस समय हमारे सामने थी। सिवाए एक रैजोल्यू ान के। इन्होंने एक बात और कही थी कि यह पार्टी नकली पार्टी है। (ाोर) मै आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि हमारी नकली पार्टी है। तो आपकी क्या पार्टी हैं। नकली पार्टी तो आपकी हैं। जिस समय चरण सिंह जी आए उस समय आपको स्टेज पर भी नहीं चढ़ने दिया। (ाोर) जितने सदस्य आपके हैं ये आपकी कोई एक बात भी मान कर दिखा दें तो मैं मान जाऊं। (ाोर) हाउस में आपके सदस्य आपकी एक बात भी नहीं मान रहे। (ाोर) नकली पार्टी आपकी है। जब आपको स्टेज पर नहीं जाने दिया था तो उसी समय आपको अस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते तब मालूम होता कि आप असली पार्टी के नेता है। (ाोर)

श्री मूल चन्द जैन: समय बतायेगा कि मैं असली लीडर हूं या नहीं। जिस समय में राजनीति के अन्दर आया था उस समय तो आप बच्चे ही थे। (ाोर)

चौधरी भजनलाल: मैं आपकी इज्जत करता हूं। (ाोर)

श्री अध्यक्ष: मैं आप सब साहेबवान से एक दरखास्त करना चाहता हूं कि गवर्नमैंट ने एप्रप्रिए ान बिल 30 तारीख के लिए रखा था क्योकि इस बिल पर 31 तारीख को गर्वनर साहब के हस्ताक्षर होने है and then only the finances of the State will start functioning. मैने सभी मैम्बरान को हर विशय पर बोलने के लिए ज्यादा समय दिया है। डिमांडज पर बोलने के लिए एक दिन से समय बढ़ा कर दो दिन का समय दिया। आज 31 तारीख हैं। मैं हाउस की कार्यवाही थोडी जल्दी करने की कोि ा ा करूंगा। क्योंकि यह जो एप्रोप्रिए ान बिल है यह पास होकर प्रैस में प्रिट होने के लिए जायेगा। और वहां से आने के बाद आज रात के 12.00 बजे से पहले पहले इस पर गर्वनर साहब के हस्ताक्षर होने हैं This I have forced on the Government in order to give more time for discussion on demands.

इस लिये मेरी यह डियूटी हैं कि यह बिल जल्दी से जल्दी पास होना चाहिऐ। As far as the other thing is concerned. I only wish to say that मैनें एक सिंटिग नहीं बढ़ाई बल्कि चार सिटिंग हैं। एक भानिवार को एक 29 तारीख को 11.00 बजे से लेकर 6.00 बजे तक नौन स्टोप और दो सिंटिग एक और दो तारीख की बढ़वाई है। अभी बाबू जी ने कहा हैं कि दो चीजे ज्यादा आई है। रूल 84 के अधीन ये चीजें बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट में आ सकती है।

श्री मूल चन्द जैन: क्या अब इसमें चेन्ज हो गयी हैं?

श्री अध्यक्ष: जहां तक तायल साहब की रिपोर्ट का सम्बन्ध हैं उस के लिए सिर्फ आधा घन्टा डिस्क ान एलाउड है। एक और रैजोल्यू ान जो एस्टेट डियूटी के सम्बन्ध में गर्वनमैंट की तरफ से आया है उसमें ऐसी कोई खास बात नहीं हैं। इसमें यही है कि एस्टेट डियूटी के लिए जमीदारों की जमीन की लिमिट 50 हजार रूपये की बजाये डेढ़ लाख रूपये हो जायेगी। इससे तो सभी सहमत होगे। (ाोर)

श्री सुरेन्द्र सिंह: आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, इस हाउस में जब कभी बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पें ा होती है तो उस पर अपोजी ान के मैम्बर बोल लेते है, उनको बोलने का टाईम दे दिया जाता हैं। जब आपस में बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पर डिस्क ान होती हैं तो लीडर आफ दि हाउस उसका जवाब दे देते हैं या अपनी बात कह लेते हैं।यदि यही देखना हैं कि इस में कुछ नहीं होता तो बात अलग हैं। लीडर आफ दि हाउस का जवाब आने के बाद आप अपनी रूलिंग दे देते हैं। यदि काम मैजोरिटी की वजह से करना हैं तो सारा काम एक घंटे में ही खत्म हो सकता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये जो बिल्ज है या दूसरे विशय हैं इन पर एक्सपर्टस से सलाह लेनी होती हैं। इन पर सभी मैम्बरों ने बोलना होता हैं। इसलिये दो तारीख की बजाये सै ान 5 तारीख का रख लिया जाये। हमारे सामने इतना काम हैं कि यदि सै ान

प्रातः 9.00 बजे भुरू किया जाये तो रात 10.00 बजे तक भी पूरा नहीं हो सकता । (ाोर)

स्पीकर साहब, मेरी गुजारि ा यह है कि जल्दी क्या हैं? दो और तीन तारीख को अगर सै ान न करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दो दिन बाद सै ान कर लें। (विधन) स्पीकर साहब, मैं तो अपने लीडर वैसे सिर्फ यही विनती करूंगा कि 2 तारीख को इतनी देर तक बिजनैस चलाने की बजाये अगर ये उसे किसी दूसरे दिन टेक आप करवा लें तो ठीक रहेगा।

डा0 मंगल जैन (रोहतक): स्पीकर साहब, बाबू मूलचन्द जैन जी ने जो बात कही है वह बिल्कुल सही कही है। मुझे बड़ा खेद हैं कि मुख्य मंत्री जी ने उनको एपोि ाएट नहीं किया। स्पीकर साहब, आपने एक बात फरमाई हैं कि 30 तारीख को एप्रोप्रोि ाएन बिल आना था। लेकिन आपके बड़े दबाव देने के बाद ये इसे 31 तारीख को लाने के लिए माने। स्पीकर साहब, 15 तारीख को सै ान भुरू हुआ हैं। इनकी ओरिजिनल प्लान के मुताबिक यह 31 मार्च तक चलना था। स्पीकर साहब, इनको किसने रोका था कि ये सै ान को 8 मार्च से न बुलाये? और गर्वनर साहब की स्वीकृति इतनी जरूरी हैं भी तो इनको एक सप्ताह पहले सै ान बुलाने से किसने रोका था? पता नहीं ये किस मामले मैं म ागूल रहे।(विधन) भाायद टिकटो के चक्कर में घूमते रहें हो। खैर मैं तो यह कहूंगा कि अगर सै ान का समय न बढ़ा तो हमारे साथ बड़ी ज्यादती होगी। जब बिल्ज इतने थे

रूल 84 के तहत हमने पहले से ही डिस्क ान नौन कंट्रो ि र्यल हैं हो सकता वह इनीमैंट रैजोन्यू ान कंप्लीके ान का रूप धारण कर जाए क्योंकि इस समय वह हमारे सामने नहीं हैं। केवल उनका चहेरा देख कर हम तो स्पीकर साहब, मेरा कहना हैं कि आपको इनके साथ हमदर्दी नहीं करनी चाहिये। आपकी हमदर्दी तो हमारे साथ होनी चाहिए क्योंकि होम वर्क हमने करना हैं सारी किताबें हमने पढ़नी हैं। इनके पास तो स्टाफ है। इनको वह बता देगा कि यहां यहां अन्डरलाईन किया हुआ हैं राठी साहब को उर्दू में लिखकर वे पढ़ावा देगे। (विघन) स्पीकर साहब, प्रिवलेज कमेटी की रिपोर्ट को हाउस में आने से जिस तरह से रोका गया है वह अनहर्ड आफ है। सुननें में आया हैं कि स्वामी जी की तरफ से ऐसी एप्लीके ान आई हैं कि एक ही कास्ट के 8 लोगों थे इसलिये न्याय नहीं हुआ। अगर यह बात सही हैं तो बड़ी लज्जा की बात है। (विघन) ऐसा इल्जाम रूलिंग पार्टी के लोगों की तरफ से भी आया हैं आज भी स्पीकर साहब, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि श्री सुरेन्द्र सिंह को पी0 यू0 सी0 से इसलिये ड्रौप किया गया, उन्हें विद्ड्रा करने के लिए इसीलिये मजबूर किया गया क्योंकि वे इसके इ ाारे पर नाचने के लिये तैयार नहीं थे वे अपनी जमीर के मुताबिक चलना चाहते थे (विघन) स्पीकर साहब, बाबू जी के ब्रूट मैजोरिटी का भाब्द इस्तेमाल करने पर आपने पूछा कि ब्रूट मैजोरिटी की डैफीनि ान क्या है? स्पीकर साहब, जहां रीजनेबलनैस न रहे हैं। जहां पर दलील सुनने के लिये कोई तैयार न हो, उसको ब्रूट मौजोरिटी कहते है चाहे वह एक वोट से

ही क्यों न हो। ठीक हैं इनके पास चेपे हुये आदमी है जैसा मर्जी चाहें ये कर लें। (विघन) तो स्पीकर साहब, मैं बड़ी नम्रता से कहना चाहता हूं कि यह फैग एन्ड आफ दि टर्म है। इसमें हमें अनप्लैजैन्टनैस लेकर नहीं जाना चाहिए। इनको दो दिन और सै ान बढ़ाने के लिए इनके ही नौजवान उदयमान नेता ने सुझाव दिया हैं । हमारी नहीं तो ये उनकी बात ही मान लें क्योंकि इनको आखिर में उनकी भारण में ही जाना पड़ेगा। (विघन) तो स्पीकर साहब, मैं बड़े पुरजार भाब्दों में आपके द्वारा इनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि जेसा बाबू मूलचन्द जैन जी ने कहा ये हमें अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिय मजबूर न करे और यहां कोई अनप्लैजैन्ट बात न हो। (विघन) इन्हें चाहिए कि ये हमारी बात को मान कर पांच तारीख को भी सै ान कर लें और प्रिवलेज कमेटी की रिपोर्ट जो प्रिन्ट हो चुकी है, वह हाउस में आ जाए और उस पर डिसक ान हो जाए। भजनलाल जी आप स्वाी आदित्यवे ा को आखिर कब तक बचाओगे? (विघन)

श्री अध्यक्षः डा0 साहब, इसका बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट से कोई सम्बन्ध नहीं है।

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने हैं इसको वापिस लिया जाना चाहिए। बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिग दुबारा बुलाई जानी चाहिए। और 5 तथा 6 तारीख को सै ान होना चाहिए । इसी में सबकी भाान है।

श्री बलदेव तायल: स्पीकर साहब, मेरा निवेदन हैं कि.....
.....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इस पर आधे घण्टें से ज्यादा डिसक ान नहीं हो सकती।

चौधरी रिजक राम: स्पीकर साहब, किसी को तो पन्द्रह मिनट मिल गए हैं और किसी को दो मिनट भी नहीं मिल रहें है।

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब, इस पर डिसक ान होते आधे घटें से ज्यादा समय हो गया है।

श्री बलदेव तायल (हंसी): स्पीकर साहब, प्रजातंत्र के अन्दर अपोजी ान का रोल बहुत अहम होता है। अपोजी ान की सिर्फ इतनी डिमांड है कि बिजनैस को देखते हुए इस सै ान को थोड़ा बड़ा दिया जाए। एक दिन या दो दिन के लिए जितनी बिजनैस डिमांड करता है यह वैसे बढ़ा दिया जाए। मेरी समझ से बाहर बात हैं कि रूलिंग पार्टी की ऐसी क्या तकलीफ दिखाई दे रही हैं। जो यह हमारी इस मांग को मानने के तैयार नहीं है।

एक आवाज: यह बात आपको बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिग में उठानी चाहिए थी।

श्री बलदेव तायल: मींटिग के अन्दर सुन लेते और हमारी बात मान लेते तो यह बात कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। जब वहां पर हमारी बात नहीं सुनी और न ही मानी तभी यहां

पर कहना जरूरी है। आप भी इस विशय में सोचिए। ऐसा करने से इनकी कितनी तारीफ होगी और इनका बडप्पन भी है। अपोजी ान की मांग हैं कि हाउस के सामने काफी बिजनैस है। सी0एम0 साहब ने कहा कि हम स्टेट का खर्चा बनवाना चाहते हैं । अगर स्टेट का ही पैसा बचाना है तो एमरजेन्सी के पट्रैन पर चलते हुए अप्रैन्वली भंग कर दो। कौि ाल आफ मिनिस्टर्ज का 24 का काफिला बैठा रखा हैं क्या इस पर आपका पैसा खर्च नहीं होता है? क्या असैम्बली को ही चलाने मैं पैसा खर्च होता है? आप छोटी सी कैबेनिट क्यों नहीं बनाते? इसनक लोगों को कार्पोरे ान के चेयरमैन और दूसरी चीजों पर खर्च कर रह है इसे क्यों नहीं बचाते ? (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी रिजक राम (**राई**): स्पीकर साहब, यह आखिरी सै ान है। पता नहीं इस सै ान के बाद हाउस में कितने मैम्बर्ज आयेगे। एक बात कहना चाहता हूं कि आठ तारीख को प्रधानमंत्री त ारीफ ला रही है। मुं ख्य मंत्री जी ने भी यह फरमाया है कि सै ान फिर बुला लेगे। आठ तारीख के बाद कोई भी सै ान की तारीख रख लें । आप किसी भी तरह कर लें। दो चार दिन के बाद या आठ तारीख के बाद सै ान बुला लें।

वित मंत्री (**चौधरी खुर ीद अहमद**): स्पीकर साहब, इस हाउस के सामने जितना बिजनैस हैं उसे देखते हुए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी और उसी के अनुसार यह कह गया हैं कि दो तारीख तक हाउस चलेगा लेकिन फिर

दोबारा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई। पहली रिपोर्ट में एडजस्टमेट करने के बाद उसे हाउस मैं रखा गया है। उसमें दोबारा कोई ज्यादा चेंज नहीं हुई है। कोई भी नयी बात नहीं आयी ओर न ही हाउस से सामने इतना लम्बा चौड़ा बिजनेस है कि सारी ही रिपोर्ट इस काम के कारण बदल दें। ऐसी बातों के लिये सै ान को आगे चलाना ठीक नहीं। कोई ऐसी इन्टैस्ट वाली बात नहीं है। श्री बलदेव तायल जी कह रहे थे कि खर्चा कम करना चाहिए।

श्री बलदेव तायल: मैंने यह नहीं कहा। सी0 एम0 साहब ने कहा था।

चौधरी खुर ाीद अहमद: अगर आपने यह नहीं कहा तो चलो मै अमैड कर देता हूं कि सेविग करनी है। (ाोर एवं व्यवधान) लीडर आफ दि हाउस को डा0 मंगल सेन ने कहा कि इनकी ब्रूट मैजोरिटी है इस वजह से रिपोर्ट एडाप्ट करवा लेंगे। जनाब किसी अपोजी ान की माइनोरिटी इस कदर होपलैस हो जाये उसमें फ्रस्ट्रे ान आ जाये तो हम क्या करे? (ाोर एवं व्यवधान) मैं समझता हूं तमाम बातें हाउस में आ चुकी है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने सारों बातों कों अच्छी तरह से कन्सिडर किया है। कोई भी जस्टीफिके ान हाउस को बढ़ाने की नहीं बनती है। हाउस का टाईम दो तारीख तक के लिए फिक्स किया है। इसलिये मैं हाउस से रिक्वैस्ट करूंगा कि इस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट को पास करे।

श्री अध्यक्ष: प्र न है:–

कि यह सदन कार्य सलाहाकार समिति की तृतीय रिपोर्ट मै दी गई सिफारि ाों स्वीकार करता हूं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(इस समय कई सदस्य बोलने के लिए खड़े हुऐ।)

श्री अध्यक्ष: मेरी इजाजत के बगैर जो भी मैम्बर बोलेगा। उसे रिवार्ड न किया जाये। (ाोर)

श्री वीरेन्द्र सिंह: आप हमारी एक बार बात तो सुनिये। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अपोजी ान के साथियों को मै ज्यादा से ज्यादा एकोमोडेट करता हूं। रूल्ज द्वारा अलाऊ पर भी एकोमोडेट करता हूं।

श्री वीरेन्द्र सिंह: मैं मानता हूं कि आप हमें एकोमोडेट करते है। आपने चार दिन का सै ान भी बढ़वा दिया लेकिन आज हमारे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है। मैं प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट के बारे मैं एक बात कहना चाहता हूं प्रिविलेज कमेटी के चेयरमैन को एक (aggrieved member, who ever may be) ने एप्लीके ान दी कि मैं कुछ और सबूत देना चाहता हूं इसलिये मुझे फिर मौका दिया जायें। इस बात पर आपने अलाऊ कर दिया कि अगर वह नये सबूत देना चाहता है तो दे। मैं यह कहता हूं

कि प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट .....(ाोर एवं व्यवधान) स्पीकर साहब, मै उस बात के बारे में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि उस एप्लीके ान मैं कोई ऐसी बात नहीं लिखी गई और न ही हाउस को बतायी गई। यह फ्रै ा एवीडेन्स कहां से और कब आ गई? सवाल तो यह है कि उसे पूरा मौका एवीडेन्स का दिया गया या नहीं ? (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी खुर ाीद अहमद: आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर। जो बात श्री वीरेन्द्र जी ने कही हैं उस बारे में कोई आइटम एजेन्डे मै हाउस के सामने नहीं है। चेयर की इजाजत के बगैर ही किसी बात को डिस्कस करना ठीक नहीं। ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि बिना एजेन्डे के किसी आइटम पर डिस्क ान की जाय। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जहां तक पब्लिक अकाउन्टस कमेटी के इलैक ान का सम्बन्ध हैं। पब्लिक अकाउन्टस कमेटी के बारे मै मेरे पास श्री सन्त कंवर ने लिख कर दिया है कि श्री हीरा नन्द आर्य और श्री रण सिंह मान आउट आफ स्टे ान है इसलिये उनके नाम उन्हें वापिस करने की परमि ान दी जाये। I would not be happy in their withdrawing their names but I can only permit that if the whole House unaninmously agrees to that. (Interruptions)

श्री मूल चन्द जैन: यह कैसे हो सकता है जो मैम्बर यहां हाजिर नहीं हैं उनके बारे में कोई आदमी इस बात को कैसे कर सकता है।

श्री अध्यक्ष: इसी लिए तो मैने हाउस से पूछा हैं। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री मूलचन्द जैन: विधि अनुसार यह बिल्कुल नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष: आपकी ही पार्टी के जनरल सैकेटरी हैं। उन्होने लिखकर दिया हैं वरना मै उनका नाम वापिस करने में इन्ट्रैस्टिटड नहीं हूं । जब तक यूनानीमसली हाउस न माने और उनके सिगनेचर न हो कि हम अपना नाम वापिस लेना चाहते हैं तब तक नाम वापिस हो सकते । पी0 ए0 सी0 और एस्टीमेन्टस कमेटी का इलैक ान होगा।

नियम 30 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष: अब एक मंत्री महोदय यह प्रस्ताव करेगे कि रूल्ज आफ प्रोसीजर कंडक्ट आफ बिजनेस के रूल 30 को सस्पैन्ड किया जाये और 1 अप्रैल, 1982 को गवर्नमैट बिजनेस ट्रांजैक्ट किया जाऐ।

12.00 बजे

वित मंत्री (चौधरी खुर ीद अहमद): स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबधी नियमों के नियम 30 को निलम्बित किया जाये तथा वीरवार 1 अप्रैल, 1982 को सरकारी कार्य किया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि हरियाणा विधान सभा के रूल्ज आफ प्रोसीजर एण्ड कंडक्ट आफ बिजनेस के रूल 30 को सस्पैन्ड किया जाये तथा वीरवार, 1 अप्रैल, 1982 को सरकारी कार्य किया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्र न है–

कि हरियाणा विधानसभा के रूल्ज आफ प्रोसीजर एण्ड कंडक्ट आफ बिजनेस के रूल 30 को सस्पैन्ड किया जाये तथा वीरवार, 1 अप्रैल, 1982 को सरकारी कार्य किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

Mr. Speaker: I have another announcement to make and that is क्योकि आज पब्लिक अकाउन्टस कमेटी और एस्टीमेट्स कमेटी के लिये इलैक ान के लिये काफी देर हो गयी हैए इसलिये I would request the House to agree to have the election tomorrowl.

Voices: Yes

श्री जय नारायण वर्मा: आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, पार्लियामैट्रीं अफेयर्ज मिनिस्टर महोदय ने अपनी बात को कहते हुए और गवर्नमैट को डिफैट करते हुए एक बात कही। उन्होने यह कहा कि सारी अपोजी ान होपनलैस हो चुकी हैं और फ्रस्ट्रेटिड है। (व्यवधान व भाोर)

उन्होंने यह कहा कि अपोजी ान होपलैस और फ्रस्ट्रेटिड हो चुकी है। यह डैमोक्रेटिक से कहते है कि यह फ्रस्ट्रेटिड हैं I do not take notice ofthat. (व्यवधान व भाोर)

बिल्ज–

(i) **दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान** (**नं**0 3) **बिल**, 1982

श्री अध्यक्ष: अब फाइनैस मिनिस्टर साहब हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं0 3) बिल पे ा करैगें।

वित मंत्री (**चौधरी खुर ाीद अहमद**): स्पीकर साहब, मैं हरियाणा विनियोग (सं0 3) विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं–

कि हरियाणा विनियोग (सं0 3) विधयेक पर तुरन्त विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि हरियाणा विनियोग (सं0 3) विधयेक पर तुरन्त विचार किया जाये।

श्री वीरेन्द्र सिंह: आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर।(व्यवधान व भाोर) स्पीकर साहब, आप हमारी बात तो सुन लें ह। अगर आप हमारी बात पूरी सुन ले तो भाायद वह बात होने से बच जाये जो होने जा रही हैं। आज सरकार इन्ट्रैस्टिड नहीं है कि हम यहां पर बैठे। ये जान बझूकर ऐसा सीन किएट करना चाहतें है (व्यवधान व भाोर) स्पीकर साहब मैं एक बात कहना चाहता हूं। आज ही मैम्बरों ने एक सवाल हाउस में उठाया जिसके बारे में चेयर की तरफ से भी आया कि उस एग्रोव्ड मैम्बर ने प्रिविलेज कमेटी को एक फ्रै ा दरखास्त दी हैं कि मुझे जस्टिस नहीं मिलेगा। क्योकि इस कमेटी मै एक पर्टीकुलर कास्ट के मैम्बर है। आपने स्पीकर साहब यह फरमाया है कि उस एप्लीके ान को कमेटी को रैफर कर दिया है मेरा कहना यह कि कमेटी चूकि इस हाउस का ही हिस्सा हैं वह दरखास्त हाउस के सामने लायी जाये। यहां उस को डिस्कस करने का मौका दिया जाये। वह दरखास्त जिसमें मैम्बर ने यह कहा कि मेरे पास कुछ फ्रै ा एवीडैन्सिज हैं और आपने जो अनाउन्समैट की हैं कि वह दरखास्त कमेटी को भेज दी हैं वह दरखास्त हाउस में आनी चाहिये। मै आपसे यह गुजारि ा करना चाहता हूं कि इसकी वजह से कई किस्म के भाक सुबह लोगों के मन में पैदा हो रहे हैं । इसलिये मेरा कहना यह

है कि उसे हाउस में लाया जाना चाहिये ताकि उस का मैम्बर्ज डिस्कस कर सके। (व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्षः जहां तक मेरी पहली अनाउसमैंट का संबंध हैं मेरे पास एक दरखास्त आनरेबल मैम्बर से आयी। मैने उस को प्रिविलेज को फार्वर्ड कर दिया अगर रूल्ज के मुताबिक वह एप्लीके ान हाउस में पे ा की जा सकती हैं तो मै रूल्ज को चैक करके उस एप्लीके ान को हाउस के अन्दर रख दूंगा। अगर रूल्ज के अन्दर कोई ऐसा प्रोंवीजनल नही होगा कि यह एप्लीके ान को हाउस के अन्दर नहीं आ सकती होगी तो ऐसा नहीं हो सकेगा। 90 मैम्बर्ज में से अगर कोई भी मैम्बर मुझे कोई एप्लीके ान देता है तो मुझे उसकों रूल्ज के अनुसार ही डील करना पड़ेंगा। अगर रूल्ज मैं ऐसा प्रोवीजनल होगा कि वह हाउस में पे ा की जा सकती हैं तो वह हाउस के अन्दर पे ा कर दूंगा। वरना कमेटी उसकी एग्जामिन करेगी।

चौधरी वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब मैं भी प्रिविलेज कमेटी का मैम्बर हूं। प्रिविलेज कमेटी में जो भी मैम्बर्ज होते हैं वे स्पीकर साहब आप द्वारा नौमीनेट होते हैं उस कमेटी के लिये इलैक ान नहीं होता। इसलियें मैं स्पीकर साहब आपसे यह दरखास्त करूंगा कि अगर आपको कोई एप्लीके ान ऐसी मिलती हैं जिसमें यह अलैज किया जाता हैं कि एक ही कौम के 8 आदमी है तो क्योकि यह कमेटी आप द्वारा नौमिनेट की हुई होती हैं इसलिये यह आपके ऊपर भी एसप ार्न हैं। इसलिये मैं यह कहूंगा

कि ऐसी एप्लीके ान को तो कमेटी को फार्वर्ड करने के कोई जरूरत नहीं हैं। आप उसको सुओ–मोटो डिस्मिस कर सकते हैं और डिकलाईन कर सकते हैं।

श्री अध्यक्षः चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने बात कही हैं उसके संबंध में मैं यह कहता हूं कि 90 के 90 मैम्बर्ज

are honourable , respectable and gentlemen. जो 9 या 10 मैम्बर्ज मैनें प्रिविलेज कमेटी में नोमीनेट किये थे I will be the last person to accept any reflection on their integrity. on their fairness and on their impartiality. I will never indulge in it. I can never tolerate that anybody may doubt on anybody's fairness, impartiality and integrity. (Noise and interruptions). 90 के 90 मैम्बर्ज की इम्पा र्ीयलिटी फेयरनैस और इन्टैग्रिटी के बारे में कोई बात हो मै टोलरेट नहीं कर सकतां। खास कर 10 मैम्बर्ज्र के बारे में जिनको मैने ंनोमीनिट किया था। उनकी इम्पा र्ीयलिटी इन्टैग्रिटी ओर फेयरनैस पर किसी किस्म का कीचड़ उछाला जाये यह मै कतई तौर पर टोजरेट नही कर सकता।

श्री बलदेव तायलः स्पीकर साहब, मै भी इस सन्दर्भ में एक दो बाते कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि जिस किस्म से प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट होल्ड बैक या रि काल की गयी हैं उस तरह से नही की जानी चाहिऐ ंand especially on the behest of the Chairman alone, the Report should not have been

returned. जो चेयरमैन हो वह जब इस बात मैं इन्ट्रैस्डिट हो कि वह रिपोर्ट हाउस में नहीं आनी चाहिए........... (व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्ष: अगर इन्डैस्टिड नही था तो उसने पहले साईन करके क्यों दी थी।

श्री बलदेव तायल: कई बार ऐसा होता है कि जब किसी कमेटी की रिपोर्ट तैयार कर ली जाती है तो....................... (व्यवधान व भाोर)

Mr. Speaker: I have just said that I will not tolerate anything against any hon. Member (interruptions) चेयरमैन की इन्टैग्रिटी के बारे में कोई बात नहीं हो सकती।

Shri. Baldev Tayal: Sir, I am not taking about anybody's integrity, (interruptions& noise).

श्री अध्यक्ष: अब मैं हाउस से यह रिक्वैस्ट करता हूं कि हम थोड़ा सा काम कर लें । उसके बाद गप भाप कर लेगे। (Interrutions and NOise) अगर कोई मैम्बर साहब एप्रोप्रिए ान बिल पर डिस्क ान करना चाहता हूं तो कर ले।

(At this stage on hon'ble Member rose to speak).

श्री अध्यक्ष: प्र न है–

कि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (सं0 3) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्ष: अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

श्री अध्यक्ष: प्र न हैं–

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

क्लाज 3

श्री अध्यक्ष: प्र न हैं–

कि क्लाज 3 का बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

ि ाड्यूल

श्री अध्यक्ष: प्र न हैं–

कि ि ाड्यूल बिल का ि ाड्यूल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

क्लाज 1

श्री अध्यक्षः प्र न हैं–

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्षः प्र न हैं–

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

टाइटल

श्री अध्यक्षः प्र न हैं–

कि टाइटल बिल का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

वित्त मंत्री (चौधरी खुर ीद अहमद): स्पीकर साहब मैं प्रस्ताव करता हैं–

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्र न है–

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(ii) दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं0 2) बिल, 1982

वित्त मंत्री (**चौधरी खुर ीद अहमद**): स्पीकर साहब, मैं दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं0 2) बिल प्रस्तुत करता हूं।

मैं भी प्रस्ताव करता हूं कि:–

दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं0 2) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं0 2) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

(जब ये बिल पास हो रहे थे तो विरोधी दल की ओर से लगातार भाोर तथा नारेबाजी हो रही थी।)

श्री अध्यक्ष: प्र न है–

दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं0 2) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब सदन बिल पर क्जाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

श्री अध्यक्षः प्र न हैः—

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 3

श्री अध्यक्षः प्र न हैः—

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

ि ाड्यूल

श्री अध्यक्षः प्र न हैं—

कि ि ाड्यूल बिल का ि ाड्यूल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

क्लाज 1

श्री अध्यक्षः प्र न हैं—

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्षः प्र न हैं–

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

टाइटल

श्री अध्यक्षः प्र न हैं–

कि टाइटल बिल का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

वित्त मंत्री (चौधरी खुर ीद अहमद): स्पीकर साहब मैं प्रस्ताव करता हैं–

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(इस समय भी विरोधी पक्ष की ओरसे लगातार नारेबाजी तथा भाोर हो रहा था।)

Mr. Speaker: I would request the hon'ble Member that let the Appropriation Bill be passed first as it has to be passed and presented to the Governor today.

(iii) दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं0 1) बिल, 1982

वित्त मंत्री (चौधरी खुर ीद अहमद): स्पीकर साहब, मैं दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं0 1) बिल प्रस्तुत करता हूं।

मैं भी प्रस्ताव करता हूं कि:—

दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं0 1) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं0 1) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्र न है—

दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं0 1) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब सदन बिल पर क्जाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

श्री अध्यक्षः प्र न हैः—

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 3

श्री अध्यक्षः प्र न हैः—

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

ि ाड्यूल

श्री अध्यक्षः प्र न हैं—

कि ि ाड्यूल बिल का ि ाड्यूल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

क्लाज 1

श्री अध्यक्षः प्र न हैं–

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्षः प्र न हैं–

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

टाइटल

श्री अध्यक्षः प्र न हैं–

कि टाइटल बिल का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

वित्त मंत्री (चौधरी खुर ीद अहमद): स्पीकर साहब मैं प्रस्ताव करता हैं–

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब सदन कल प्रातः 9.30 बजे तक के लिए ऐडजर्न किया जाता है।

12.15 बजे

(तत्प चात सदन वीरवार, 1 अप्रैल, 1982, प्रातः 9.30 बजे तक के लिए स्थगित हुआ)

ANNEXURE

Non-Directory Villages in the State

705. Sh. Mool Chand Jain: Will the Minister for Revenuebe pleased to state:-

(a) whether there are anynon-directory village, having separate abadis, which are not being considered as revenue estates independently, in the State; if so, tehsil-wise names thereof; and

(b) whether the Government has received any representation that non-directory villages, as referred to in part(a) above existing in Panipat tehsil, be converted into directory villages; if so, a copy thereof be laid on the Table of the House together with the action, if any, taken thereon?

Revenue Minister (Sh. Phool Chand):

(a) Yes Sir, The names of such villages, tehsil wise are indicated in the list Annexure 'X'.

(b) Yes Sir, Copy of the representation in question is added at Annexure 'Y'. The matteris stil under consideration of the Government.

ANNEXURE – X

List of Non-Directory Villages

District Ambala

Tehsil Naraingarh	
1	Abupur
2	Taprian
3	Bhood Majra
4	Rampur
5	Chamel Majra
6	Balti
7	Barail Majra
8	Bhal-Majra
9	Yashin Majra
10	Jahoor Maijri
11	Jaintipur
12	Mandoa
13	MIrpur
14	Dakra
15	Ratta Tibbi
16	Mhadon
17	Pinjan Wala
18	Rana

19	Bhula Khari
20	Jheri Wala
21	Tarkan Wala
22	Bhud Farozeli
Tehsil Ambala	
1	Basantpura
2	Taprian
3	Majri
4	Rampur
5	Balapur
6	Jodhpur
7	Kathgarh
8	Durga Nagar
9	Chhotighel
10	Ram Dass Nagar
11	Rattangarh
12	Keshopur
13	Baraham Majra
14	Haripur

Tehsil Kalka	
1	Bharalli Town
2	Alipur Town
3	Sontawala
4	Khera
5	Tindan
6	Kalaniwala Bas
7	Khala Wala Bas
8	Laban Kheri Wala Bas
9	Laban Kheri Jaggarwala Bas
10	Puns Wala Bas
11	Mitosar Bunwala Bas
12	Pritosar Bunwala Bas
13	Shivni Mandir Dera
14	Tibbi Wala Bas
15	Tada Wala Lanana
16	Gujarwala Bas
17	chhoti Moli Wala Bas
18	Tadan Wala Bas

19	Tandan Wala
20	Kharanpur Tprian Wala
21	Sukhi Majra
22	Girdhra Wala
23	Dali Wala
24	NOhar
25	Lehi Upparli
26	Majri Sita Ram Wali
27	Naggal Babu Singh Wala
28	Gudam
29	Pipli Ghati Bair Chati
30	Dora
31	Bas Sardara
32	Gujjaran Wala
33	Labni Wala
34	Jiddan
35	thamar
36	Dera Wala
37	Gujjrar Ka Bas

38	Khuda
39	Sainaih Ka Bas
40	Chandi Kotla
41	Maha Devi Wali
42	Ghati Wala
43	Sukhri
44	Surajpur Factory
45	Rattpur Colony
46	vishavkaram Colony
47	Amwala Wala
48	Jaggar Wala
49	Nurbu Wala
50	Masjid Wala
51	Piran Wala
52	johri Wala
53	Kute Wala
54	Mugni Wala
55	Ambka
56	Ishwar Nagar

57	Virat Nagar
58	Majri Labana
59	Majri Gujran
60	Majri Harijan
61	Khera Harijan
62	Khera Brahamanana
63	Abadi Girdawar
64	Abadi Harijanan
65	Bara Nichla
66	Bara Upprala
67	Jai Singh Pura
68	Mattan Wala
69	Kishangarh
70	Bel Wali
71	Bahar
72	Rurkri
73	Murad Naga
74	Shampur
75	Kandai Wala

76	Laskri Wala
77	Bhud Daraiki
78	Morni
79	Turan
80	Baldadwala
81	Jolly
82	Mohli Wala
83	Sher Jwainki
84	baloti
85	Madhan Dhani Ram
86	Madhan Shish Ram
87	KHet Parali Plasra
88	Pudh Garh
Tehsil Jagadhri	
1	Jai Pura
2	Nagla
3	Isharpur
4	Taprian Gadholi
5	taprian Harijanan

6	Misri Ka Majra
7	BIch Ka Majra
8	Bagh Ka Majra
9	Buria Kit Taprian
10	Taprian
11	Sekhpura
12	Taprian
13	Taprian
14	prit Nagar
15	prit Nagar
16	Phush Garh
17	Mandebri Ka Majra
18	Pir Majra
19	Mansapur
20	Maharpur
21	Kaiamgarh
22	Shadipur
23	Taprapur
24	Model Town

25	Akalgarh Ka Majra
26	Kesri Ka Majra
27	Kishanpura
28	Nandpura
29	Kansli
30	Khera
31	Kinki Taprian
32	Harijan Majiri
33	Harijan Taprian
34	Bali Majra
Tehsil Chhachhrauli	
1	Chikan Muslmanan Gujjar
2	Gisar Pari
3	Majiri Harjananar
4	Kot Musalmanan
5	Majra
6	Mahmood Bas
7	Banjara Bas
8	Faizpur

9	Tiwari
10	umbli
11	Bas Upparla
12	Chandpur
13	Barham Majra
14	Majri Tappu
15	Chakki Ki Abadi
16	Ram Bara
17	Madauli Gujjar Uprli
18	Madauli Gujjar Darmiani Majra
19	Madauli Gujjar Malha
20	Bali Majra
21	Maunda
22	Begampur Majra
23	Jleh
24	Rangar Majri
25	Sekhu Pura
26	Banaman Pur
27	Dalip Garh

28	Kher Bas
29	Sampolia Bas
30	Dran Wala
31	Kubipur
32	Harijan Majri
33	Halndpur
34	Dadipur
35	Garon
36	Sina
37	Desori
38	Bhanngeri
39	Bhagpat
DISTRICT KURUKSHETRA **Tehsil Guhla**	
1	Karvee Gamria
2	Harijan Gamri
3	Plot Majbi and Bajigar
4	Plot Labana Chd.
5	Purbia Plot

6	Labana Plot
7	Bhagalpur Plot
8	Bajigira Plots
9	Kishore Colony
10	Bajigra Plots
11	Zeranpur plot
12	Dera Bhag Singh
13	Plot Bajigira
14	Rai Singh Plot
15	Bagal Plot
16	Amritsar Plot
17	Bajigar plots
18	Oesha Singh Wala plot
19	Labana plot
20	plot Jesha Singh wala
21	Plot Nanda
22	Bajigar Wala Plot
23	Dahra Singh Plots
24	Bajigar Plot

25	Harijans plot
26	Bajigar Wala
27	Premput
28	Nihang Wala
29	Gamri
30	Khera Swala
31	Brari Plot
Kaithal Tehsil	
1	Labana Plots
2	Devigarh
3	Neembwala
4	Tehparlad
5	Dara Gurdasspura
6	Sihli Khera
7	Jil Garh
8	Kohoi Wala
Thanesar Tehsil	
1	Suntokh Pura
2	Ramnagar

3	kundanpura
4	Sanpura
5	Jagania
6	Anu Wala
7	Surajgarh
8	Dera Such Singh
9	Duppura
10	Gamri
11	Nibwala
12	Dera Bajigira
13	Babha Gram
14	Bishan GArh
15	Santinagar
16	Candigarm
17	Abadibhantha
18	Abadibajigira
19	Model Town
20	Majri
21	Derapurbian

DISTRICT KARNAL	
Tehsil Assandh	
1	Naya Jindha
2	Dera Gama
3	Dera PHoola Singh
4	Padhana
5	Manchoori
6	Pinghala
7	Pucca Khera
8	Rangruti Khera
9	Manpura
Tehsil Karnal	
1	Bharatpur
2	Mangal Garhi
3	Manakpura
4	Nanakpura
5	Devipur
6	Jhimar Garhi
7	Garhi bhalar

8	Gobind GArh
9	Amupur Majra
10	Abdulapur
11	Rattak Garh
12	Purbian Deara (Kachwa)
13	Skiligar Dera (Barsat)
14	Biani (biana)
	Tehsil Panipat
1	Garhi Nawab
2	Ram Nagar
3	Jeet Garh
4	Harijan Colony (Kawi)
5	Singhpura
6	Garhi Kewal
7	Garhi Tagan
8	Garhi Veshak
9	Nagla
10	Pathar Garh Navada
11	Khera

12	Garhi Simla
13	Jeet Garh Ram nagar
14	Rajapur Doosri Abadi
15	Basti Jogian
16	Simbal Garhi
17	Gosian Wala
18	Jeet Garh (Jorasi Saraf Khas)
19	Bhilchpari
20	Noorwala
21	Ramra
District Sonepat	
Tehsil Sonepat	
1	Garhi Keshri
2	Garhi Lala
3	Garhi
4	Garhi Chhoti
5	Garhi Jhajhara
6	Garhi Kalan
7	Garhi Ghulama

8	Bethni
9	Garhi Rajlu
10	Rattan Garh
11	Naya Khanda
12	Chhota Khanda
13	Nai Basodi
14	Garhi Asadpur
15	Garhi Tikola
16	Garhi Memarpur
17	Garhi Jajal
18	Jagdishpur
19	Tanda
	Gohana Tehsil
1	Hudda Gangana
2	Hassangarh
3	Wazipura
4	Sani Pura
5	Garhi Near Kheri Damkan
6	Naya Busana

7	Chhaniar
DISTRICT GURGAON	
Tehsil Ferozepur Jhirka	
1	Kalakhera
2	Kolarhera
3	Kaliawas
4	Madanivas
5	Fauladavas
6	Gowarasi
7	Manyawas
8	Nabuwas
9	Navalgarh
10	Pioroli
11	Khera
12	Mora
13	Khalenta
14	Parparwas
Tehsil Gurgaon	
1	Chand Nagar

2	Khera
3	Dhani Ramji Lal Wali
4	Dhani Sunderpur
5	Dhani Siwari
6	Dhani Mechana
7	Jora Khurd
8	Chainpura
9	Dhani Kumbawas
10	Dhani Chitarsain
11	Dhani Saimuwali
12	Nangal
13	Preem Nagar
14	Bhim Nagar Khera
15	Dhani Harjian
16	Dhani Malyan
17	Dhani Chamaran
18	Gairak Khera
19	Amar Singh Wali Dhani
20	Dhani Rajawali

21	Khera
22	Ramgarh
23	Bamroli
24	Rampura
25	Dhani Sohan Wali
26	Dhani Molar Wali
27	Naya Gaon
28	Dhani Shankar Wali
Tehsil Nuh	
1	Pipaka
2	Pataka
3	Ghu Baitik
4	Kirari
5	Bhatlaka
6	Nai Nangla
7	Dhani Malyan
8	Dhani Dhobian
9	Gaurakpur
10	Gudah

11	Dhillaki
12	Mewali Kabas
13	Ranika
14	Bhuraka
15	Machhroli
16	Othaka
17	Bhargaka
18	Gudwas
19	Mahraka
20	Khabgarh
21	Chaban
DISTRICT ROHTAK	
Tehsil Jhajjar	
1	Abadi Bawarian
2	Bahalgarh
3	Azad Nagar
4	Surajgarh
5	Rampura
6	Khajpur

7	Naya Gaon
8	Agarpur
9	Ghatauli
10	Mangawas
11	Dhani Kutani
Tehsil Kosli	
1	Dhani Ahiran
2	Dhani Jatan
3	Bas
4	Bhagwanpura
5	Ramgarh
Tehsil Rohtak	
1	Garhi Bohar
2	Asthal Bohar
3	Garhi Majra
4	Jindran
5	Gudhan
Tehsil Meham	
1	Indegarh

2	Ganga Nagar
3	IMli Garh
4	Kishanpura
DISTRICT SIRSA	
Tehsil Sirsa	
1	Dhani Sainpal
2	Dhani Mani Singh Wali
3	Dhani MUkhtyar Singh Wali
4	Dhani Partap Singh Wali
5	Dhani Jugian
6	Dhani Charson Wali
7	Dhani Bilas Par Wali
8	Dhani Sheran
9	Dhani Kaluwali
10	Dhani Purbian
11	Dhani Majra
12	Dhani Muthar
13	Dhani Bhanguwali
14	Dhani Partap Singh Wali

15	Dhani Nigrana There
16	Dhani Faqiran Wali There
17	Dhani Narain Singh There
18	Dhani Ram Pur Thari
19	Dhani Mohar Singh Thar
20	Dhani Samanmder Singh Theri
21	Dhani Asa Singh
22	Dhani Ratta Khera
23	Dhani Rasup Pur Thari
24	Dhani Swarn Singh
25	Dhani Khajan Singh
26	Dhani Noujukhera
27	Dhani Rampur
28	Dhani Kalu Ram
29	Dhani Kehar Singh
30	Dhani Lakhbir Singh
31	Dhani Farwahin
32	Dhani Bajigar Wali
33	Dhani Kum Thal

34	Dhani Harijanane
35	Dhani Kirpal Singh
36	Dhani Dabbar
37	Dhani nana lal wali
38	Dhani Iswar Singh
39	Dhani Bauta Singh Wali
40	Dhani Iswar Singh
41	Dhani Maujal Ther
42	Dhani Saidan Wali
43	Dhani Buta Singh Wali
44	Dhani Sangat Pura
Tehsil Dabawali	
1	Dhani Raj Pura
DISTRICT MOHINDERGARH	
Tehsil Rewari	
1	Dhani jarawar
2	Dhani Chamar Was
3	Dhani Ahiran
4	Hari Nagar (Hussian Pur)

5	Hazari Was
6	Nangla Dolatpur
7	Dhani Ghisa wali
8	Bhim Nagar
9	Dhani Gujaran Wali
10	Dhani Had
11	Dhanora
12	Kund Mandi
13	Dhani Sobha
14	Hari Nagar (Dharuhera)
Tehsil Bawal	
1	Khatiwas
2	Dhani Ahiran (Bawal)
3	Dhani Ahiran (Dharan)
4	Dhani Jaitpur
5	Dhani
Tehsil Mahendragarh	
1	Dhani Mandhiwali
2	Dhani (jarwa)

3	Dhani Bhalothia
4	Dhani Nangla
5	Dhani Kumharan
6	Dhani Jawahar Nagar
7	Akoda
8	Dhani (Akoda)
9	Dhani Inderewali
10	Dhani Rajputan
11	Dhani Shyamian
12	Dhani Bas
13	Dhani Maliyan
14	Dhani sheopura
15	Dhani Khatiwali
16	Dhani Mandhiwali
17	Dhani Harijan Wali
18	Dhani Kanwali Wali
19	Dhani (Chajiwas)
20	Dhani Bohra Wali
21	Dhani Jatan

22	Dhani (Zedpur)
23	Dhani jhakhri
24	Dhani Jeetawali
25	Dhani Hemraj Wali
26	Dhani Shadiwali
27	Dhani Tekawali
28	Dhani Inderwali
29	Dhani Gandhi Nagar
30	Dhani Kharkhara
31	Dhani Bas
32	Dhani Shyamia Wali
33	Dhani (karira)
34	Dhani Gusian Wali
35	Dhani (Ishran)
36	Dhani Ahiran Wali
37	Dhani Kumbran Wali
38	Dhani
Tehsil Narnaul	
1	Dhani Bas

2	Dhani Ahiran
3	Dhani (Kirarod)
4	Dhani Maliyan
5	Dhani Jatan
6	Guga Wali Dhani
7	Mamraj Wali Dhani
8	Bhaggu Wali Dhani
9	Dhani Maliyan
10	Dhani Asawali
11	Dhani (Dokhera)
12	Dhani Doewali
13	Dhani Rawatan
14	Dhani Laxman Wali
15	Dhani Tihagian
16	Dhani Prema Wali
17	Dhani Gujrawali
18	Dhani thakrawali
19	Dhani Neelpur
20	Dhani Jadma

21	Dhani Bataran
22	Khem chand Wali
23	Chhaju Ram Wali
24	Dhani Jatan
25	Dhani Chhapra
26	Dhani Poswat
27	Dhani Kankarwali
28	Dhani Khamawali
29	Dhani Barwali
30	Dhani Chhimawali
31	Dhani Barandia Wali
32	Dhani Moolawali
33	Dhani Ahiran Wali
34	Dhani Sangawali
35	Dhani Mojiawali
36	Dhani Dakore
37	Dhani Gularwali
38	Dhani Brahman Wali
39	Dhani KOthawali

40	Dhani Sadwali
41	Dhani Sadhwali
42	Dhani Khariawali
43	Dhani Buja Pichhli
44	Dhani Gopasadhki
45	Dhani Ramdeva Wali
46	Dhani Nawada Wali
47	Dhani Maliyan Wali
48	Dhani JOkhla Wali
49	Dhani Neemla Wali
50	Dhani Khariawali
51	Dhani Chuha Wali
52	Dhani bandwali
53	Dhani bayawali
54	Dhani Bakhtawali
55	Dhani Shyamiawali (Sirahi babali)
56	Dhani Khatia Wali
57	Dhani Shyamia Wali

	(Bhangarka)
58	Dhani Bania Wali
59	Dhani Kumbhawali
DISTRICT JIND	
Tehsil JInd	
1	Sirsa Kheri
2	Karamgarh
3	Khera Ramrai
4	Dhani
5	Sundurpur
6	Khurda
Tehsil Safidon	
1	Baniya Khera
2	Rajana Khurd
Tehsil Narwana	
1	Narwalgarh
2	Rattanpura
BHIWANI DISTRICT	
Tehsil Bhiwani	

1	Dhani Harsukh
2	Gobindpura
3	Halwas
4	Dhirana Kanlan
5	Dhani Biran
6	Keharpura
7	chainpura
8	haripura
9	Golpura
10	Patharwali
11	Lehlana
12	Sundawas
13	Bilanabas
14	Lachhmanpura
15	Dhani Dhana
16	Kherpura
17	Dhani Amin Lal
18	Dhani Rewasa
Tehsil Dabri	

1	Dhani Khubi
2	Tilori
3	Dhani Lakha Singh
4	Dhani Kushalwali
5	Dhani Bedesra
6	Dhani Gudana Ahiran
7	Dhani chhanwali
8	Panaml Pilan
9	Dhani
10	Dhani
11	Dhani
12	Kishanpura
13	Dhani Ishar
14	Dhani
15	Dhani Hirawali
16	Dhani Kehar Singh
17	Atela Kalan Naya
18	Colony Electricity Board
19	Ram Nagar

20	Nihalgarh
21	Dhani
22	Dhani Maliyan
23	Arya Nagar
24	Dhani
25	Dhani Ganeshi
Tehsil Loharu	
1	Dhani Ganga Bishan
2	Dhani Samaspur
3	Dhani Toda
4	Jagram Bas
5	Sukhdev Singh Ka Bas
6	Bas
7	Dhani INdraj
8	Dhani Lalpur
9	Dhaniawali Dhani
10	Dhani Bhagasra
11	Naya Bardu
12	Dhani Rathiyan

13	Dhani Malian
14	Rambas
Tehsil Bawanikhere	
1	Sukhpura
2	Dhani Jatan
3	Dhani Rangran
4	Alakpura
5	Kehri Daulatpur
6	MIlak Pur
7	Dhani Kesla
8	JIta Kheri
9	Durjan Pur
10	Sikandarpur
11	Chortapur
12	Dhani Khusal
13	Dhani Kirawar
Tehsil Siwani	
1	Dhani Balara
2	Dhani Hunat

3	Dhani Bhirja
4	Devsar
5	Dhani Kishan Lal
6	Dhani Dariya Pur
7	Garanpura Khurd
8	Dhani Miran
9	Jainawas
10	Sherpura
11	Sainiwas
12	Motipura
13	Bas
14	Dhani Ketwar
15	Dhani Behal
DISTRICT HISAR	
Tehsil Hisar	
1	Dhani mangali Mohbat
2	Hari Kot
3	Barsa
4	Sikarpur

5	Dhani Raipur
6	Kishan Garh
7	Kheri
8	Kandul
9	Faridpur
10	Kinala
11	Dhani Garan
12	Dhani Khan bahadur
13	Dhani Prem Nagar
15	Migalpura
16	Shankerpura
17	Madanpura
18	Kundanpura
	Tehsil Tohana
1	Dhani Modawali
2	Dhani ladhuwali
3	Dhani Lehratheh
4	Dhani BIlaspur
5	Dhani Bilaspur

6	Nanheri Khurd
7	Dhani Badanpur
8	Dhani Jogdan
9	Dhani Bajigar
10	Dhani Raji
11	Deshmesh Nagar
Tehsil Rattia	
1	Neemri
2	tameshpura
3	Zandwala sotar
4	Dhani Agam
5	Nurk Ali
6	Chugwali
7	KHomar
8	Dhani Bhutaram
9	gursuar
10	Dhani Raipur
11	Dhani Babanpur
12	Dhani Lamba

13	Dhani bilaspur
Tehsil Fatehbad	
1	Chanawali
2	Dhani bilaspur
3	Dhani Daryapur
4	Ratta Tibba
5	Ahilsadar
6	Naktia
7	Haripura
8	Banawali
9	Musawai
10	dhani Ishwar
11	Akanwali
12	Daulatpur
13	Dhani Ahrwan
14	Dhani Dhaka
15	Dhani Mamuram
16	Karya
17	Salamkhera

18	Chebalmori
19	Bahaanwali
20	Dhani Khasa
21	Dhani binja Lamba
22	Chanda Chock
23	matana
24	Dhani Dhoba
25	Masitawali
26	Tahilwali
27	Dhani Majra
28	Rampura Dhani Bahal Bhawanria
Tehsil Hansi	
1	Dhani Brhmnan
2	Garhi Azima
3	Dhani Kumharan
4	Garhi
5	Dhana Khurd
6	Dhani Pirwali

7	Kundanpura
8	Richpura
9	Dhani Piran
10	Dhani Kumharan
11	Rampura
12	Jitpura
13	Lalpura
14	Dhani Kendar
15	Dhani Chakarpur
16	dhani Sobha
17	Bara Suleman
18	Sainipura
19	Dhani Manekhan
20	Dhani Paul
21	Dhani Raju
22	Dhani Shankeria
23	Dhani Gujran
24	Dhani Thakri
25	Dhani Puria

26	Bara jagga
27	Dhani Bukhari
28	Dharampura
List of Dhanis/Majras in District Faridabad	
Sr. No.	Name of Dhani/Majra
DISTRICT FARIDABAD	
Tehsil Ballabgarh	
1	Lakhmi Wali
2	Mewla Wali
3	Fatehpur Wali
4	balbir Wali
5	balkar Singh Wali
6	Kabal Singh Wali
7	Dhig Ram Wali
8	Ram Saran Wali
9	Jagir Singh Wali
10	Bhup Nagar Wali
11	Saperi Wali
12	Chapli Jhuggi

13	Bahadur Singh Wali
14	bhatpura
Tehsil Hathin	
1	Kumarhera
2	Mithaka
3	Chilli
4	Malpuri
5	Mathepur
6	huchpuri Khurd
7	huchpur Kalan
8	Chila Wali
9	Nauragangabad
Tehsil Palwal	
1	Nagla Sati
2	Nagla jheparwas
3	Inayat Pur
4	Mohammad Pur
5	Noragbad
6	Kan pur

7	Pitappa
8	Pirgarhi
9	Hafzabad
10	Bharatgarh
11	Attar Chatta
12	Nagla Sheru
13	Achhega
14	Hahabad
15	Bhawana
16	Karimpur
17	Nai Nagla
18	Charyan ka
19	Amir Pur
20	Nagla Sapla Wala
21	Nanda Wala
22	Kamre Wali
23	Aya nagar
24	Kanijro Ka Nagla (Badrau)
25	Kanjro Ka Nagla (Sondha)

26	Berah Patti
27	Garhi Patti
28	Sebh Shalir
29	Salla Garh
30	Islama bad
31	Shamshbad
32	Lakhi Singh Ka Nagla
33	Kashipur
34	Munir Garhi
35	Gopalgarh
36	Shri Nagar
37	Saraj
38	Ahsaan Pur
39	Nakhrola
40	Ajijabad
41	Aligarh
42	Bawalya ka

ANNEXURE-Y

"Mool Chand Jain D.O. NO. LOP-81/

Dated 15-10-1981.

Dear Shri Caprihan,

This is regarding conversion of long standing village habitatiins into directory villages.

2. There are a number of good sized village habitation some existing for the last 40-50 years or even more. These habitations have their separate names and are recognised as such by the Postal Department as well as the Election Department as in the electoral rolls the voters of such habitations are entered under their own names. Such habitations arenot directory villages and hence these have not their separate jamabandis etc. as they are not separate revenue estates. They also do not enjoy other facilities given to directory villages. But many ot them were recognised as separate villages during the consolidation proceedings with their own 'Phirni' and their abadis. At least such habitations should be converted into directory villages.

3. In my constituency of Panipat Tashil such habitations are:- Kewal Garhi (now included in Village Jaurasi), Simal Garh (now included in village Rakasera), Ajit Garh (situated between village Jaurasi and Atta), Ramra (perhaps included in village Tamsabad) and a few other habitations included in village kundla. The main disadvantage at present to such habitations is that they are not provided with separate link roads and sometimes even electricity.

4. I studied the provisions of the Land Revenue Act and I found that you, as FinancialCommissioner, are competent to declare such habitations as revenue estates and after that they will be called as directory villages. Public interest demands that all these habitations should be declared as directory villages. I am interested not only in such habitations situated in my constituency but all over the State. Therefore, I suggest that a report should be had from all the Collectors and then some guidelines be formulated to declare these habitations as revenue estates and hence directory villages.

With regards,

Yours Sincerely,

Sd/-

(Mool Chand Jain)

Shri P.P. Caprihan IAS,

Financial Commissioner, Revenue,

Haryana.